खण्ड-106, अंक-3
मंगलवार, 28 श्रावण, शक संवत् 1874
(19 अगस्त, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 106 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १९ अगस्त, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अब्दुल रऊफ ख़ां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली ख़ां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख़यालीराम, श्री
ख़ुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री

गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारयणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम, शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुन्नूराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़ज़लुलहक़, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री

बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुज़फ्फ़र हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी , श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अथमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री

रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
• लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भर नाथ पांडेय श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री

श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यानन्द, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरूजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में टेस्ट वर्क्स पर खर्च तथा मजदूरी की दर

*१--श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि साढ़े सत्रह लाख रुपया जो टेस्ट वर्क में खर्च हुआ है उसमें से आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में कितना कितना खर्चा हुआ है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--आजमगढ़ जिले में टेस्ट वर्क्स पर २६ जुलाई, १९५२ तक कुल १८,२४५ रु० ७ आना व्यय हुआ है जिसका प्रत्येक तहसील के हिसाब से विवरण इस प्रकार है:--

तहसील	धन जो व्यय हुआ		
	रु०	आ०	पा०
१--मोहम्मदाबाद	४३४	१२	०
२--घोसी	१,८४२	१२	३
३--लालगंज	८,०५३	३	९
४--फूलपुर	८५	१२	६
५--सगरी	३,९९१	५	०
६--सदर	३,८३७	९	६
योग फल	१८,२४५	७	०

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सबसे बड़ी तहसील फूलपुर में केवल ८५ रु० १२ आ० ६ पा० ही खर्चा क्यों किया गया ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--आजमगढ़ जिले में टेस्ट वर्क के लिये जो रुपया दिया गया है उसमें अभी हाल ही में १ लाख रुपया और बढ़ा दिया गया है। इस तरह से जहां और जरूरत होगी वहां और भी रुपया दिया जा सकेगा। फूलपुर में यदि माननीय सदस्य ऐसी स्थिति या जगह बतायेंगे तो वहां भी टेस्ट वर्क्स खोले जायंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या आजमगढ़ जिले में फूलपुर अन्न संकट तहसील है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--आजमगढ़ जिले में टेस्ट वर्क्स के अलावा पी० डब्लू० डी० के जरिये से भी कासमाबाद रोड पर ५० हजार रुपया, मधुबन बेलथरा रोड पर २४ हजार खर्च किया गया। इसके अतिरिक्त २२ हजार रुपया आर्थिक सहायता भी दी गई तथा एक लाख रुपया तकावी में दिया गया। इससे यह मालूम होता है कि फूलपुर तहसील में केवल ८५ रु० १२ आ० ६ पा० ही खर्चा नहीं हुआ। इससे यह मालूम नहीं होता कि फूलपुर तहसील सब से खराब तहसील सहायता के मामले में रही है बल्कि यह मालूम होता है कि वहां दूसरी और तहसीलों की अपेक्षा स्थिति अच्छी है।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि फूलपुर तहसील का क्षेत्रफल क्या है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री भगवानदीन मिश्र (जिला बहराइच)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि आजमगढ़ जिले में जिन तहसीलों में टेस्ट वर्क के अन्दर सैकड़ों का खर्च दिखलाया गया है वहां पर कोई संकट नहीं है ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—इरग्रस्ल ये जो आंकड़े दिखलाये गये हैं ये कोई २० रोज पहले के हैं। जुलाई में वर्षा न होने के कारण वहां संकटापन्न स्थिति पैदा हो गयी, वर्ना पहले कोई ऐसी बात नहीं थी। जुलाई में जहां करीब साढ़े ११ इंच पानी बरसने का औसत है वहां सिर्फ दो तहसीलों में ८, ९ इंच के करीब पानी बरसा। यह फूलपुर तहसील जिसका जिक्र किया गया है वहां नार्मल १२ इंच पानी बरसा और सगरी तथा घोसी तहसील में ३, ४ इंच पानी बरसा। जुलाई में वर्षा न होने की वजह से टेस्ट वर्क की तादाद बढ़ायी गयी और उसमें काम करने वालों की तादाद भी बढ़ी। मैंने खुद करीब एक दर्जन टेस्ट वर्क को देखा है जहां कि मजदूर काम कर रहे हैं और वहां पर किसी को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी।

अध्यक्ष—क्या माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास जो उत्तर है उसमें "अब तक" शब्द आया है कि आजमगढ़ जिले में "अब तक" टेस्ट वर्क पर इतना खर्च हुआ ? तो आप डेट मेंशन कर दें तो अच्छा हो। उसको दुरुस्त कर के आप भेज दें।

श्री चरण सिंह—उसको मैं दुरुस्त कर रहा हूं। सवाल का जवाब पहले ही तैयार हो गया था। यह पिछले अधिवेशन की २७ तारीख के लिये सवाल था।

अध्यक्ष—तो आप करेक्टेड रिप्लाई (संशोधित उत्तर) दे रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—जी हां।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि टेस्ट वर्क्स में मजदूरों की निर्धारित मजदूरी केवल १० आने प्रतिदिन पड़ती है और क्या उसे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां, टेस्ट वर्क्स पर काम करने वाले वयस्क श्रमिकों की मजदूरी की निर्धारित दर १० आने प्रति दिन है। सरकार का इस दर को इस समय बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कितने मजदूर काम पर आये ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि माननीय माल मंत्री जब देवरिया जिले में तशरीफ ले गये थे तो उन्होंने यह आज्ञा दी थी कि जो लोग १० आने की जगह राशन लेना चाहेंगे वे राशन ले सकेंगे, उनके लिये राशन की व्यवस्था कर दी गई है ?

श्री चरण सिंह—जब मैं देवरिया गया था तो मैंने आफीसरान से यह कहा था कि ए० पी० स्कीम के मातहत जो गल्ला मिलता है उसकी एक दूकान जहां टेस्ट वर्क्स हैं वहां खोली जाय और जो जितना राशन कार्ड पर गल्ला पाने का मुस्तहक़ हो उसको उतना गल्ला दिया जाय कि १० आना रोज के हिसाब से जितना गल्ला होता था।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार को यह पता है कि अभी तक वे दूकानें नहीं खोली गयी हैं ?

अध्यक्ष—यह कहां का प्रश्न आप पूछ रहे हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—देवरिया जिले के बारे में जहां कि टेस्ट वर्क हो रहे हैं।

अध्यक्ष—यह प्रश्न देवरिया जिले के बारे में नहीं है। आजमगढ़ जिले के सम्बन्ध में आप सवाल पूछ सकते हैं। वह एक आम सवाल था इसलिये मैंने उसकी इजाजत दे दी थी लेकिन देवरिया के बारे में मैं प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दे सकता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय माल मंत्री जी ने आजमगढ़ जिले में वार्ता के समय यह बतलाया था कि जिस घर में एक विधवा होगी, दो नाबालिग बच्चे होंगे तो विधवा को टेस्ट वर्क में १२ आने मजदूरी दी जाया करे ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं। ऐसा मैंने नहीं कहा था।

श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले में जितने मजदूर टेस्ट वर्क योजना के अन्दर काम करने के लिये आये उनमें से अधिकांश को मजदूरी पर नहीं रखा गया ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, ऐसी शिकायत नहीं है। आजमगढ़ जिले में ३४ जगहों पर टेस्ट वर्क का काम हो रहा है। लेटेस्ट जो इनफार्मेशन है उससे मालूम हुआ है कि ७ हजार से ज्यादा आदमी काम कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि दोबारे और मझवारे में टेस्ट वर्क में जो लगे हुये हैं उन मजदूरों को बारह बारह दिन के बाद भी मजदूरी नहीं मिलती है ?

श्री चरण सिंह—जिन खास जगहों के टेस्ट वर्क का जिक्र किया गया है उनके बारे में तो मुझे कोई पता नहीं है लेकिन दो जगहों से मुझे यह शिकायत जरूर मिली है कि एक हफ्ते पर मजदूरों को मजदूरी दी जाती है। तो इसमें अफसरों की कोई गलती नहीं थी। सहज से ऐसा हो गया था। अब वहां ऐसा आदेश दे दिया गया है कि तीन दिन के बाद प्रत्येक मजदूर को मजदूरी मिल जाया करे।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब सात हजार मजदूर टेस्ट वर्क्स में काम कर रहे हैं तो वहां पर फेमिन कंडीशंस (दुर्भिक्षावस्था) नहीं है ?

श्री चरण सिंह—यह तो राय का सवाल है कि फेमिन (दुर्भिक्ष) किसे कहते हैं।

बस्ती जिले में टेस्ट वर्क बन्द होने से जनता को आर्थिक संकट

*३—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)— क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के अभावग्रस्त क्षेत्र में टेस्ट वर्क बन्द हो जाने के कारण वहां की जनता आर्थिक संकट में पड़ी है ?

*४—यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—बस्ती जिले के अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा काल में जनता को भूख से बचाने के लिये सरकार ने यह निश्चय किया है कि जो काम वर्षाकाल में भी किये जा सकते हैं उन्हें टेस्ट वर्क्स के रूप में जारी रक्खा जाय और इस सम्बन्ध में जिलाधीश बस्ती को आदेश दे दिये गये हैं। जिन क्षेत्रों में ऐसे कार्य नहीं किये जा सकते, उन क्षेत्रों में जिलाधीश को अहेतुक सहायता (gratuitous relief) पहले से अधिक उदार रूप में बांटने की आज्ञा दी गई है। तकावी रूल्स के परिच्छेद ८ के अन्तर्गत तकावी बांटने के लिये १.५ लाख रुपया स्वीकृत किया गया है, जिससे जरूरत मंद किसानों की अगले दो महीनों में अपना निर्वाह करने के लिये सहायता की जा सके।

इन कार्यवाहियों के अतिरिक्त जिलाधीश को यह आदेश दिया गया है कि वे अपने व्यक्तिगत प्रभाव से तथा ग्राम पंचायत और अन्य गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकारिता विभाग द्वारा अथवा स्थानीय अन्न विक्रेताओं को उधार तथा महाजनों द्वारा जरूरतमंद किसानों को उधार दिलाने का प्रयत्न करें जिससे किसान अगली फसल तक अपना निर्वाह कर सकें।

अभाव ग्रस्त क्षेत्रों की स्थिति हर समय सरकार के ध्यान में रहती है और जब जैसी आवश्यकता होगी वैसे उपाय बर्ते जायेंगे।

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—क्या सरकार को पता है कि श्रीमान् माल मंत्री के आदेश के बावजूद भी आज तक बस्ती जिले की बांसी तहसील के उत्तरी भाग में जहां सबसे ज्यादा अकाल पड़ा हुआ है वहां आज तक काम खोला नहीं गया ?

श्री चरण सिंह—मुझको पता नहीं है।

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री चरण सिंह—जी हां, जिलाधीश से मालूम करायेंगे।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या सरकार को यह नहीं मालूम है कि टेस्ट वर्क्स के अन्तर्गत बांसी-मेंहदावल रोड, पुरैना ग्राम की बंछोरवा बांध तथा बांसी कस्बे की सड़क पर पुनः मरम्मत का काम आरम्भ हो गया है ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं। इतनी तफसील में जवाब देना, बिना पहले नोटिस हुए, मुमकिन हो नहीं सकता। इतनी बात है कि वहां छः लाख रुपया पहले का टेस्ट वर्क्स पर खर्च हो रहा है और एक लाख रुपया जिस वक्त मैं गया था तो उस वक्त कैहा था। आम तौर पर जो कार्य वहां हुआ है उससे वहां के मेम्बरान असेम्बली संतुष्ट हैं। अब भी अगर किसी भाई को विशेष आवश्यकता हो, कोई सुझाव देना हो या कोई शिकायत हो तो मैं हर वक्त उनकी इच्छा के मुताबिक हत्तुलइमकान करने को तैयार हूं।

श्री तुलसी राम (जिला बदायूं)—क्या सरकार मानती है कि खादी के सिवा कोई दूसरा काम दुनिया में बरसात में सबसे अच्छा हो नहीं सकता ?

श्री चरण सिंह—खादी के जरिये भी लोगों को रोजगार मिल सकता है और गोरखपुर और देवरिया में मैंने इस बात की कोशिश की है कि खादी के जरिये कतिनों या स्त्रियों को या जो भी काम करते हों उनको रोजगार दिलाया जाय। और

आजमगढ़ में भी कोशिश की लेकिन जो खादी से ताल्लुक रखने वाले हैं उन्होंने इस सिलसिले में कितना काम किया है उसको मुझे ठीक सूचना नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि वह असंतोषजनक है।

तारांकित प्रश्न

*१-३--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--[२५ अगस्त, १६५२ के लिये स्थगित किये गये।]

नवगढ़ (चकिया) में कमला बांध और बसन्त बांध पर खर्च

*४--श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार को मालूम है कि नवगढ़ (चकिया) में दो बांध नये बने हैं जो कमला बांध और बसन्त बांध के नाम से पुकारे जाते हैं ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)-नवगढ़ (चकिया) क्षेत्र में नहर विभाग की ओर से कोई बांध नहीं बनवाये गये हैं। अन्नाभाव के कारण कठिन स्थिति उत्पन्न होने पर टेस्ट वर्क चालू करके बनारस प्लानिंग कमेटी द्वारा ४ बांध बनवाये गए हैं। इन चारों बांधों में दो बांध 'कमला' और 'बसन्त' नाम से प्रसिद्ध हैं, इसकी सरकार को सूचना नहीं है।

*५--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन बांधों में कुल कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री राममूर्ति--उपरोक्त चारो बांधों पर १५,८०० रुपया व्यय हो चुका है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को सूचना मिली है कि उपर्युक्त बांध इसी बरसात में बीचो बीच में टूट गये हैं ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--जी हां, बनारस जिले में जून के शुरू में बारिश बहुत तेज हुई यानी १५, २० इंच तक पानी बरसा, इससे यकायक नदियों में जो बाढ़ आयी उससे नदियों के बांधों में कहीं कहीं ब्रीचेज हो गये थे, उनकी मरम्मत कर दी गयी है।

रामपुर में अनधिकारी व्यक्तियों को बिजली के नये कनेक्शन

*६--श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)-- क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शक्ति विभाग को कितने ऐसे मामलों का पता चल चुका है जिनमें रामपुर के बिजली घर द्वारा, उसके प्रदेशीय विभाग के अन्तर्गत आने से अब तक बिजली के नये कनेक्शन अनधिकारी व्यक्तियों को दिये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--पांच मौकों पर जायज आदमियों की जगह दूसरों को कनेक्शन मिल गया लेकिन उसे ठीक करने के लिये मुनासिब कार्यवाई की जा रही है।

श्री कृष्ण शरण आर्य-क्या यह सही है कि सरकार इन पांच मिसालों के मुताबिक जो कलेक्शन हुआ है, उस तरह की जांच के लिये किसी तफसीली जांच का इन्तजाम कर रही है जिससे रामपुर के बिजली घर की जांच हो सके ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उसकी जांच तो वहां के आफिसर करते रहते हैं लेकिन यह जो खास मामला उठाया था, इसके मुताल्लिक जांच की गयी।

रामपुर बिजलीघर में नये बायलर का चालू होना

*७--श्री कृष्ण शरण आर्य--क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रामपुर के बिजली घर में नया बायलर कब तक चालू हो सकेगा और कब से उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली नयी शक्ति से रामपुर की जनता को बिजली के शक्ति एवं घरेलू कनेक्शनों द्वारा लाभ पहुंचाना आरम्भ किया जा सकेगा ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--यह उम्मीद की जाती है कि नया बायलर इस साल के आखिर तक चालू होगा ऐसा होने पर उससे पैदा होने वाली बिजली का लाभ रामपुर की जनता अगले साल के शुरू से उठा सकेगी।

*८--श्री नेकराम शर्मा--[२८ जुलाई, १९५२ को संख्या ५२ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

अलीगढ़ जिले में जलाभाव से फसलों को हानि व लगान में छूट

*९--श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले के डिवीजन नं० २ और ३ में फ़सली १३५९, १३६० में नहरों से पानी न मिलने से फ़सलें सूख गयीं थीं ?

श्री राममूर्ति-- अलीगढ़ जिले में दूसरा तथा तीसरा कोई सिंचाई का डिवीजन (Divison) नहीं है।

अलीगढ़ डिवीजन (Divison) गंगा नहर के दूसरे तथा तीसरे सब-डिवीजन (Sub-Divison) में गंगा नदी में पानी कम होने के कारण नहर में पानी की कमी थी। जो कुछ पानी उपलब्ध था, उसका वितरण समान रूप से कर दिया गया था। पानी की कमी के कारण फसली वर्ष १३५९ में ६८ एकड़ क्षेत्र तथा १३६० ख़रीफ में एक एकड़ क्षेत्र में फसलों का नुक़सान हुआ था।

श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो आप ने प्रश्न में बताया कि ६८ एकड़ ज़मीन सूख गयी, उसके किसानों को लगान माफ करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति--उस ६८ एकड़ ज़मीन में सरकार ने ६९० रु० की छूट की है और जो एक एकड़ ज़मीन थी उसके लिये ११ रु० की छट की है।

श्री नेकराम शर्मा--क्या यह सही है कि जब पानी नहीं मिल रहा था तो वहां के किसानों ने नहर के विभाग के अफसरों को दरख्वास्तें और तार दिये लेकिन कोई भी उन दरख्वास्तों का जवाब नहीं दिया गया ?

श्री राममूर्ति--यह सही हो सकता है लेकिन अगर आप इसके बारे में मुझे कोई डिटेल बतलायें तो मैं इनक्वायरी करा सकता हूं और फिर आप का जवाब दूंगा।

अलीगढ़ जिले में फसली १३५६ की अपेक्षा १३५९ व १३६० में आबपाशी में कमी

*१०--श्री नेकराम शर्मा--क्या यह सत्य है कि फ़सली १३५६ की अपेक्षा १३५९ एवं १३६० में आबपाशी कम हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वास्तवित स्थिति ऐसी नहीं है, फ़सली वर्ष १३५६ की अपेक्षा फ़सली वर्ष १३५९ में १३,८०,००० एकड़ अधिक भूमि की सिंचाई हुई थी। फ़सली वर्ष १३६० का सवाल नहीं उठता, क्योंकि यह वर्ष तो अभी आरम्भ ही हुआ है।

श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो आंकड़े दिये गये हैं वे उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं या केवल अलीगढ़ जिले के हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के ही आंकड़े हैं। आपको इसमें संदेह कैसे हुआ, यह मेरी समझ में नहीं आया।

अध्यक्ष--- स्वतंत्र सवाल उन्होंने रखा था, अलीगढ़ से सम्बन्ध नहीं रखा था । तो इसलिये भ्रम हो गया। लेकिन उसमें दोष तो प्रश्न पूछने वाले का है कि उन्होंने अलीगढ़ के विषय में पहले प्रश्न में पूछा और उसके बाद के सवाल में अलीगढ़ का नाम नहीं दिया। इससे भ्रम हो सकता है ।

श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि फसली १३५६ और १३५८ में १३५६ की अपेक्षा अलीगढ़ जिले में आबपाशी कम हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--हो सकता है कि आबपाशी कम हुई हो क्योंकि गंगा की नहर में पानी की कमी थी। यह बात सही है और जब नहर में पानी की कमी हो जाती है तो सिंचाई भी कम हो जाती है ।

*११--श्री सियाराम गंगवार (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--(देखिये आगे पृष्ठ १५४ पर)

ग़ाज़ीपुर जिले में गंगा पर पुल बनाने की योजना

*१२--श्री भोला सिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के विकास के लिए इस जिले के दोनों हिस्सों को मिलाने के लिये सरकार शहर के सामने गंगा पर पुल बनाने की योजना हाथ में अति शीघ्र लेने जा रही है?

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---एक पान्टून पुल को बनाने की योजना है।

श्री भोला सिंह--क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कब काम शुरू होने जा रहा है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--शीघ्र ही यह काम शुरू हो जायगा।

बिक्री कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर तथा कमिश्नर की योग्यता व नियुक्ति

*१३--श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)---क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर, सेल्स-टैक्स के विशेषतया क्या कर्तव्य हैं तथा इस पद पर किस योग्यता के व्यक्ति रखे जाते हैं और इस पर नियुक्त वर्तमान असिस्टेंट कमिश्नरों में कितने ऐसे हैं जो लोकल आडिट विभाग में आडिटर की जगह के अधिकारी हैं?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---बिक्री कर असिस्टेंट कमिश्नरों के लिए निम्नलिखित कर्तव्य नियत किये गये हैं :

(क) अधीनस्थ (मातहत) अधिकारियों के कार्य का निरीक्षण तथा उसकी देखभाल करना।

(ख) असिस्टेंट बिक्री कर अधिकारियों के यात्रिक भत्तों के बिलों की जांच करना तथा उन पर प्रति हस्ताक्षर (counter signature) करना ।

(ग) अपने कार्यालय तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों के किसी भी एक मामले में ५० रुपये तक का प्रासंगिक (contingent exemption) व्यय स्वीकृत करना।

(घ) बिक्री कर ऐक्ट या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध के उल्लंघन करने पर कर मुक्ति के प्रमाण-पत्र (exemption certificate) या लाइसेंस को रद्द करना।

(ङ) व्यवसाय के अहातों (premises) में प्रवेश करने तथा उनका निरीक्षण करने के लिए बिक्री कर अधिकारियों को अधिकृत करना।

(च) ऐसे मामलों में जिनमें धनराशि २५० रुपये से अधिक हो छूट (rebate) या रुपये की वापसी (refund) की स्वीकृति देना।

(छ) बिक्री कर ऐक्ट के अधीन अपराधों का समाधान (compose) करना।

(ज) दो लाख रुपये या इससे अधिक धनराशि के विक्रय धन पर अन्तिम कर निर्धारण के आदेश की जांच करना।

(झ) ऐसी अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही करना जो असिस्टेंट बिक्री कर अधिकारियों की भर्त्सना (censure) तक सीमित है।

(ञ) बिक्री कर अधिकारियों के कार्यालयों के हेड क्लर्कों तथा अपने कार्यालय के सभी कर्मचारियों की स्थिति में, नौकरी से हटाने (removal) या बर्खास्तगी (dismissal) को छोड़ कर अन्य प्रकार की सजायें देने की सभी कार्यवाही करना।

(ट) अपने कार्यालय के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को नौकरी से हटाना या बर्खास्त करना।

(ठ) बिक्री कर अधिकारियों द्वारा दिये गये दंड के आदेशों के विरुद्ध की गई अपीलों पर आज्ञायें देना।

(ड) अपने कार्यालय के तथा बिक्री कर अधिकारियों के कार्यालयों के नाम गजटेड कर्मचारियों की छुट्टी स्वीकृत करना।

अभी तक असिस्टेंट बिक्री कर कमिश्नरों के पदों के लिये कोई विशेष अर्हतायें (qualifications) नियत नहीं की गई हैं परन्तु एकाउन्ट्स का अच्छा ज्ञान तथा व्यक्तिगत ईमानदारी का होना आवश्यक है।

आज कल इन पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों में एक व्यक्ति (incumbent) लोकल फंड आडिट विभाग का है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या माननीय मंत्री मेहरबानी करके यह फरमायेंगे कि जो असिस्टेंट कमिश्नर इस वक्त काम कर रहे हैं उनमें से कितनों को एकाउंटेंसी का अमली तजुर्बा था।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जवाब में यह बतलाया गया है कि लोकल फंड आडिट का आदमी था वही एक हैं बाकी नहीं हैं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या माननीय मंत्री मेहरबानी करके यह बतलायेंगे कि कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नरों के लिये एकाउंटेंसी की कुछ जानकारी होना लाजिमी है या नहीं ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—इन सवालों के जवाब में यह कहा गया है कि इन ओहदों के लिये अभी कोई क्वालोफिकेशन्स तजवीज नहीं हुई है। उनके तजवीज करते वक्त यह सवाल आ सकता हैं कि कौन कौन सी क्वालोफिकेशन्स इन ओहदों के लिये हो सकती है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या सरकार यह बतलायेगी कि मौजूदा कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नरों को एकाउंटेंसी की कुछ जानकारी है या नहीं ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—किन्हीं ने कोई क्वालीफिकेशन्स हासिल की हैं अगर यह मतलब है तो मेरे इल्म में यह है कि उनकी ऐसी कोई क्वालीफिकेशन्स नहीं हैं वैसे हिसाबों की जानकारी उन आदमियों को जो इस काम से ताल्लुक़ रखते हैं होती ही है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार भविष्य में इन स्थानों पर अफिसरों की नियुक्त में कोई निश्चित योग्यता कायम करेगी ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—हां, बात यह है कि अभी तो यह मुहकमा ही ग़ैर-मुस्तकिल है और यह भी मुक़र्रर नहीं है कि कितने मुलाजिम रहेंगे और क्या ओहदे रहेंगे। जिस वक्त यह तय किया जायगा उस वक्त मुख्तलिफ क्वालीफिकेन्स तजवीज की जायंगी।

*१४—**श्री परिपूर्णानन्द वर्मा**—वर्तमान असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर तथा कमिश्नर की नियुक्त पब्लिक सर्विस कमीशन से पूछ कर की गयी है अथवा नहीं ? यदि नहीं तो किस प्रकार इनकी नियुक्ति की गयी ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—वर्तमान तीन असिस्टेंट बिक्री कर कमिश्नरों की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वीकृति से या असिस्टेंट बिक्री कर कमिश्नरों के पदों पर नियुक्ति के लिये अधिकारियों के चुनाव के सम्बन्ध में कमीशन द्वारा दी गई सलाह के अनुसार की गई थी। चौथा अधिकारी अभी हाल ही में बची हुई जगह पर स्थानापन्न अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

डिप्टी बिक्री कर कमिश्नर या बिक्री कर कमिश्नर के पदों पर नियुक्ति के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वीकृति नहीं ली गई क्योंकि उन जगहों पर क्रमशः आई० ए० एस० और आई० सी० एस० अफसर काम करते हैं।

बिक्री कर विभाग के कर्मचारियों का नौकरी करते हुये परीक्षायें पास करना

*१५—**श्री परिपूर्णानन्द वर्मा**—सेल्स-टैक्स विभाग के कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने इस विभाग में नौकरी करते हुए इन्टरमीडिएट, बी० ए० आर्ट्स या साइंस एम० ए० आर्ट्स या साइंस तथा वकालत की परीक्षा पास की हैं और परीक्षा के लिए कितने लोगों ने छुट्टी ली थी ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—बिक्री कर विभाग के उन कर्मचारियों की संख्या, जिन्होंने अपनी नौकरी के दौरान में विभिन्न परीक्षायें पास की हैं, नीचे दी जाती है :

इंटरमीडिएट	...	...	२१
बी०ए० या बी० एस-सी०	...	...	११

बी० काम	...	...	...	३
एम० ए० या एम० एस-सी०	...	...	...	२
एम० काम	...	...	...	२
एल० एल० बी०	...	...	...	१३

उन कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने परीक्षा के लिये नियमित छुट्टी ली '३३' है।

मुरादाबाद-चन्दौसी सड़क पर आरा नदी के पुल की मरम्मत

*१६--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि मुरादाबाद से चन्दौसी जाने वाली सड़क के आरा नदी के पुल को टूटे कितना समय हुआ और उसका सुधार सरकार अब तक क्यों नहीं करा सकी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अगस्त सन् १९४८ ई० में असाधारण वर्षा के कारण आरा नदी का पुल टूट गया था। आर्थिक कठिनाइयों के कारण इस पुल के लिये धन की व्यवस्था नहीं हो सकी थी । अब धन की व्यवस्था होने पर पुल बनाने का प्रबंध किया जा रहा है ।

श्री महीलाल--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि अब उस पुल के बनाने के लिये अनुमानित व्यय कितना रखा गया है ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)--तख्मीना ३ लाख ९८ हज़ार रुपया है जो अभी पास नहीं किया गया।

श्री महीलाल--क्या माननीय मंत्री यह जानते हैं कि एक साल से इस पुल के बनाने के लिये सामान इकट्ठा है परन्तु काम क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है ?

श्री गिरधारी लाल--काम अभी शुरू होगा।

*१७--श्री महीलाल--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त पुल की कमी की पूर्ति के लिये जो कच्चा पुल व दूसरी पक्की सड़क बनाई जाती है उस पर अब तक कुल कितना व्यय हो चुका है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इस कार्य पर अब तक लगभग १५,००० रु० व्यय हुआ है इसकी मरम्मत में औसतन् २,५०० रुपया वार्षिक व्यय होता है।

*१८--श्री महीलाल--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि प्रति वर्ष अधिक वर्षा होने पर उपर्युक्त सड़क बन्द हो जाती है, जिसके कारण इस सड़क के द्वारा चन्दौसी जैसी व्यापार मन्डी का व्यापार बन्द सा हो जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--वर्षा के दिनों में केवल दस पांच दिनों के लिये सड़क बन्द हो जाती है।

आजमगढ़ में ट्यूबवेल्स संचालन के लिये बिजली की शक्ति

*१९--श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैज़ाबाद)--क्या अर्थ तथा शक्ति मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ में जो वर्तमान पावर स्टेशन है, उसकी कैपेसिटी कितने किलोवाट की है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--इन्सटाल्ड कैपेसिटी (Installad Capacity) १८९ किलोवाट है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---यह पावर हाउस सरकार के कब्जे में कब आया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---ठीक वक्त तो याद नहीं लेकिन मेरे ख्याल में दो साल हुये होंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---इस बीच में जब कि उसकी एनर्जी सिर्फ १८६ किलोवाट है तो सरकार ने दूसरा पावर हाउस बनाने का विचार क्यों नहीं किया ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---कोई जरूरत नहीं थी।

*२०---श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या सरकार को मालूम है कि विभिन्न कार्यों के लिये बिजली के प्रयोग के अलग अलग घंटे नियुक्त हैं ? क्या जिले में सिंचाई के लिये इसी पावर स्टेशन की शक्ति से बिजली के ट्यूबवेल्स संचालित किये जायेंगे या कोई और पावर स्टेशन खोला जायगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां । जिले में सिंचाई के लिये जो ट्यूब-वेल लगाये जायेंगे वे इस पावर स्टेशन की शक्ति से नहीं चलाये जायेंगे बल्कि उनके लिये मऊ में एक १०,००० किलोवाट का नया स्टीम स्टेशन बनाया जाने वाला है ।

*२१---श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या सरकार को वहां की जनता तथा बिभिन्न संस्थाओं द्वारा शहर के प्रयोग तथा सारे जिले में ट्यूब-वेल्स के संचालन के लिये कम से कम ५,००० किलोवाट की कैपेसिटी का पावर स्टेशन बनाने का सुझाव दिया गया था ? क्या सरकार के सामने उक्त जिले के लिये इस संबंध की योजना विचाराधीन है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---जी नहीं। इसका जवाब प्रश्न २० में दिया गया है ।

गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ में सिंचाई के लिये नल कूपों की योजना

*२२---श्री यमुना सिंह (जिला ग़ाजीपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ग़ाजीपुर, बलिया, और आजमगढ़ में सिंचाई के लिये कोई नल कूपों की योजना उसने बना रक्खी है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राममूर्ति---ग़ाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ में नलकूप का निर्माण सम्भव है या नहीं इसके परीक्षण के लिये ४ नलकूप उक्त जिलों में बनाये गये हैं। यह नलकूप तैयार हो गये हैं और इनसे सिंचाई भी हो रही है। यह चारों नलकूप ४४० नलकूपों की योजना में सम्मिलित कर लिये गये हैं । इसके अतिरिक्त इस प्रदेश में एक ५,२६३ नलकूपों का प्रोजेक्ट है । इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ८६६ नलकूप आजमगढ़, बलिया, और गाजीपुर जिलों में बनेंगे। इनमें से १०० नलकूप वर्तमान वित्तीय वर्ष (१६५२-५३) में बनाने का प्रस्ताव है और उसके लिये ५० लाख रुपया इस साल के बजट (Budget) में रक्खा गया है ।

श्री यमुना सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ग़ाजीपुर जिले में कितने नलकूप बनने जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति---गाजीपुर में ५० नलकूप बनेंगे।

श्री यमुना सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिले के अन्दर बनने के लिये इन नलकूपों का बटवारा किस प्रकार से होगा और किसके द्वारा होगा ?

श्री राममूर्ति——पहले इनका सर्वे कराया जाता है फिर जहां मुनासिब समझा जाता है वहां पर जिले के इंजीनियर इन नलकूपों को बनवाते हैं।

श्री उमाशंकर——क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सगडी तहसील में इस योजना के अनुसार कितने नलकूप बनाये जायेंगे ?

श्री राममूर्ति——इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

गाजीपुर जिले में पी० डब्लू डी० की सड़कों का प्रबन्ध

*२३——श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)——क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में पी० डब्लू० डी० की कितनी सड़कें हैं और उनमें प्रत्येक के बारे क्या प्रबन्ध हो रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——सभा सदस्य की मेज पर एक तालिका रख दी गयी है जिसमें यह सूचना दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २०४ पर)

बस्ती तथा बिजनौर जिलों में सडकों का निर्माण

*२४——श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)——क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले ५ वर्षों में बस्ती तथा बिजनौर जिले में कितनी कितनी मील सड़क नई बनायी गई है ?

*२५——क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्लानिंग के अनुसार अगले ५ वर्षों में बस्ती जिले में कितनी मील लम्बी सड़क बनाने का विचार है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——प्रश्न २४ और २५ के उत्तर में मांगे गये विवरण व योजना की दो तालिकायें सभा सदस्य की मेज पर रख दी गयी हैं ।

(देखिये नत्थियां ख और ग आगे पृष्ठ २०६–२०७ पर)

श्री राजाराम शर्मा——दी हुई तालिका में सीमेंट कंक्रीट ४३ मील दिलाया गया है, तो वह जिले के किस भाग में है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——इसमें मिट्टी डालना दिखाया गया है, बस्ती में ४३ मील पर और बिजनौर में २१ मील पर ।

श्री रामकुमार शास्त्री——क्या सरकार मेहरबानी करके बतलावेगी कि बस्ती जिले में वह कौन सी सड़कें हैं जो प्रथम चरण में ली जांयगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री शिव नारायण——सरकार कृपा कर के बतलावे कि पिछले ५ वर्ष में कितने मील पक्की सड़क बस्ती में बनायी गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——नोटिस की इसके लिये भी जरूरत है ।

बस्ती–मेहदावल सड़क की हालत

*२६——श्री राजाराम शर्मा——क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में, बस्ती–मेहदावल रोड़ जिस समय सरकार ने अपने क़ब्जे में ली थी, कितने मीलों तक पक्की थी, और अब उसकी क्या हालत है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सड़क प्रथम चरण की पुनर्निर्माण योजना के अन्तर्गत नहीं है । इसके पहले ६ मीलों पर सीमेन्ट कांक्रीट ट्रंक बनाने की योजना थी । किन्तु सीमेंट न मिलने के कारण तथा आर्थिक संकट के कारण उस पर कोई कार्य अभी नहीं किया जा सका ।

इटावा ज़िले की बकेवर-भर्थना-कुदरकोट सड़क का सुधार

*२७—श्री मिहरबान सिंह (ज़िला इटावा)—क्या निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि इटावा जिले की बकेवर-भर्थना-कुदरकोट रोड़ लगभग पांच वर्ष से बोर्ड से हटकर पी० डब्ल० डी० में आ गयी है, मगर उस पर कोई सुधार अभी तक नहीं हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस सड़क के वकेवर-विधुना हिस्से को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने निर्माण विभाग को सन् १६४८ में दिया था । भर्थना कस्बे में इस सड़क के ६ फर्लांग के टकड़े पर काम जारी है । आर्थिक कठिनाइयों की वजह से इस सड़क पर और कोई निर्माण कार्य नहीं हो सका है ।

भर्थना-कुन्दरकोट कच्ची सड़क पर मिट्टी का काम हो गया है और दो मिलों पर पुल और पुलियां भी बन गयी हैं।

*२८—श्री मिहरबान सिंह—क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह सड़कें कच्ची हैं या पक्की हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो जवाब दिया गया है वह साफ़ तरीक़े से बता रहा है।

श्री मिहरबान सिंह—क्या मंत्री महोदय यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त सड़क में कब तक सुधार किया जावेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह ठीक तौर से नहीं कहा जा सकता । इस साल सड़क के लिये ८०,००० रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

रसड़ा-लखनेश्वर डीह सड़क तथा उस पर के पुल की दुरास्वथा

*२६—श्री गंगाप्रसाद सिंह (ज़िला बलिया)—क्या सरकार अवगत है कि जो सड़क रसड़ा से लखनेश्वर डीह को जाती है, दयनीय दशा में हैं और उस पर का एक पुल भी कई एक वर्ष से टूटा-फूटा पड़ा है ? यदि हां, तो उसके लिये सरकार द्वारा क्या प्रबंध किया जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सड़क ज़िला बोर्ड बलिया के अधीन है और उसको ठीक रखने का भार बोर्ड के ऊपर है ।

ट्रांस कल्याणी नहर का निर्माण और उस पर व्यय

*३०—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (ज़िला बाराबंकी)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ट्रांस कल्याणी नहर जो बाराबंकी ज़िले में गत दो वर्ष से बन रही है उसमें कब तक सिंचाई के लिये पानी आ जावेगा ?

श्री राममूर्ति—यह नहर दरयाबाद ब्रांच कहलाती है, इसकी कुल २०० मील लम्बाई में से अब तक १२० मील बन चुके हैं परन्तु रेल के नीचे अभी ३ पुल बन रहे हैं जिनके बन जाने पर पानी आ जावेगा । मुख्य शाखा के पहले २७ मिलों की रबी सन् १६५१-५२ से सिंचाई भी हो रही है ।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)—किस निश्चित समय तक इस नहर के निर्माण का कार्य समाप्त हो कर इसमें पानी आ जायगा ?

श्री राममूर्ति—कोई निश्चित समय तो नहीं बताया जा सकता । जितनी जल्दी हो सकता है इस कार्य को करने की कोशिश की जा रही है ।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल—(बाराबंकी) क्या सरकार को ज्ञात है कि दरियाबाद कैनाल डिवीजन तोड़ दिया गया है और उसे वहां के नहर विभाग से मिला दिया गया है, जिससे इस काम में जल्दी होने में असुविधा पड़ेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नहर और फ़ूड प्रोडक्शन दोनों विभाग एक साथ सम्मिश्रण कर दिये गये हैं और इसके कारण नई व्यवस्था की गई है जिसके कारण देर न हो कर काम में शीघ्रता होगी । ऐसी उम्मीद की जाती है ।

*३१—**श्री भगवती प्रसाद शुक्ल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ट्रांस कल्याणी नहर पर अभी तक कितना धन व्यय हुआ है और कुल कितना खर्च होगा ?

श्री राममूर्ति—इस प्रोजेक्ट पर अब तक २५ लाख रुपये व्यय हो चुके हैं और इसकी अनुमानित लागत ६५ लाख रुपये आंकी गयी है ।

श्री यमुना सिंह—इसमें जो रुपये का अनुमान लगाया गया है क्या इसमें किसानों को दिया जाने वाला रुपया भी सम्मिलित है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, वह रुपया शामिल है ।

श्री अवध शरण वर्मा (जिला बाराबंकी)—जब से, यानी ३ वर्ष पहिले से वह नहर नापी गयी है और जमीन उसके लिये परती की गयी है उस जमीन का उस समय से मुआवजा किसानों को दिया जायगा ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, जब कोई योजना बनाई जाती है तो वह एक ही दिन में पूरी नहीं हो जाती । नहर का काम ३ साल से जारी है । इनके लिये जो ऐस्टीमेट बनाया जाता है उसके अन्दर मुआविजा आदि की सभी चीजें शामिल होती हैं ।

अध्यक्ष—माननीय मंत्री का यह उत्तर नहीं हुआ । आप इसका उत्तर दीजिये कि उनको मआविजा दिया जायगा या नहीं ?

श्री राममूर्ति—जो जमीन नहर के लिये दी गई है उसके लिये मुआविजा दिया गया है । अगर किसी को मुआविजा नहीं दिया गया है तो माननीय सदस्य यदि उसको बतायेंगे तो उस की जांच की जायगी ।

बाराबंकी जिले में ट्यूबवेल बनाना

*३२—**श्री भगवती प्रसाद शुक्ल**—सरकार ने बाराबंकी जिले में कितने ट्यूववेल बनावायें हैं ?

श्री राममूर्ति—बाराबंकी जिले में अब तक न तो कोई नलकूप बना है और न भविष्य में किसी के बनाये जाने का प्रस्ताव ही है ।

श्री अवधशरण वर्मा—क्या सरकार यह बतायेगी कि कितने ट्यूबवेल बनाने की योजना बाराबंकी जिले में है और वे कब तक बनेंगे ?

श्री राममूर्ति—इसके बारे में अभी कोई निश्चित पालिसी तय नहीं है । लेकिन आशा की जाती है कि बाराबंकी जिले में बजाय नलकूपों के सारदा चैनल से नहर बनायी जायगी जिसका इन्तजाम हो रहा है ।

फतेहगढ़-कम्पिल रोड का पुनरुद्धार

*११—श्री सियाराम गंगवार (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फ़तेहगढ़-कम्पिल रोड जिला बोर्ड द्वारा प्रान्तीय सरकार को कब, किस दशा में और क्यों हस्तांतरित की गयी, उसके उस समय से अब तक सरकार द्वारा पुनरुद्धार के संबंध में क्या क्या क़दम उठाये गये और कितना सुधार हो सका ?

श्री गिरधारी लाल—पी० डब्ल्यू० डी० ने इस सड़क को बिगड़ी हुई दशा में सन् ४६ में लिया और निम्नलिखित सुधार कार्य इस कार्य पर किये गये :—

१६४७–४८	२ मील १ फ़र्लांग स्टोन मैटल (गिट्टी) से और ४ मील ७ फ़र्लांग कंकड़ से फिर से बनाये गये।
१६४८–४६	ढाई मील स्टोन (गिट्टी) से और सवा चार मील कंकड़ से फिर से बनाये गये।
१६४६–५०	५ मील ७ फ़र्लांग कंकड़ से फिर से बनाये गये।
१६५०–५१	७ फ़र्लांग कंकड़ से फिर से बनाये गये और तीन मील कंकड़ से फिर से नये किये गये।

जिला गोरखपुर में अंग्रेजी फ़ौज के लिये गोरखों की भर्ती के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्तावक की सूचना

अध्यक्ष—मुझे एक काम रोको प्रस्ताव माननीय श्री झारखंडे राव ने दिया है। गोरखपुर में कुछ जमीन अंग्रेजी कैम्पों के संबंध में है जिसमें नैपाल से गोरखों की भर्ती होती है उसके संबंध में काम रोको प्रस्ताव दिया गया है। चूंकि उसका संबंध केंद्रीय सरकार से है इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। इस विषय में केन्द्र की धारा सभाओं में प्रश्न किये जा चुके हैं और उनके उत्तर भी वहां दिये जा चुके हैं इससे यह स्पष्ट है कि प्रांतीय विधान सभा से इसका कोई संबंध नहीं है, इस लिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

भवाली सैनिटोरियम की परामर्शदात्री समिति के लिये सदस्यों के निर्वाचन की तिथि में परिवर्तन

अध्यक्ष—कल मैंने यह सूचना दी थी कि भवाली सैनीटोरियम के लिये दो सदस्यों का चुनाव ३० अगस्त को विधान सभा मंडल में होगा। लेकिन ३० अगस्त को शनिवार है जिस दिन विधान सभा की बैठक नहीं होगी। ऐसी स्थिति में मैं इसके लिये शुक्रवार २६ तारीख मुकर्रर करता हूं। यह दुरुस्ती कर ली जाय।

प्राक्कलन समिति के निर्वाचन का कार्यक्रम

अध्यक्ष—एस्टीमेट्स कमेटी के २५ सदस्यों का निर्वाचन करने के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसकी सूचना भेज दी जायगी लेकिन सदन में मैं इसकी सूचना दे देना चाहता हूं।

	तारीख	समय
नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की तिथि और समय	२५ अगस्त	३ बजे
नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा	२६ अगस्त	१ बजे
नाम वापिस लेने के लिये	२६ अगस्त	३ बजे तक
निर्वाचन यदि आवश्यकता हो तो	२ सितम्बर	११ बजे से ५ बजे तक विधान वाचनालय में।

याचिका समिति का निर्माण

अध्यक्ष——याचिका समिति के लिये मैंने ५ सदस्यों को मनोनीत किया है—

१—श्री हर गोविन्द पन्त .. सभापति
२—श्री विष्णु शरण डुब्लिश .. सदस्य
३—श्री बाबू राम गुप्त ,,
४—श्री इर्तजा हुसेन ,,
५—श्री नारायण दत्त तिवारी ,,

यू० पी० पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा

अध्यक्ष——मैं घोषणा करता हूं कि यू० पी० पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २४ मई, सन् १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३० मई, सन् १९५२ ई० की बैठक में कुछ संशोधनों सहित, जिन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २ जून, १९५२ ई० की बैठक में स्वीकार किया, पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति ९ जुलाई, सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का १८वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रस्तावित संशोधन पर विचारार्थ नियुक्त सरकारी समिति के प्रतिवेदन पर वैधानिक आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला बनारस)——आदरणीय स्पीकर महोदय, यह जो जमींदारी उन्मूलन संबंधी नियम पर बहस हो रही है उस संबन्ध में मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि २८ तारीख को जब यह बात आयी तो हाउस में एक कमेटी बनाने की बात हुई और हाउस की मंशा से ही सरकार ने कमेटी बनायी । कमेटी की बैठक २९ जुलाई तथा ९ और १० अगस्त को हुई । बहस में बहुत सी ऐसी बातें हुईं जिनकी मंशा सरकार द्वारा मान्य है। उसमें यह बात तय हुई कि इसका अन्तिम ड्राफ्ट (प्रारूप) करने के बाद हम फिर १८ तारीख को १० बजे बैठेंगे और उसको पढ़ने के बाद ही जो सदस्य नोट आफ डिसेंट (मतभेद का नोट) देना चाहें देंगे और अपने हस्ताक्षर भी करेंगे । उसी के अनुसार मैं वहां उपस्थित हुआ लेकिन मुझे निहायत अफसोस के साथ आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों को बतलाना पड़ता है कि कल १० बजे जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पर कोई भी उपस्थित नहीं था साढ़े दस बजे तक मैं वहां रहा । उसके बाद मैंने रेवेन्यू सेक्रेटरी को फोन किया और फिर आदरणीय मंत्री जी को भी फोन किया । माननीय मंत्री जी ने रेवेन्यू सेक्रेटरी को मेरे पास जब ११ बजने में २ ,३ मिनट कम थे तब भेजा । आज जो रिपोर्ट सामने प्रस्तुत है, उसमें लिखा हुआ है कि नियुक्त समिति की रिपोर्ट है, तो इस समय मैं निहायत अदब के साथ आप के द्वारा कहना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट मैं कभी भी मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि यह समिति की रिपोर्ट है जब तक कि मैंने उस को पढ़ा नहीं है और न पढ़ कर उस पर अपना हस्ताक्षर ही किया है, तब तक मैं कैसे मान सकता हूं कि यह रिपोर्ट 'समिति' की रिपोर्ट है । रिपोर्ट में रूल नं० ४ सर्व सम्मति से लिखा हुआ है लेकिन यह सर्वसम्मिति की बात बिलकुल ग़लत है । इसलिये उस दिन मैंने कहा था कि जब रिपोर्ट आ जायेगी तब हम उसको पढ़ कर उस पर हस्ताक्षर करेंगे.....

अध्यक्ष——तो आप का आक्षेप क्या है ?

श्री राजनारायण——इसके ऊपर मैं एक वैधानिक आपत्ति उठाता हूं और आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस मकसद के लिये हाउस की मंशा से सरकार ने कमेटी बनायी

[श्री राज नारायण]

वह मकसद समुचित रूप से पूरा नहीं हो सका है। और उस समिति की रिपोर्ट जो यहां पेश हुई है जब तक कि उस पर अन्तिमरूप से सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं उसे मैं कमेटी की रिपोर्ट नहीं मानता हूं। तो क्या इस पर बहस हो सकती है ?

अध्यक्ष——माननीय राजस्व मंत्री को इस पर कुछ प्रकाश डालना है ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)——अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि असलियत को छोड़ कर छोटी छोटी लफ्जी बातों पर जोर दिया जाता है। इस गवर्नमेंट की तरफ़ से बराबर इस बात की कोशिश होती है कि कोई सही संशोधन हो और कोई ऐसा सुझाव विरोधी पक्ष की ओर से हो जिसको मान लेने से उनकी वास्तविक तसल्ली हो जाय, उसे हमेशा स्वीकार करती है। लेकिन यह जो बात है जैसा मैंने कहा गवर्नमेंट इन सभी मामलों पर जिस दृष्टिकोण से विचार करती है उस दृष्टिकोण के बिलकुल विपरीत यह बात हो जाती है। अब मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में बजाय और बातें करने के पहले वाकयात को सदन के सामने रख दूं। वाकयात भी बहुत हद्द तक साफ हैं। जो पत्र कल श्री राज नारायण सिंह जी ने मुझको लिखा कल मैंने उनके पास जवाब भेज दिया। तो जो जवाब मैंने उनको दिया अगर आप की इजाजत हो तो मैं दोनों पत्रों को पढ़ कर सुना दूं ताकि उस सारे मामले की सफाई हो जाय। आपने जो पत्र कल लिखा वह यह है——

"उत्तर प्रदेश विधान सभा विरोधी दल

१८-८-५२

सेवा में

माननीय स्पीकर महोदय,
उत्तर प्रदेश विधान सभा,
लखनऊ।

श्रीमान्,

जमींदारी उन्मूलन से संबंधित नियमों पर विचार विनिमय करने के लिये २८ जुलाई को एक सरकारी कमेटी बनी थी, कमेटी ने गत ९ और १० अगस्त की बैठक में विचार विनिमय भी किया और बहुत सी बातें हमारी मानी भी गयीं, मगर १० अगस्त को यह तय पाया था कि जो विचार मान्य हो गये हैं उनके संबंध में अन्तिम रूप से मसविदा लिख कर आज १८ तारीख को दस बजे कमेटी के सदस्यों के सामने रखा जायगा और अंतिम संशोधन का मसविदा सामने आने पर जो लोग असहमति प्रकट करना चाहेंगे वे उसी दिन करेंगे। आज हम लोग दस बजे से कमेटी रूम के पास थे, मगर मीटिंग नहीं हुई, और अंतिम ड्राफ्ट हमारे सामने नहीं रखा गया, हमारा असहमति पत्र भी सदस्यों के सामने नहीं रखा गया। ऐसी हालत में आज नियमों पर विचार होना अनियमित है, अतः मैं चाहता हूं कि यह कार्य रोका जाय।

आप का,
ह० राजनारायण,
ह० गेंदा सिंह।"

यह कल लिखा गया था और उस पर आप के यहां से यह नोट लिख कर आया कि इस बात से हमारा कोई संबंध नहीं है। यह पत्र माननीय राजस्व मंत्री को भेजा जाय। उस पर मैंने श्री राज नारायण जी को उत्तर दे दिया। जो मैंने उत्तर दिया वह इस प्रकार है——

"माल तथा कृषि विभाग लखनऊ,

श्रीमान् राजनारायण जी, १८-८-५२ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय के नाम आपने जो पत्र आज लिखा था, वह उन्होंने मेरे पास भेज दिया है । २८ जुलाई को नियमों पर विचार करना जब स्थगित हुआ तो यह भी निश्चय हुआ था कि १८ अगस्त को कमेटी अपना फैसला पेश करेगी जिस पर सदन में विचार होगा । अतः १८ अगस्त को ही कमेटी के सदस्यगण जो असहमति पत्र (minutes of dissent) दें वह छपकर आज ही सदन की मेज पर रखा जा सकता, वह सम्भव नहीं था । जहां तक मुझे याद है कोई बाकायदा निश्चय नहीं, बल्कि खड़े होते होते चर्चा यह आयी थी कि असहमति पत्र जिनको भेजन हैं वह पहले ही भेज दें तथा जिनको केवल दस्तखत ही करने हैं वह १८ तारीख के दस बजे कर दें । इसीलिये अधिकतर सदस्यों ने उसी समय कह दिया था कि हमारे हस्ताक्षर आज ही समझ लिये जायं । इसके अतिरिक्त उपरोक्त कमेटी एक सरकारी कमेटी थी, जिसकी रिपोर्ट सदन में पेश करना आवश्यक नहीं है और उस पर बाजाब्ता दस्तखत न होने का भी कोई विशेष असर या नतीजा नहीं होता है । साथ ही, सदन को इस कमेटी के केवल निश्चयों से वास्ता था, न कि किसी सदस्य विशेष के असहमति पत्र से । क्योंकि व्यक्तिगतरूप से प्रत्येक सदस्य को सदन में यों ही अपने विचार प्रगट करने का अधिकार और अवसर होता है । फिर दस्तखत करने के लिये रेवेन्यू सेक्रेटरी के हाथ रिपोर्ट दस बजे न सही, ग्यारह बजे आप के पास भेज भी दी गयी थी । दस्तखत करने के बजाय आप ने जो दो असहमति पत्र सेक्रेट्री को उस समय दिये वह कल सदन की मेज पर रख दिये जायंगे । श्री वीरेन्द्र शाह ने अपना असहमति पत्र समय से भेज दिया था, अतएव वह छपवाकर आज सदन की मेज पर रख भी दिया गया, यद्यपि, जैसा मैं ऊपर कह चुका हूं, ऐसा करना अनिवार्य न था।

आज दस बजे कमेटी रुम में कोई राज कर्मचारी दस्तखत कराने के लिये उपस्थित नहीं था, यह निस्संदेह भूल हुई है और इसका मुझको खेद है ।

आप का,
ह० चरण सिंह ।

श्रीमान् राजनारायण जी, एम० एल० ए,
नेता, विरोधी दल,
विधान भवन,
लखनऊ ।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर २८ जुलाई की बात को हम याद करें तो उसमें निश्चय यह हुआ था कि उस कमेटी के फैसले आयेंगे जो फैसले होंगे नियमों के संशोधन के सिलसिले में । वे फैसले यहां आ गये । रिपोर्ट पेश हो गयी । यह बात तय नहीं हुई, एक बात । दूसरी बात यह कि वह यूं भी तय नहीं हो सकता था । हाउस की कमेटी कोई मुकर्रर नहीं हो रही थी बल्कि यह तय हुआ था कि गवर्नमेंट एक ऐसी कमेटी बना दे और उसमें ये बातें निश्चित हो जायं । इसलिये जरूरी नहीं था । और कमेटी की रिपोर्ट अगर्चे यहां पेश कर दी गई है तो वह मेरी तरफ से पेश हो सकती है, गवर्नमेन्ट की तरफ से पेश हो सकती है ।

अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा कि मैं विवाद में इसको नहीं लाना चाहता हूं । मैं रोशनी चाहता था कि क्या हुआ है । वाकयात सिर्फ चाहता था । इसके ऊपर मैं वाद विवाद नहीं चाह रहा हूं ।

श्री चरण सिंह—तो फिर मैंने अर्ज कर दिया ।

अध्यक्ष—तो यह फैसला यहां से हो ही चुका है और यहां उपाध्यक्ष के सामने वह पत्र आया था । गवर्नमेंट के पास उस का जवाब भी चला गया कि यह सवाल अध्यक्ष से संबंधित नहीं है और न सदन से संबंधित सवाल है । जो कमेटी मुकर्रर हुई थी वह सरकारी कमेटी

[अध्यक्ष]
थी। अगर उस कमेटी की बैठक से संबंधित दफ्तर के दरवाजे बंद रहे हों या कुछ हुआ हो तो शिकायत जिस ढंग से हो सकती है सरकार के पास या सदन के पास वह ढंग यह नहीं है कि आज यह प्रश्न उठाया जाय।

जहां तक इस सदन का सवाल है वह तो यह है कि इसके सामने वे संशोधन जो कि कमेटी तय करे आने चाहियें और उनके ऊपर विचार हो सकता है। वे माननीय सदस्य जो कि कल दस बजे वहां गये थे शायद वे आपत्ति कर सकते थे अंतिम फैसले के शब्दों के बारे में या फैसला गलत तौर से दर्ज हुआ इसके बारे में उनको वह मौका मैं दे दूंगा। अब जितने प्रश्न बाकी हैं उनमें अगर कोई माननीय सदस्य संशोधन करना चाहें तो उनको मौका है। और कमेटी को तरफ से माननीय राजस्व मंत्री जो और संशोधन पेश करेंगे उनमें भी संशोधन पेश करने के लिये अगर राज नारायण जो या और कोई सदस्य चाहें तो उसकी इजाजत मैं दे दूंगा। समय के बारे में आपत्ति नहीं उठेगी। इतनी सहूलियत इसके लिये मैं दे सकता हूं। अब इस से अधिक इसके बारे में कोई आपत्ति हो नहीं सकती क्योंकि यह २८ तारीख को फैसला हो चुका था कि जितने संशोधन आयेंगे उनके ऊपर विचार किया जायगा और माननीय सदस्यों को और भी संशोधन भेजने का अधिकार होगा क्योंकि वह सदन की कमेटी नहीं थी जिसके सामने सब संशोधन चले जाते। माननीय सदस्य देखेंगे कि माननीय राजस्व मंत्री के संशोधन यहां सूची में दर्ज हैं और लोगों के भी संशोधन यहां दर्ज हैं। इसके अलावा भी अभी तक राजस्व मंत्री जो नये संशोधन लाये हैं उनमें संशोधन अगर कोई माननीय सदस्य करना चाहें तो उसके लिये मैं समय दे सकता हूं। उसके ऊपर यही निर्णय है। इस सम्बन्ध में और वादविवाद की मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, एक आवश्यक निवेदन और है। जैसी कि दोनों तरफ से रोशनी डाली गयी उससे स्पष्ट है कि हम लोग एक विशेष उसूल के होते हुए एक निश्चय पर नहीं पहुंच सके और कई मामलों में हम अपना असहमति पत्र देना चाहते थे। इस बीच में चूंकि हमें उसकी जानकारी नहीं हुई और १ से लेकर ३६ रूल तक कल इस सदन के सामने पास हो गये और इस प्रकार बहुत सी हमारी असहमतियां रह गयीं जो इन नियमों से संबंधित हैं। इसलिये विशेष परिस्थित में हम आप से निवेदन करेंगे कि १ से ३६ नियम तक जिनपर कल यहां विचार हो चुका है अगर हम कोई संशोधन पेश करें.....

अध्यक्ष--मैं उसके लिये इजाजत नहीं दे सकता। मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जो फैसले हो चुके हैं जहां तक हम पहुंच चुके हैं उसके बारे में मैं संशोधन नहीं लूंगा लेकिन इतना कहूंगा कि उनमें भी संशोधन दिये जा सकते हैं अगर राजस्व मंत्री से तय होकर समझौते से कोई संशोधन कराना चाहें यह संशोधन तब तक लिये जावेंगे जब तक कि इन नियमों पर बहस जारी रहेगी और जब तक कि अंतिम रूप में आखिरी संशोधन खत्म नहीं हो जावेंगे। क्योंकि यह रूल्स का सवाल है, बिल का सवाल नहीं है, इसलिये मैं यह मौका दे सकता हूं कि राजस्व मंत्री से मिल कर और फैसला करके माननीय सदस्य यदि कोई संशोधन लाना चाहें तो समझौते से लाये हुए संशोधन फिर से लेने के लिये मैं तैयार हो जाऊंगा।

श्री राजनारायण--स्पीकर महोदय, एक स्पष्टीकरण केवल चाहता हूं। इसमें आपने अभी हमें बताया कि जो समिति बनी थी उसके फैसले से इस हाउस का संबंध था तो उसी पर मैंने आपसे अर्ज किया था।

अध्यक्ष--कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर यहां विचार नहीं हो रहा है।

श्री राजनारायण--तो समिति ने जो फैसला किया और जिसको कि माननीय मंत्री महोदय ने यहां पर उपस्थित किया, उसमें जहां कहीं लिखा है कि सर्वसम्मति से यह फैसला

हैं, उसके लिये मैं आपसे केवल यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ऐसे सदस्य जो उसमें अपना संशोधन पेश करना चाहते रहे होंगे वे उससे वंचित रह गये होंगे क्योंकि इस प्रकार वह रिपोर्ट सही रूप में अंकित नहीं की गयी, इस संबंध में आप का क्या मत है। क्या जो सदस्य अब अपना संशोधन देना चाहें वह दे सकेंगे ?

अध्यक्ष---वह हरएक के लिये एक ही चीज रखी गयी है। जितने फैसले अभी तक हो चुके हैं उसके संबंध में मैंने कह दिया कि जो समिति के सदस्य हैं वे राजस्व मंत्री से मिल करके अगर कोई निश्चय बदलते हैं और सुधार करने की कोई आवश्यकता मालूम पड़ती है तो ये नियम ऐसे हैं जो बदले जा सकते हैं। इस दौरान में अगर ऐसे सुधार आते हैं तो मैं उनको उपस्थित करने की अनुमति दे दूंगा और उनपर फिर से विचार करने का मौका दे दूंगा ।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, आपने फैसला तो दे ही दिया है। मैं केवल संशोधनों के संबंध में कुछ बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। वह यह है कि जब २८ जुलाई को यह नियम पेश हुए थे तो सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से एक संशोधन नहीं आया। और अब जो ये नियम पेश हुए हैं उनमें भी एक भी संशोधन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से नहीं आया डिसेंटिंग मिनिट (मतभेद के नोट) में भी जो संशोधनों का सुझाव दिया है वह भी इस रिपोर्ट में कोई नहीं था । जो जहां संशोधन आप आवश्यक समझते थे या कहीं आपने विचार किया है वह इससे जाहिर है कि डेढ़ महीने से ये सदन की मेज पर रखे हुए हैं और आज तक एक भी संशोधन आपका नहीं आया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मैं एक वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष---कहिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राजनारायण जी का जो पत्र माननीय मंत्री जी ने हमारे सामने पढ़ा उसमें उन्होंने कहा है "इसलिये अधिकतर सदस्यों ने उसी में कह दिया था कि हमारे हस्ताक्षर आज ही मान लिये जायं।" तो जो रिपोर्ट हमारे सामने कल पेश की गयी उसमें उन अधिकांश सदस्यों के भी दस्तखत नहीं हैं तो ये कौन अधिकांश सदस्य हैं।

अध्यक्ष---यह वैधानक आपत्ति नहीं है। कृपा करके आप बैठ जायं। इसके ऊपर बहस ही नहीं है इसलिये वैधानिक आपत्ति हो नहीं सकती।

श्री नारायण दत्त तिवारी---दस्तखतों का होना आवश्यक है।

अध्यक्ष---उसके ऊपर बहस की इजाजत मैं नहीं देता। तो उसके ऊपर कोई वैधानिक आपत्ति नहीं हो सकती। आप यह कह सकते हैं कि यह जवाब जो पढ़ा यह गलत है या झूठ है। इस तरह की कोई आपत्ति होती तो मैं सुन लेता।

श्री नारायण दत्त तिवारी---वही मैं कह रहा हूं।

अध्यक्ष---वह तो उत्तर दे चुके । आप यह कह रहे हैं कि उस कमेटी में क्या गुजरा। उसके लिये मैं बहस की इजाजत नहीं देता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार (क्रमागत)

श्री अवधेश प्रताप सिंह---(जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में उपस्थित करना चाहता हूं---

"नियम ४८ निकाल दिया जाय ।"

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये यह दलील पेश करना चाहता हूं कि जमींदारी अबालिशन ऐण्ड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट की धारा ६ के अधीन यह दिया हुआ है:—

इस प्रकार हस्तगत किये गये आस्थान से संबंधित ऐसी सभी मालगुजारी (revenue), अबवाब (cesses) या अन्य देयों (dues) की सब बकाया (arrears) जो मध्यवर्ती से निहित होने के दिनांक से पहले के किसी समय के लिये प्राप्य (due) हों, ऐसे मध्यवर्ती से वसूल की जाने योग्य रहेगी और वसूली के अन्य ढंग को बाधित न करते हुए (without prejudice to any other mode of recovery) ऐसे मध्यवर्ती की, अध्याय ३ के अनुसार मिलने वाले प्रतिकर (compensation) की धनराशि से काट कर वसूल की जा सकेगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ऐक्ट में स्पष्ट रूप से दिया जा चुका है कि उन जमींदारों को जिनकी लैंड रेवेन्यू या सेसेज या कोई बकाया हो वह मालगुजारी के स्वरूप में वसूल की जा सकती है बकाया है तो वह कम्पेंसेशन से काट लिया जाय, चेप्टर थ्री आफएबव ऐक्ट (उपर्युक्त अधिनियम का अध्याय ३) ऐसी सूरत में कोई जरूरत इस बात की नहीं थी कि आप इस रूल को बनाते । यदि सरकार का मतलब यह था कि इंटेरिम कम्पेंसेशन से काटा जाय तो आपके द्वारा मंत्री महोदय तथा बहुमत दल से मैं यह अनुरोध करूंगा कि जमींदारों के पास अब कुछ भी नहीं रहा है । जो था वह आप में यानी सरकार में निहित हो चुका है।

कल से जो आप मुआविजा देने जा रहे हैं वह हमको ४० साल में दिया जायगा। छोटे जमींदारों को तो पुनर्वासन अनुदान मिल सकता है लेकिन बड़े जमींदारों को कुछ भी नहीं मिलेगा । उनके लिये कोई सहारा और चारा नहीं है महज इंटेरिम कम्पेंसेशन है, जो कुछ वह पायेंगे उससे ही अपना जीवन निर्वाह करेंगे या अपनी जीविका उपार्जन का कोई उपाय करेंगे। हमारी जितनी सम्पत्ति थी वह सब अब सरकार के पास है। अगर वह यह समझती है कि हम यह जायदाद लेकर कहीं भाग जायेंगे तो यह सर्वथा उसकी भूल है। हिन्दुस्तान में ही हमें रहना है और भारत को छोड़कर और कहीं हमें जाना नहीं है । हम पाकिस्तानी नहीं हैं जो यहां से वहां चले जायेंगे। हमारी जितनी सम्पत्ति थी वह सब आपके पास है। जो कुछ आप प्रतिकर हमें दें रहे हैं उसकी शिकायत करना तो बेकार है क्योंकि नियम वगैरह बन चुके हैं और सब कुछ हो चुका है। क्या न्याय की दृष्टि से मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूं कि जब कि हमारे पास कोई सहारा नहीं है और जो बकाया है वह आप हमारे इंटेरिम कम्पेंसेशन से काट लेंगे तो हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा ? बड़ी रियासतों को तो इतना एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स देना पड़ता है कि अगर आप कुछ दिन और यही रवैया रखते तो जमींदारी तोड़ने की जरूरत ही नहीं होती। वह खुद अपनी रियासतों को सपर्द कर देते। बहुत सी ऐसी रियासतें हैं जिनके प्रोपरायटर्स (स्वामी) ऊब चुके हैं और वह उनको कोर्ट आफ वार्ड्स कर चुके हैं।

आज जब कि जमींदारी टूट चुकी है और बकाया को अगर आप इंटेरिम कम्पेंसेशन से काट लेंगे तो बहुत से जमींदार ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं रहेगा बल्कि उनको अपनी प्राइवेट प्रापर्टी में से देना होगा जो कि सरकार में निहित नहीं हैं।

मैं यह मानता हूं कि कांस्टीट्यूशन में आपने इसका प्रबंध कर दिया है कि जिस तरह से आप चाहें करें। मैन (जनगण) और मैथड (रीति) आपके हाथ में है और यह आपका कानून भी न्यायालय से औचित्यपूर्ण मान लिया गया है। हर प्रकार से आपका कानून • •

अध्यक्ष—माननीय सदस्य से मैं कहूंगा कि जमींदारी उन्मूलन कानून सामने नहीं है बल्कि नियम सामने हैं तो इन्हीं पर बहस होना चाहिये और उसका पुनर्जीवन न हो।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—जो मेरे अमेंडमेंट से संबंधित है उसी को मैं कह रहा था।

अध्यक्ष——जो अमेंडमेंट है उससे संबंधित जितनी चीज है वही आनी चाहिये। असंगत सी कोई चीज नहीं होनी चाहिये।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—मैं आज्ञा की पूर्ति करूंगा किन्तु थोड़ी सी कठिनाई यह होती है कि ऐक्ट और रूल्स इस कदर एक दूसरे से संबंधित हैं कि ऐक्ट का हवाला देना पड़ता है।

अध्यक्ष——मैंने ऐक्ट के हवाले के लिये रोका नहीं है। आप जो भाषण दे रहे हैं वह इस तरह का दे रहे थे कि ज्यादतियां हो रही हैं, यह सब जमींदारी जब्त होने के वक्त कहा गया था। उन्हीं बातों को आप दोहरा रहे थे।

श्री अवधेश प्रताप सिंह——आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अंतरिम प्रतिकर में से काटना बेकार है। इससे आपको भी हानि पहुंच सकती है। हम जमींदार तो दुनियां से मिट जायेंगे। आखिर एक तरह से तो आपने हमें रिफ्यूजी (शरणार्थी) बना ही दिया है। आपके द्वारा मैं माल मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि ऐसी दशा में वह कुछ कृपा करें और कानून के बल पर और नियमों के आधार पर वह हमारा गला घोटने की कोशिश न करें। आप बहुमत में हैं जो चाहें कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। हम केवल पुकार कर सकते हैं और वह पुकार भी इस कदर कमजोर है कि जो आपके कानों तक नहीं पहुंच सकती है। अतएव उचित यही होगा कि आप सब पहलुओं पर विचार कर लें। मैं रूल पढ़े देता हूं जिससे हर माननीय सदस्य को स्पष्ट हो जाय कि उसमें क्या है "मालगुजारी अबवाबों, स्थानिक करों, अधिपति के कर और कृषि आयकर की बकाया जो अंतरिम प्रतिकर के भुगतान किये जाने के दिनांक के पूर्व देय हो जायगी, अंतरिम प्रतिकर की धनराशि में से काट ली जायगी" इसके विरोध में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। यह आपको अधिकार है कि आप जैसा नियम चाहें बनावें लेकिन जब कि हमारी सब सम्पत्ति आपके पास है उस वक्त अंतरिम प्रतिकर में से काट लेने से जो बड़े जमींदार हैं उनके लिये दुनियां में कोई सहारा नहीं रह जाता और छोटे जमींदारों को भी अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अंतरिम प्रतिकर यदि इस नियम से दिया जाता है जो कुछ बकाया है उसको वसूल किया जाय तो उसके देने से कोई लाभ नहीं है लेकिन यदि आपकी निअत यह है कि इस दुर्दशा में हम अपने को सुरक्षित रख सकें, अपना काम चला सकें तो ऐसे समय में वह रुपया हम से न लीजिये जिससे हम रोजगार कर सकते हैं। आप अच्छी तरह से समझते हैं कि वे जमींदार आज बहुत कम हैं जिनके पास रुपया है। आज हर जमींदार मुफलिस है। श्रीमान् कहा यह जाता है कि जमींदारों के पास सीर और खुदकाश्त है। आप समझ सकते हैं कि सीर और खुदकाश्त में कितना रुपया लगता है और हमारे माननीय मालमंत्री स्वयं बड़े किसान हैं, उनको भी खेती का अनुभव है। वह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि खेत रहने से खेती नहीं होती, उसके लिये साधन की आवश्यकता होती है, रोजगार के लिये रुपये की जरूरत होती है। बड़े जमींदारों को पुनर्वासन अनुदान भी नहीं मिलेगा, आपने रिफ्यूजीज के लिये बहुत कुछ किया लेकिन हम रिफ्यूजीज से भी बदतर हैं, हमारे लिये आप कोई साधन नहीं छोड़ रहे हैं। हमें आप एक मौका दें ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें और भविष्य में जब आप चाहे रुपया काट लें। इससे बढ़ कर क्या हो सकता है कि हमारी सब सम्पत्ति आपके पास है तब भी इस तरह का जलवा करना आपको शोभा नहीं देता। इससे ज्यादा और कुछ मैं नहीं कहता हूं। माननीय मंत्री जी का जो प्रत्युत्तर होगा उसके बाद मैं फिर उनसे अनुरोध करूंगा कि यह चीज ऐसी है कि जो न्याय की दृष्टि से हम आप से कह रहे हैं। जहां तक इन नियमों का प्रश्न है इस स्थान पर हमारे लिये कोई चारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद अब कोई चारा नहीं रह गया है। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि यह नियम आप के ऐक्ट के विरुद्ध हैं फिर भी हम आप से अनुरोध करते हैं कि जो त्रुटि उस ऐक्ट के अन्दर रह गयी हैं वह इस नियम के द्वारा आपसे दूर करना चाहते हैं और यह

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

इन्सानियत का तकाजा है कि आप इसको दूर करें । आज मैं न्याय के नाम पर आप से निवेदन करता हूं कि आप इसको छोड़ दीजिये । राज हट होती है, बाल हट होती है मगर मंत्री हट नहीं होनी चाहिये इससे तो बहुत ज्यादा कठिनाई बढ़ जायगी और हमारे लिये उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे । इसलिये मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप इस पर विचार करें ।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—यह जो बातें मेरे लायक़ दोस्त ने कही हैं वह ज्यादा-तर जजबात की बातें हैं और भावुकता से भरी हुई हैं। दलील उनके अन्दर बहुत कम है । जो उनमें एक आध दलील थी वह कल इससे पहले जो संशोधन पेश हुआ था उसके सिलसिले में कही जा चुकी हैं और गवर्नमेंट की तरफ़ से उनका जवाब दिया जा चुका है । इस वास्ते सब बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता लेकिन २, ३ बातों का जिक्र करना चाहता हूं ।

पहली बात तो यह है कि उन्होंने जो ऐक्ट की धारा ६ की उपधारा ७ पढ़कर सुनाई वह बहुत ज्यादा इससे मुताल्लिक नहीं है। उसमें यह है कि "राज्य सरकार ऐसी मात्रा में और ऐसी रीति से जो नियत की जाय अन्तरिम प्रतिकर देने का निर्देश कर सकती है " तो फिर उनका यह कहना कि कम्पेन्सेशन से मालगुजारी को काटने का प्राविजन धारा ६ की उपधारा ७ में है और इसलिये नियम बनाने की जरूरत नहीं हैं यह तरीका गलत सिद्ध होता है क्यों कि यह अन्तरिम प्रतिकर संबंधी जो नियम हैं वह उसी के मुताबिक हैं। जो ऐक्ट की धारा है उसमें यह है कि "इट शैल बी पेड इन ए प्रैस्क्राइब्ड मैनर" (यह निर्धारित रीति से दिया जायेगा) और यह प्रैस्क्राइब किये जायेंगे रूल्स के द्वारा यानी इनके लिये नियम निर्धारित किये जायेंगे । लिहाजा उनका यह कहना कि नियम की जरूरत नहीं होनी चाहिये यह सही नहीं है ।

दूसरी बात यह कही गयी कि यह मालगुजारी और कृषि आय-कर जो जमींदारों पर बाकी हो वह काटा न जाय वर्ना वह बरबाद हो जायंगे। इसके जवाब में मैं यह कहना चाहता हूं कि मालगुजारी को अन्तरिम प्रतिकर में से काटने की बात जब तक आयेगी तब तक वह बाकी ही नहीं रह जायगी इसलिये यह बेकार की बात है और अगर २, ४ की बाकी भी रह जाय तो वह कोई ऐसा सवाल नहीं होगा कि जिसके बारे में बहुत ज्यादा झगड़े की बात हो । कल मैंने यह कहा था कि अभी तक मालगुजारी ७५ फीसदी वसूल हो चुकी है लेकिन जब मैं यहां से वापिस आफिस में गया तो यह मालूम हुआ कि अभी तक हमारी रबी की माल-गुजारी ८५ फीसदी वसूल हो चुकी है । अगर १५ फीसदी मालगुजारी न देनेवाले बाकी रह जाते हैं उनके लिये यह डर की बात कही जाती है । अध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये से मेरे सामने जो भूमिधर बैठे हुए हैं जो पहले के जमींदार थे उनसे यह कहना चाहता हूं कि यह चीज उनके हित में नहीं है कि बकाया मालगुजारी या कृषि आय-कर कम्पेन्सेशन (प्रतिकर) तय करते वक्त कोई रह जाय । अगर उनकी समझ में यह बात आ जाय तो मुझे यकीन है कि फिर वह इस सवाल को नहीं उठायेंगे । जमींदारों की जो ग्रास इनकम (कच्ची निकासी) उस में से आय-कर और मालगुजारी को निकाल कर ही नेट एसेट (शुद्ध आय) आ जाते हैं अगर मालगुजारी और कृषि आय-कर १३५६ फ़० का बाक़ी होगा तो जब कि प्रतिकर तै किया जा रहा है उसको काट कर जो नेट असेट्स आयेंगे और उसका आठ गुना किया जायगा तब प्रतिकर आयेगा। मान लीजिये किसी की ग्रास असेट्स १०० रुपया आती हैं और उस की २५ रुपया मालगुजारी और दस रुपया कृषि आय-कर बाक़ी है यानी कुल ३५ रुपया इस तरह से बाक़ी है तो उसको बाक़ी ६५ रुपये का ही अठ गुना मिलेगा और अगर वह वह ३५ रुपया भी दे दे तो उस को १०० रुपया का आठ गुना मिलेगा । तो मैं आप के जरिये से अपने सामने वाले दोस्तों से कहूंगा कि आप तो खुद अपना ही नुक़सान कराना चाहते हैं और साथ ही अपने जैसे सैकड़ों जमींदारों का भी नुक़सान कराना चाहते हैं । तो मैं

आप के द्वारा उनसे निवेदन करूंगा कि यह आप ही के हित में नहीं है कि आप इस तरह की दलील दें। आप चाहे जिस ख्याल से ऐसा चाहते हों लेकिन इससे लाखों मध्यवर्तियों का नुक़सान हो जायगा और यह किसी के हित में नहीं है ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो अभी फ़रमा रहे थे कि इधर से जो कहा गया वह भावुकता में कहा गया और उसमें कोई दलील नहीं थी। ठीक है आपने यह क़ानून इस तरीक़े से बनाया है कि किसी जमींदार का बस नहीं है कि वह आगे कुछ कर सके । यह दूसरे पूर्व मंत्री जी ठाकुर हुकुम सिंह साहब की क़ाबलियत है और म उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा ऐक्ट पास कराया और मैं समझता हूं कि इससे अच्छा ऐक्ट हिन्दुस्तान में और कहीं नहीं बनाया गया होगा । जब भावुकता आप कहते है तो कोई सामान बाक़ी नहीं बचता लेकिन भावुकता के लिये भी आपके पास कोई स्थान नहीं, वह तो ऐसी चीज है जो निन्दनीय नहीं है कि आसानी से ठुकरायी जा सके लेकिन आपके हृदय में उसके लिये भी स्थान नहीं है तो जो चाहे मंत्री जी कह सकते हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि चाहे वह हमारी भूल समझ रहे हों लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्हें पता चल जायगा कि मैं भूल कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी भूल कर रहे हैं । जहां यह कहा जाता है कि ८५ फीसदी वसूली करली है, मैं कहूंगा कि कहीं एक दो जमींदार ऐसे होंगे । यह कहना कि बड़े जमींदारों ने ८५ फ़ीसदी वसूली कर ली हैं गलत है । आज कल लगान की वसूली में कितनी कठिनाई है उसको हम लोग समझते हैं, काश्तकार समझता है कि अब जमींदारी टूट चुकी है और अब ...

अध्यक्ष—माननीय सदस्य ग़लतफ़हमी से जवाब दे रहे हैं । यह मालगुजारी है जो ८५ फ़ी सदी वसूल हो गयी है, लगान नहीं है ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—मैं सुन नहीं पाया था । ख़ैर अगर मालगुज़ारी ही ८५ फ़ीसदी वसूल हो चुकी है तो और भी कठिनाई नहीं होनी चाहिये । महज १५ फ़ीसदी अब बाक़ी है जिसको सरकार आसानी से क्षमा कर सकती है । जो अदा कर सकते हैं वह जल्द से जल्द उसको अदा करने की कोशिश करेंगे लेकिन जो नहीं दे सकते हैं तो १५ फ़ीसदी की कौन सी बड़ी बात है ? वह छुट दे सकते हैं। जो नहीं दे पा रहा है उसको ज़रूर छोड़ देना चाहिये । क्यों कि उसकी मजबूरी है तभी वह नहीं दे पा रहा है । जो दलील मंत्री महोदय पेश करते हैं वह उल्टी दलील उन्हीं को लगती है। सरकार के पास भूमिधरी का इस क़दर रुपया रखा है वह उस में से ज़रासा भी काट कर दे दें तो उस का क्या घाटा हुआ जाता है ? अगर इधर से उधर एडजस्ट कर दिया जाय तो कौन सी दिक़्क़त है । आप दिल से चाहते हैं तो हर कठिनाई का सामना हो सकता है और उस पर आप विजयी हो सकते हैं । यह ग़लती हो सकती है या तो मै नहीं समझा या मंत्री जी नहीं समझे और यह भविष्य ही बतलायेगा कि भूल किस ने की, मैंने की या माननीय मंत्री जी ने की।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम ४८ निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन रख रहा हूं कि नियम ५१ की अन्तिम पंक्ति में शब्द "लौटा दी जायगी" के स्थान पर शब्द "आगे पाने वाली धनराशि में मुजरा कर दी जाय" रख दिये जायं।

मुझे इसके ऊपर कोई लम्बा चौड़ा भाषण नहीं करना है । इसे सब समझ सकते हैं कि सुविधा की दृष्टि से इस पर विचार करना है और इसीलिये यह संशोधन रखा गया है । ब्रजाय लौटाने के मैं चाहता हूं कि वह उनको प्राप्त होने वाली धनराशि में मुजरा कर दी जाय। जो मनुष्य वैभव सम्पन्न हो और उसकी लाखों की आय नष्ट हो जाय तो उसके सामने बड़ी विकट समस्यायें उपस्थित हो जाती हैं। यहां हमारे जमींदार भाइयों में मैं भी भूस्वामी का पुत्र हूं और मैं बहुत दिन पहले ही भूमिधर बन गया था जब कि आन्दोलन चला भी नहीं था । हमारे यहां ओले पड़ने से छूट हो गयी है । यदि सरकार मेरा संशोधन मान लेगी तो इससे हमारे कर्मचारी वर्ग को भी सुविधा होगी और मैं समझता हूं कि उनके इस चीज को समझने के लिये काफी समय होना चाहिये । जब तक पर्याप्त समय नहीं दिया जायगा वे नहीं समझ सकेंगे मैं यह नहीं कहता कि वह धनराशि छोड़ दी जाय बल्कि मैं तो यह चाहता हूं कि वह मुजरा कर दी जाय । मैं माननीय मंत्री जी से विनयपूर्वक प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे संशोधन को मान लें । इससे भूतपूर्व जमींदारों पर अच्छा असर पड़ेगा और उनको बड़ी सुविधा होगी।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—नियम ५१ में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि एक बांड लिखा जायगा । अगर अवधारित धनराशि से अधिक उनको किसी रूप में मिल जायगी तो वह लौटा दी जायगी । यह बिलकुल साफ़ बात है और उसके संबंध में इस प्रकार का संशोधन अनुचित है । यह तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति एक रक़म ले और उसमें कुछ अधिक हो जाय तो वह लौटा देनी चाहिये । यह कहना कि नहीं, वह रक़म प्रतिकर से काटी जाय, यह मैं नहीं समझ सकता कि किस तरह से न्याय पूर्ण और औचित्यपूर्ण है । जिन माननीय सदस्यों ने यह संशोधन उपस्थित किया है यदि वह स्वयं न्यायपूर्वक विचार करेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि बिलकुल एक सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति जो कोई धन ले और यदि वह अधिक हो जाय तो वापस कर दे । मैं आशा करता हूं कि वह इस पर विचार करेंगे और अपना संशोधन वापस ले लेंगे ।

श्री रणंजय सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विवाद करना नहीं चाहता क्यों कि सुविधा की दृष्टि से मैंने यह संशोधन उपस्थित किया था । मैं आशा करता हूं कि इसके मान लेने से कठिनाइयां कम हो जायंगी इसलिये इसको मान लिया जाय तो अच्छा है।

श्री चरण सिंह—आप की इजाजत से मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि यह दस्तावेज उसी समय भराया जायेगा जब कि इंटेरिम कम्पेन्सेशन (अंतरिम प्रतिकर) दिया जा रहा हो और उसकी शर्त यही होगी कि प्रतिकर जो उसको बाद को मिलेगा उससे अगर यह रुपया ज्यादा मिल गया हो तो जिस हद तक वह रुपया उस को ज्यादा मिल जाय उस हद्द तक वह उसको वापिस करने का जिम्मेदार होगा। क्या आप समझते हैं कि यह ज्यादा मिला हुआ धन उससे वापिस न लिया जाय ? आप का कहना यह कि जो धनराशि उसको बाद को मिले उसमें से मुजरा कर लिया जाय बाद को कोई धनराशि के मिलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता क्यों कि वापिसी का सवाल तो तभी उठेगा जब कि इंटेरिम कम्पेन्सेशन के समय उसको जो रुपया मिला है वह उसके कुल मिलने वाले प्रतिकर से ज्यादा हो गया हो। मेरा ख्याल है यह समझने की गलती है वरना यह सवाल ही न उठता।

श्री रणंजय सिंह---मैं अपने संशोधन को वापस लेना चाहता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अवधेश प्रताप सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्न-लिखित संशोधन जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल के नियमों में करना चाहता हूं---

"नियम ६१ की चौथी पंक्ति में अंक व शब्द '२ प्रतिशत' के स्थान पर अंक व शब्द '१/२ प्रतिशत' रख दिया जाय।"

अब मैं आप के द्वारा इस नियम को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं---

"धारा ५० और २७ के अधीन जिला जज तथा धारा ५१ और ५८ के अधीन हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली अपील के स्मरण पत्र पर देय न्यायशुल्क अपील के विषय के मूल्य का प्रतिशत होगा, और अन्य सब विषयों में न्याय शुल्क उतना होगा जितना कि आज्ञा के विरुद्ध अपीलों पर कोर्टफीस ऐक्ट १८७० के अधीन देय है।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मुझे यह कहना है कि बहुत से जमींदारों के पास इतना रुपया भी न बचेगा कि वे अपनी शिकायतों के लिये या अधिकारों की रक्षा के लिये डिस्ट्रिक्ट जज के पास या हाईकोर्ट में जा सकें । उसके लिये दो प्रतिशत इतना हैवी वेल्यू-एशन (भारी मूल्यांकन) है कि उस हिसाब से कोर्ट फीस दे कर अगर किसी आज्ञा के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट में अपील की जायगी तो उस में से बहुत सों के लिये यह असंभव हो जायगा और बहुत से लोगों को यह मालूम होगा कि वे अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते ।

बहुत से मुकदमे ऐसे हैं जहां कि उनके अधिकार है लेकिन कोर्ट फीस न होने की वजह से वे उसके लिये कुछ नहीं कर सकते हैं। बात यह है कि उनके पास तो कुछ न कुछ होगा ही । वे बिल्कुल पापर (अकिंचन) तो होंगे नहीं। अतः आपके द्वारा मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आधा परसेंट कर दिया जाय ताकि जमींदारों को अपने हकूक की रक्षा के लिये एक मौका मिल सके। आप सचमुच देखेंगे कि मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि महज दिखाने के लिये यह संशोधन पेश किया हो, परन्तु एक ऐसी कठिनाई उत्पन्न हो जायगी जमींदारों के सामने कि भविष्य में चल कर वे अपने हकों की रक्षा नहीं कर पायेंगे और बहुत सी ऐसी गलतियां हो जायेंगी, अगर आप दो परसेंट ही रखते हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं आशा करता हूं और आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं कि इस संशोधन को मान लेने में उनको कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, कोर्ट फीस ऐक्ट के मुताबिक १० या ११ परसेंट जो कि जायदाद की हैसियत होती है उस पर कोर्ट फीस देना पड़ता है। अगर कोई दीवानी में दावा करे या अपील करे तो हमने वहां सिर्फ २ परसेंट रखा है। अगर हम यहाँ २ परसेंट रखते तो आपको कोर्ट फीस ऐक्ट के मातहत १० या ११ परसेंट देना पड़ता। अब १० या ११ परसेंट की जगह आप ८ आने प्रतिशत कर देना चाहते हैं, इसमें कोई दलील की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। आठ आना भी किसी के लिये भारी हो सकता है क्योंकि उसमें ३२ पैसे होते हैं और ९६ पाइयां होती हैं। तो बजाय इसके कि गवर्नमेंट को इस बात के

[श्री चरण सिंह]

लिये दाद दिया जाय कि उसने १०-११ परसेंट के बजाय २ परसेंट रखा है, अब इस पर भी आधा परसेंट करने की बात की जाती है। मेरा तो यकीन है कि अगर ८ आने भी गवर्नमेंट की ओर से रखा गया होता तो किसी न किसी तरफ से दो आने की बात जरूर आजाती । मैं समझता हूं कि अब इसमें कमी करने की कोई गुंजाइश नहीं है ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को यह बतला देना चाहता हूं कि जो कोर्ट फीस कम करके उन्होंने दो परसेंट रखा है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं । लेकिन थोड़ी सी कमी और कर दें तो ज्यादा अच्छा है। उनकी ऐसी दलील कोई माने नहीं रखती कि आठ आने में ३२ पैसे होते हैं या ९६ पाइयां होती हैं। जहां तक दो परसेंट की बात है अगर उसमें कोई कमी कर दें तो अच्छा होगा। इससे जमींदारों को कुछ और फायदा हो जायगा। जहां आपने हर जगह उनका ख्याल रखा है वहां यह भी दो परसेंट की जगह आधा परसेंट कर दें तो उनका फायदा ही होगा। आपने जो दो परसेंट किया है उसके लिये हम आपके बहुत मशकूर हैं और आइन्दा हमारे बाल बच्चे भी आपके मशकूर होंगे, लेकिन जहां आपने दो परसेंट कर दिया वहां आप यहां आधा परसेंट कर दें। इसके लिये दलीलें तो बहुत रखी जा सकती हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप आधा परसेंट नहीं करना चाहते हैं तो जितना कम करना चाहते हैं उतना ही कम कर दें। दो परसेंट के बजाय एक परसेंट ही कर दें। इस पर भी अगर आप हठधर्मी करते हैं तो बात दूसरी है।

अध्यक्ष---क्या आप अपने संशोधन को वापस ले रहे हैं ?

श्री अवधेश प्रताप सिंह---जी नहीं । कुछ मंत्री जी भी घटें, कुछ हम भी बढ़ें तो कुछ हो भी जाय ।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नियम ६१ की चौथी पंक्ति में अंक व शब्द "२ प्रतिशत" के स्थान पर अंक व शब्द "१/२ प्रतिशत" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रणंजय सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन रख रहा हूं कि नियम ६१ की पंक्ति ४ में अंक '२' के स्थान पर '।)' रख दिया जाय तथा शब्द 'होगा' के उपरान्त अर्धविराम के चिन्ह को हटा कर उसके स्थान पर शब्द 'परन्तु ५० रुपये से अधिक नहीं होगा' रख दिये जायं ।

इसमें अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत विचार प्रकट किया जा चुका है और यह अगर स्वीकार कर लिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। इतने शब्दों के साथ मैं यह संशोधन रखता हूं ।

श्री चरण सिंह---मैं समझता हूं कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ मैं पहले कह चुका हूं वही काफी है।

श्री रणंजय सिंह---तो मैं इसको वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि वर्तमान नियम ६२ के स्थान पर निम्नलिखित नया नियम ६२ रख दिया जाय ---

"६२---नियम ७५ को बाधित न करते हुये प्रतिकर की धनराशि का १/३ रुपया नकद और बाकी ऐसे बेचा-बिक्री करने योग्य बन्धे (negotiable bonds) में दिया जायगा जिन्हें जमींदारी विनाश प्रतिकर बन्ध कहा जायगा और वे पब्लिक डेट ऐक्ट, १९४४

(ऐक्ट संख्या १८, १९४४) और उसके अधीन बनाये गये पब्लिक डेट रूल्स, १९४६ के provisions के अधीन होंगे किन्तु इन निदेशों (provisions) में ऐसे परिष्कार (modifications) कर दिये जायेंगे जिससे उत्तराधिकारी का प्रमाण-पत्र (succession certificate) शीघ्रता से और नाममात्र शुल्क (Nominal fee) दिये जाने पर ७४ प्राप्त किया जा सके।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---एक प्वाइंट आफ आर्डर (विधान का प्रश्न) है। मैं श्रीमान् का ध्यान इस प्रस्तावित संशोधन के अंतिम भाग की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है पब्लिक डेट ऐक्ट, १९४४ (ऐक्ट संख्या १८,१९४४) और उसके अधीन बनाये गये पब्लिक डेट रूल्स, १९४६, के निदेशों (provisions) के अधीन इसके आगे। किन्तु इन निदेशों (provisions) में ऐसे परिष्कार (modifications) कर दिये जायेंगे जिससे उत्तराधिकार का प्रमाणपत्र (suceession certificate) शीघ्रता से और नाममात्र शुल्क (Nominial fee) दिये जाने पर प्राप्त किया जा सके।

तो हम तो जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के रूल्स पर विचार कर रहे हैं। लेकिन इसमें कहा गया है कि पब्लिक डेट रूल्स १९४६ ,के जो निदेश हैं उनमें ऐसे परिष्कार कर दिये जायेंगे जिससे उत्तराधिकार का प्रमाण-पत्र शीघ्रता से दिया जाय। वह चीज आउट आफ आर्डर (नियम प्रतिकूल) है क्योंकि हम पब्लिक डेट रूल्स या उनके निदेशों पर यहां सुधार करने नहीं बैठे हैं। तो यह अंश नहीं ठीक है। बाकी अंश का जो सुधार है उस पर आप बहस कर सकते हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह---मैं आप की बात को मानता हूं। जितने हिस्से को सरकार वैधानिक समझती है, उतने को ही मैं पेश करने के लिये तैयार हूं। मैं समझता हूं कि जिस तरह से सरकार इसको माने, उसको ठीक किया जा सकता है।

अध्यक्ष---वह मानने का प्रश्न नहीं है। आप को ऐसा संशोधन पेश करना पड़ेगा, जो कि वैधानिक रीति से ठीक होगा।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, मेरा विचार यह है कि इसमें वैधानिक आपत्ति नहीं उठती, इसलिये कि यदि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के रूल्स बने और उसमें सरकार ने यह तय किया कि हमको इस तरह काम करना है और उसे तय करने के बाद किसी दूसरे ऐक्ट को बदलने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसका बदलना नेचुरल कांसिक्वेंस (स्वाभाविक प्रतिफल) हो जाता है। उसी प्रकार यहां भी यदि कोई बदली किसी कानून में करना होगी तो वह तो करना ही पड़ेगी। अब सवाल यह है कि यह चीज मानी जाय या न मानी जाय। यदि मानी जाय और सरकार यह तय कर ले कि ऐसा करना है तो किसी कानून में जो बदली करना होगी वह हो सकती है।

अध्यक्ष---क्या माननीय राजस्व मंत्री इस पर प्रकाश डालेंगे कि डेट ऐक्ट में परिवर्तन करने के संबंध में उनकी क्या मंशा है?

श्री चरण सिंह---पब्लिक डेट ऐक्ट में जो रूल्स हैं उनमें हमारी कोई मंशा परिवर्तन करने की नहीं है। हो या न हो इसकी बाबत रूल्स में ऐसा रखना कि ऐसा किया जायगा यह अध्यक्ष महोदय में आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं बिलकुल मुनासिब नहीं है और न किसी रूल में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अपने इरादे को बयान करे कि हम ऐसा करेंगे। इसके अलावा हम यह भी नहीं कह सकते कि इस गवर्नमेंट को ऐसा अधिकार भी होगा या नहीं होगा।

अध्यक्ष---रूल्स में संशोधन करने का गवर्नमेंट को अधिकार है।

श्री चरण सिंह——शायद इसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया की इजाजत की जरूरत पड़ेगी।

अध्यक्ष——यह गवर्नमेंट आफ इंडिया का ऐक्ट है?

श्री चरण सिंह——मैं इस वक्त ठीक नहीं कह सकता।

अध्यक्ष——तो यह शंका की बात है। ऐसी हालत में मैं इसको अवैधानिक करार नहीं देता। अगर यह सदन मंजूर करता है तो डेट ऐक्ट में तब्दीली करने वाला नियम आप बना सकते हैं। ऐसी अवस्था में मैं इसको अवैध नहीं करार देता हूं। आप इसको पेश कर सकते हैं। यह बात दूसरी है कि अगर रूल्स बदलना न हो तो सदन इसको नामंजूर कर दे और इस तरह यह खत्म हो जायगा।

राजा वीरेन्द्र शाह——अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा अनुगृहीत हूं कि आप ने मौर्य जी की बात को नहीं माना। श्रीमान् मेरा इस संशोधन को पेश करने का अभिप्राय यह है कि इस सम्बन्ध में श्रीमान् जी मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि मुझे जमींदारी के मुताल्लिक जिक्र करना पड़ेगा। सरकार ने यह निश्चय किया था कि छोटे जमींदार जो ढाई सौ रुपये तक के हैं और जो तादाद में २० लाख के करीब हैं उनको नगद कम्पेंसेशन (प्रतिकर) दिया जायगा। यह इरादा इतना मजबूत था कि सरकार ने एक नयी योजना बना करके काश्तकारों से दस-गुना लगान के लिये करोड़ों रुपया खर्च किया और एक नये तरीके से भूमिधर बनाने की योजना सरकार ने ईजाद की। उसका जो परिणाम हुआ वह हमारे भवन के सदस्यों को मालूम है कि वह नाकामयाब हुआ, जनता से रुपया भी लिया गया है और जिस काम के लिये लिया गया उसमें खर्च न कर के वह दूसरी जगह व्यय हुआ। उसकी शिकायत करने के लिये मैं इस वक्त खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं यह कहने के लिये खड़ा हुआ हूं कि जो नियम आप ने बनाया है उसके जरिये से जो आप जमींदारों को देना चाहते हैं उसको मैं पढ़ना चाहता हूं ताकि भवन के लोग समझें कि सरकार जमींदारी को लेकर अब क्या देने जा रही है।

नियम ७५ को बाधित न करते हुये प्रतिकर (compensation) ऐसे अधिनियम योग्य बंधों (non-negotiable Bonds) में दिया जायगा जिन्हें जमींदारी विनाश प्रतिकर बन्ध कहा जायगा और ये पब्लिक डेट ऐक्ट, १९४४ (ऐक्ट संख्या १८, १९४४) और उसके अधीन बनाये गये पब्लिक डेट रूल्स, १९४६ के निदेशों (provisions) के अधीन होंगे।

इसमें यह स्पष्ट है कि सरकार ४० वर्ष में प्रतिकर देगी। इसमें कोई ऐसा नियम नहीं रखा गया कि छोटों और बड़ों में कोई अन्तर रखा गया हो जैसा कि सरकार हमेशा से कहती चली आयी कि हम छोटों के हमराह हैं और बड़े जमींदार तो केवल बात ही कहते हैं। मैं देखता हूं कि जब सरकार खुद जमींदार बनी तो उसने जमींदारों से भी ज्यादा सख्त नियम बनाये और प्रतिकर देने के लिये जहां सरकार अपना लाभ सोचती है तो फिर यह नहीं देखती कि वह क्या-क्या वादे कर चुकी है और पहले क्या कहती थी और अब उसको भूल कर छोटे और बड़े सभी जमींदारों के ऊपर यह भार डाल रही है कि ४० वर्ष में वह भुगतान होगा। श्रीमान् मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश की जो हालत है उसके अनुसार एक साधारण मनुष्य की आयु २० वर्ष के अन्दर होती है। आज सरकार यह चाहती है कि प्रतिकर देने में ४० वर्ष लगायें तो उसकी दो पुश्त के लिये आप ठेका ले रहे हैं। पांच साल, दस साल या पन्द्रह साल तो समझ में आ सकता है, लेकिन एक युग रख देना मेरी समझ में नहीं आता। पता नहीं एक युग में इस भारतवर्ष का क्या नक्शा हो। इससे अच्छा तो यह होता कि सरकार यह कह देती कि हम प्रतिकर नहीं देना चाहते, यह प्रांतीय सरकार की ताकत में नहीं है कि वह कम्पेन्सेशन दे और कह दिया जाता कि हम वादा नहीं करते, जो कुछ हो सकेगा दिया जायगा और तुम्हारी जमींदारी हमने जब्त की।

अब मैं संशोधन पर आता हूं। मेरा संशोधन यह है, श्रीमान्, कि अंतरिम कम्पेंसेशन आप देने जा रहे हैं। यह भी ९ महीने के बाद जब कोई दरख्वास्त देगा तब उसकी प्रार्थना सुनी जायगी। सालों लग जायेंगे आपको कम्पेन्सेशन डिटरमिन (निश्चित) करने में।

तो इतने साल के बाद उसको कुछ रुपया मिले तो कम से कम इतना तो मिले कि उतने दिनों में जो उसने उधार खाया है उसकी अदायगी तो कर सके। मेरे संशोधन का यह मतलब है कि आप कम से कम जितना सरकार नेकनियती से उचित समझे उतना तो दे। आखिर जमींदार भी तो इस देश की जनता हैं वह भी इस प्रांत के रहने वाले हैं। उनका भी एक जनहित का काम है। सरकार को यह देखना चाहिये कि विंडिक्टिव नेचर (प्रतिशोधात्मक स्वभाव) से वह कोई ऐसी चीज तो नहीं कर रही है कि जिससे जनता को उतना लाभ भी न हो, लेकिन इन गरीब छोटे छोटे जमींदारों और बड़े जमींदारों का सर्वनाश हो जाय। इस लिये मेरा यह संशोधन है। मैं इसलिये नहीं खड़ा हुआ हूं कि आप की स्कीमों का विरोध करूं। बुरी हों या अच्छी हों वह तो हमें झेलना ही है, प्रांत को भुगतना ही है। मैं आप को यह बतलाना चाहता हूं कि हमारा संशोधन इतना ही कहता है कि आप जो प्रतिकर दे रहे हैं उसमें न हम कुछ बढ़ाना चाहते हैं और न कुछ घटाना चाहते हैं। लेकिन हम यह कहते हैं कि जो कुछ आप हमें दे रहे हैं उसमें से १/३ हमें नकद दे दिया जाय और बाक़ी का हमें निगोशियेबिल बांड्स में दिया जाय। लेकिन आप ने रखा है नान-निगोशियेबिल बांड्स। इसके माने यह हैं कि इसकी कोई क़ीमत नहीं पा सकते।

मुझे आश्चर्य होता है कि सरकार इतनी बड़ी जायदाद खरीद रही है और उसके बदले जो काग़ज की हुन्डी हमें दी जा रही है उसकी कोई क़ीमत नहीं है। उस हुंडी को बाजार में कोई नहीं पूछेगा तो क्या यह सरकार को शोभा देता है और हमारे देश की आप किसी चीज़ को ख़रीदते हैं और कम्पेंसेशन में आप करते हैं कि जो रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। इस तरह से तो आप के बांड्स हो गये। इनकी कोई क़ीमत नहीं होगी। एक कागज पर सरकार ने लिख दिया कि इतना रुपया इतने साल बाद मिलेगा। श्रीमन्, दफ्तर का कोई आदमी भले ही उसकी क़द्र करे लेकिन पब्लिक में उसकी कोई क़द्र नहीं होगी।

श्रीमन्, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी जायदाद खरीदने जा रहे हैं। जब कोई खरीदता है तो कम से कम उसकी क़ीमत तो देता ही है। सरकार उसकी क़ीमत नहीं दे रही है। यह वह भी मानते हैं और मैं भी मानता हूं, जो कुछ दे रही है वह नेकनियती से, साफ दिल से और प्रेम से तो दे और यह कहा जाय कि हम इतना दे रहे हैं और आगे चल कर अगर होगा तो और देंगे। इस तरह से कह दिया कि हमने इतने लाख रुपये के बांड्स दे दिये। हमारी जनता अपढ़ है। जो छोटे-छोटे जमींदार गांवों में रहते हैं वह समझेंगे कि इतनी बड़ी चीज मिल गयी क्योंकि लोग बनियों की हुंडी को जानते है। तो फिर इन पर तो सरकार की मुहर होगी वह क्यों नहीं भुलावे में आ जायंगे। मैं कहता हूं कि वह भुलावा न करें और सही रूप में जो कुछ देना हो वह दें।

यदि माननीय मंत्री जी इसमें कुछ संशोधन करना चाहें तो कर सकते हैं और इसके मुताल्लिक उनसे बात भी कर सकता हूं। कमेटी में भी मैंने इस पर जोर दिया था तो मंत्री जी ने यह कहा कि तुम हमेशा जमींदारी उन्मूलन बिल से ही यह कहते चले आ रहे हो, हम नहीं सुनते। मुझे यह मौका मिला है। मैं भवन को और प्रांत की जनता को बतलाना चाहता हूं कि वह यह देखें कि हमारी सरकार जो यह काम करने जा रही है उससे कितनों को फायदा हो रहा है और कितना अन्याय दूसरों के साथ कर रही है। वह यह पाप का घड़ा बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। सरकार बरदाश्त कर ले, लेकिन किसान धर्म को मानते हुये इस चीज को कभी नहीं मानेगा।

मैं आपके जरिये से यह बतलाना चाहता हूं कि मेरा कोई अभिप्राय नहीं है कि समय का नाश करूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम इसका विरोध करते हैं और सरकार हमारा संशोधन स्वीकार कर ले कि हमें १/३ नक्द दिया जाय और बाक़ी का निगोशियेबिल बांड्स में दिया जाय वर्ना हम पसन्द करेंगे कि यह कह दिया जाय कि तुम्हारी प्रापर्टी (सम्पत्ति)

[राजा वीरेन्द्र शाह]

कान्फिस्केट (जब्त) कर ली गयी और तुमको कुछ नहीं मिलेगा । इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैं वीरेन्द्र शाह जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार जो कुछ प्रतिकर के रूप में देना चाहती है वह बहुत नेकनियती से और प्रेमपूर्वक देना चाहती है । इसमें उनके दिल में किसी प्रकार का ऐसा सन्देह हो तो मैं नहीं समझ सकता कि वह सन्देह कैसे पैदा हुआ । मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि नियम ७५ के अन्तर्गत वह देखेंगे कि ५० रुपये तक नक़द देने का प्राविजन रक्खा गया है और ५० रुपये तक देने वाले जमींदारों की संख्या जितनी बड़ी होगी उसका हिसाब लगा कर देखा जाय तो बहुत बड़ी रक़म इस प्रकार नक़दी के रूप में जमींदारों को दी जायगी। अगर उनका संशोधन मान लिया जाय तो इसका मतलब यह होगा कि जितने भी जमींदार हैं सब को १/३ रकम नकदी के रूप में दी जाय। खुशी से नकदी के रूप में दिया जाना कबूल किया जाता है । अगर सरकार के पास उतना रुपया होता कि जमींदारों को नक़द दिया जाय तो जरूर दिया जाता । हम तो चाहते थे कि नकद ही दिया जाय और किसी प्रकार यह जो अड़चन रास्ते में पड़ रही है नक़दी के देने में वह न पड़े । अगर हमारे दिल में इस प्रकार का कोई भी भाव होता कि हम जमींदारों को नेकनियती के साथ नहीं देना चाहते तो बावजूद इसके कि सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने हर प्रकार का आन्दोलन किया कि कम्पेनसेशन न दिया जाय हमने उनको कम्पेनसेशन देना मंजूर किया । जो कम्पेनसेशन की रक़म मंजूर की गई वह भी काफी अच्छी रकम है और पुनर्वासन अनुदान की जो रकम दी जा रही है वह भी काफी सन्तोषजनक है। मगर दिक्कत यह है कि इस संशोधन के जरिये जितना रुपया देना पड़ेगा उतना रक़म नकद देना असंभव है । इसके लिये अगर हम कहें कि नकद रुपया भूमिधरी के द्वारा जमा नहीं हो सका इसमें जमींदारों का भी हाथ है तो उनको यह बात खुशी से स्वीकार कर लेनी चाहिये । जो कुछ उन्होंने किया, जो वक्तव्य उन्होंने दिये और जो वह चाहते थे कि भूमिधरी रुपया न जमा हो, अगर इसमें उनको कामयाबी हुई तो इसको उनको स्वीकार कर लेना चाहिये । अगर रुपया पूरा-पूरा जमा होता तो आज हमारे जमींदार साहबान को इस संशोधन को लाने की आवश्यकता न पड़ती । मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि इस संशोधन के स्वीकार करने में कठिनाई है । नान-निगोशियेबिल बांड्स के बारे में उन्होंने कहा कि ये रद्दी के टोकरी में जायंगे, कोई पूछेगा नहीं । यह उनका ग़लत ख्याल है । गवर्नमेंट के जो बांड्स होंगे वे जब तक जनता का गवर्नमेंट में विश्वास है तब तक बांड्स की भी क़ीमत है । नान-निगोशियेबिल बांड्स का अगर किसी ने यह अर्थ समझा है कि ट्रान्सफरेबिल नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, वे ट्रान्सफर (हस्तान्तरित) हो सकेंगे । जमींदार साहबान अगर उनको बेचना चाहें तो जैसे और जायदाद बेची जा सकती है वैसे ही बेच सकेंगे । जमींदार साहबान नान-निगोशियेबिल बांड्स के जरिये से भी नक़दी के रूप में रुपया प्राप्त नहीं कर सकेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये नान-निगोशियेबिल बांड्स ट्रान्सफरेबिल हैं । आप निगोशियेबिल बांड करने के लिये संशोधन करना चाहते हैं लेकिन हमने नान-निगोशियेबिल बांड इसलिये रखा है कि जमींदार साहबान अपने बांड का इस्तेमाल सही ढंग से कर सकें उनके जो उत्तराधिकारी हों उनके लिये वह चीज खतरनाक सिद्ध न हो जाय । मनुष्य की बुद्धि है वह सब समय ठीक नहीं रखती है । कभी क्षणिक आवेश में आ कर उसका ग़लत इस्तेमाल न हो जाय इसलिये हमने उनके लिये रजिस्ट्री कराने की बात रखी है । रजिस्ट्री करने के लिये उनको कुछ समय मिलेगा और कुछ विचार करने का अवसर होगा । ग़लत तरीके पर न बेचे जा सकें और दुरुपयोग उनका न हो । उनको बेचने का अधिकार तो रहता ही है वह किसी को भी चाहें ट्रान्सफर कर सकते हैं, लेकिन वह रजिस्ट्री के जरिये हो तो अच्छा है । इस वजह से हमने नान-निगोशियेबिल बांड रखा है । इसमें कोई किसी तरह से दिक्कत नहीं होती है । मैं यह समझता हूं कि सब जमींदारों की यह राय नहीं हो सकती कि इनको निगोशियेबिल कर दिया जाय।

पब्लिक डेट ऐक्ट के अन्दर कुछ संशोधन करने की बात कही गई उसमें नहीं बताया गया कि इन नियमों में फिर किस प्रकार से संशोधन किया जाय । उस ऐक्ट में संशोधन करना तो इन नियमों के मुताबिक कुछ कठिन होगा । पब्लिक डेट ऐक्ट को देखना होगा, उसके अधिकारों को देखना पड़ेगा। उसमें इस तरह का संशोधन कर दिया जाय और फी नामिनल (नाम मात्र) कर दी जाय वह उस ऐक्ट के लिये मुनासिब नहीं हो सकता है । वह सिर्फ आप अपने लिये संशोधन चाहते हैं या जनरल तरीके से ? मैं तो आप से यही कहता हूं कि हमने जो यह नान-निगोशियेबिल बांड रखा है आप इस पर गौर करें । आप को इस पर विश्वास होना चाहिये । सरकार ने सब तरह से जमींदारों का हित समझ कर ही इसको ऐसा किया । अब इसमें किसी तरह का कोई संशोधन नहीं होना चाहिये । जिस तरह से भी हम आप को एकोमोडेट कर सकते थे उस तरह से करने की कोशिश की है ।

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोबिन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, म माननीय वीरेन्द्र शाह द्वारा उपस्थित किये गये संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक प्रतिकर का प्रश्न है इस प्रश्न पर उत्तर प्रदेश की जनता में और भवन में बहुत दिनों से वादविवाद है और खास कर जब से कि इस भवन में जमींदारी विनाश विधेयक लाया गया है तब से तो इस की गर्म चर्चा है। श्रीमन्, सिद्धांतों में और प्रतिकर के सिद्धांत में हर तरफ से बहुत सी दलीलें दी गई हैं और दी जाती हैं। कहा जाता है कि हस्तांतरण करने के पहले प्रतिकर देना आवश्यक है। कोई कहता है कि नक़द देना चाहिये, कोई यह भी कहता है कि प्रतिकर नहीं देना चाहिये और यही नहीं हमारे ही भारतवर्ष में किसी जगह पर जमींदारी लेने पर प्रतिकर दिया भी नहीं गया है। सवाल जब प्रतिकर का उठता है तो सरकार के द्वारा उन की असमर्थता इस बात पर दिखाई जाती है कि सरकार के पास रुपया ही नहीं है तो प्रतिकर कहां से दिया जाय। प्रश्न यह है कि बहुत सी ऐसी योजनायें हैं और देश के कार्य हैं जो कि हमको करने हैं और जिन को सरकार करना चाहती है परन्तु उन के लिये रुपया नहीं है इसलिये वह स्थगित रखे जाते हैं।

जहां तक प्रतिकर का इस संशोधन से संबंध है इस संशोधन के द्वारा यह निवेदन किया गया है कि प्रतिकर का एक तिहाई हिस्सा नक़द और बाक़ी निगोशियेबिल बांड्स में दिया जाय, जब कि सरकार की मन्शा है कि प्रतिकर केवल नान-निगोशियेबिल बांड्स में दिया जाय। विधेयक में यह साफ दिया गया है कि प्रतिकर सरकार चाहे तो नक़द या बांड में या पारशियली कैश (थोड़ा नक़द) और पारशियली बांड में दे। हमारे माननीय मौर्य जी ने इस संशोधन पर आपत्ति प्रकट करते हुये कहा कि सरकार को नेकनियती और ईमानदारी और जो सरकार का जमींदारों के प्रति प्रेम है उस पर सन्देह नहीं करना चाहिये । सन्देह हो भी नहीं सकता है और सन्देह करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है जब कि साफ जाहिर है कि इन जमींदारों की जिनकी जमींनें ली जा रही हैं उनको किसी शक्ल में प्रतिकर दिया जायगा। इन नियमों के द्वारा उन जमींदारों को जिनको ५० रुपये तक प्रतिकर मिलना चाहिये नक़द दिया जायगा और उसके बाद अगर ५१ रुपया भी हुआ तो उनको नान-निगोशियेबिल बांड्स मिलेंगे । आपकी आज्ञा से भवन को यह बतलाना चाहूंगा कि माननीय सदस्यगण ज़रा इस बात पर ध्यान दें कि ५० रुपये से ऊपर का जो प्रतिकर है वह कितना होता है और किस स्वरूप में जमींदारों को मिलेगा । ६० रुपया जिसका प्रतिकर होता है उसको हर छमाही में १ रु० ३ आ० १ पा० मिलना चाहिये । आप ही खयाल करें कि जिस जमींदार की जमींदारी ले ली गयी हो चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो चाहे उस का प्रतिकर २० रुपये का हो या २० लाख का हो, प्रश्न यहां पर सिद्धांत का उठता है । जिसकी जमींदारी ले ली गयी हो उस को हर छमाही में नान-निगोशियेबिल बांड्स के द्वारा १ रु० ३ आ० १ पा० प्रति कर मिले तो जैसा कि मौर्य जी ने कहा कि सरकार का जमींदारों के प्रति और खास कर छोटे जमींदारों के प्रति

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

नेकनियती और प्रेम जाहिर है सरकार की ओर से कहा जाता है कि हम नक़द देते यदि हमारे पास रुपया होता । बहुत दफ़ा यह पहले भी कहा गया और अब भी कहा जाता है कि इस रुपये का प्रबंध करने के लिये सरकार ने एक योजना बनायी जिसे जमींदारी अबालिशन फंड कहते हैं । यदि जमींदारों ने उसके खिलाफ़ मीटिंग न की होती और उसका विरोध न किया होता तो रुपया आ जाता और प्रतिकर नक़द में दे दिया जाता । श्रीमन्, कहा तो यह जाता है कि इस तरह का विधेयक इस सरकार के लिये इस सूबे में लाना आवश्यक हो गया था इसलिये कि जमींदारों को काश्तकार और जमींदार के बीच में नहीं रहना चाहिये था । और चूंकि जमींदारों का काश्तकारों के साथ जैसा सलूक़ होना चाहिये था वैसा नहीं था, बल्कि काश्तकार जन्जीरों में जकड़ा हुआ था और पहली जुलाई को हमारी सरकार ने उसका डे आफ़ लिबरेशन (मुक्ति दिवस) मनाने के लिये ढ़ाई लाख रुपया ख़र्च किया । तो ऐसी स्थिति में जब कि सरकार वग़ैर यह सोचे कि १८० करोड़ रुपया जमा भी हो सकेगा या १८० करोड़ का टारगेट (लक्ष्य) रखती है और जब कि उतना वसूल नहीं होता तो जमींदारों को दोष दिया जाता है कि उन्होंने इस फंड की मुखालिफ़त की और काश्तकारों ने उनकी बात में आ कर रुपया नहीं दिया । तो, श्रीमान्, जो काश्तकार जंजीरों में जकड़ा हुआ था और पहली जुलाई को आजादी यानी डे आफ़ लिबरेशन मनाने के लिये सरकार ने ढ़ाई लाख रुपया ख़र्च किया और जो काश्तकार मनाता होगा कि कब जमींदारी जाय और पहली जुलाई को प्रफुल्लित और नाचता फिरता होगा, तो यह सोचने की बात है कि वह काश्तकार इसलिये रुपया जमींदारी अबालिशन फंड में न दे कि जमींदारी बच जाय, यह कहां तक ठीक हो सकता है । मैं मानता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी का कहना कुछ हद तक सत्य भी है । जमींदारों ने अपनी एक सभा में एक ऐसा प्रस्ताव पास किया था कि जमींदारी अबालिशन फ़ंड की योजना उसको पसन्द नहीं है परन्तु मेरा यह ख़याल है कि उनका वह विरोध मीटिंग तक रह गया । किसी जमींदार ने अपने व्यक्तिगत रूप में कहा भी होगा लेकिन श्रीमन् मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई जमींदार ऐसी कोशिश भी करता कि १० गुना लगान दिया जाय तो भी सरकार उसकी सुनने वाली नहीं था और अगर कोई जमींदार काश्तकारों से इस बात को कहता कि १० गुना लगान दिया जाय तो उसकी इस बात को मानने वाला कौन था ? जब कि सूबे में इतना रुपया नहीं है, जब कि काश्तकार के पास रुपया नहीं है, जब कि काश्तकार पददलित हो रहा है, जब कि काश्तकार की हड्डियां दिखलाई दे रही हैं, जब कि काश्तकार को पेट भर खाने को नहीं मिल रहा है, ऐसी हालत में १८० करोड़ का टारगेट बनाना और फिर कहना कि जमींदारों की वजह से वह रुपया वसूल नहीं हुआ, किसी तरह से भी न्यायसंगत नहीं है ।

सरकार अपनी नेकनियती दिखाते हुये यह भी कहती है कि इस प्रदेश की सोशलिस्ट प्रतिकर देने के पक्ष में नहीं है और वह जमींदारों को उनके खिलाफ़ प्रतिकर दे रही है । सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेज पार्टी में तो कई सिद्धांतों पर मतभेद है । सवाल तो यह है कि क्या आप प्रतिकर इसलिये दे रहे हैं क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी का कहना है कि प्रतिकर न दिया जाय या कि आप प्रतिकर दे कर जमींदारों के ऊपर कोई अहसान कर रहे हैं । जब आप एक सिद्धांत को मानते हैं तो आपको प्रतिकर देना ही होगा, । आप मानते हैं कि किसी की चीज जब ली जाय तो उसको कम्पेंसेशन दिया जाय । इसमें किसी के मेहरबानी का सवाल नहीं है । आप किसी बात को आवश्यक समझते हैं, सोशलिस्ट पार्टी आवश्यक नहीं समझती और कम्युनिस्ट पार्टी तो उससे भी आगे है । इसलिये यह कहना कि सरकार सोशलिस्ट पार्टी के रहते हुए भी जमींदारों के साथ मेहरबानी कर रही है कुछ ठीक मालूम नहीं होता । अगर किसी का प्रतिकर ६० रुपया है तो उसको हर छः माही में १ रु० ३ आना १ पाई मिलेगा वह सरकार की महरबानी का नमूना है ।

श्रीमन्, हमारे माननीय मौर्य जी ने कहा कि हम नान-निगोशियेबिल बांड्स जान कर दे रहे हैं । उन्होंने यह नहीं कहा कि इससे रिजर्व बैंक के द्वारा आपत्ति होगी । उन्होंने यह भी कहा कि बांड्स अगर निगोशिएबिल रहते हैं तो वे एक प्रकार से करेंसी हो जाएंगे ।

और जमींदार चूंकि बिगड़े हुये हैं वे अपने बच्चों के लिये कुछ भी नहीं छोड़ेंगे । श्रीमन्, जमींदारों के बच्चों के लिये तो सरकार का प्रेम जाहिर ही है । मैं तो आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि चाहे प्रतिकर दें और चाहे प्रतिकर न दें चाहे उनकी क्लास मरे या जिये परन्तु ईश्वर के लिए इस भवन में या इसके बाहर सरकार किसी भी प्रश्न पर पब्लिक मोरेलिटी की कस्टोडियन (जनता की नैतिकता के अधिष्ठाता) बनने का प्रयत्न न करे। सरकार कहती है कि जमींदार लोग प्रतिकर का रुपया उड़ा देंगे, फूंक देंगे। केवल किसी तस्वीर को एक ही ओर देखना कहां तक न्याय है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यदि मुझे प्रतिकर ५० हजार रुपया नकद मिल जाय तो मैं उससे कोई ऐसा काम शुरू कर दूं जिससे मेरे बच्चों की जीविका और मेरे बच्चों की पढ़ाई जारी रहे ? ५० हजार के प्रतिकर पर अगर मुझे छमाही बांड मिलेगा तो वह ९९२ रु० ५ आने ९ पाई होगा। मान लीजिये कि मेरा बच्चा देहरादून कालेज में पढ़ रहा है। कोई माननीय सदस्य यह नहीं कहेंगे कि देहरादून कालेज में बच्चे को भेजना बुरा है बल्कि मेरा तो यह विश्वास है कि माननीय सदस्य यह कहेंगे कि जहां तक हो सके वहीं उसे पढ़ने देना चाहिये क्योंकि वह बड़ा उत्तम स्कूल है। तो उस ९९२ रुपये में जो मुझे खर्च के लिये छमाही मिलेगा उसी में मुझे अपने बच्चे को वहां पढ़ाना है और जिस तरह से हम अब तक रहते हैं, लक्जरी के तौर पर नहीं, मोटर कार वगैरह रख कर नहीं बल्कि जिसे स्टैंडर्ड आफ लीविंग (जीवन स्तर) कहते हैं उसी को कायम रखना है तो मैं आपके द्वारा सरकार से पूछूंगा कि अगर मुझे ५० हजार रुपया नकद मिल जाय, नेगोशियबिल बांड की सूरत में मिल जाय और उसको किसी इंडस्ट्री (उद्योग) में लगा दूं अपनी खेती बढ़ा लूं, अपने फार्म्स को मेकेनाइज्ड (यंत्रित) करूं और किसी न किसी तरह से अपनी आमदनी का जरिया बढ़ा लूं तो क्या यह बुरा होगा? क्या यह मेरे बच्चों के लिये या देश के लिये कोई बुरी बात होगी? यह देश के लिये कोई हानि की बात होगी? जमींदार किसी न किसी तौर से अपने स्टैन्डर्ड को कायम रखना चाहते हैं। स्टैन्डर्ड के मानी कोई लक्जरी (विलासिता) की बात नहीं है, यह नहीं कि उनके पास ४-५ मोटरें हों बल्कि किसी देश के लिये जो अच्छा स्टैन्डर्ड आफ लिविंग समझा जाता है। श्रीमन्, मैंने अभी आपसे निवेदन किया ६० रुपया जिसका प्रतिकर होगा उसे एक रुपया ३ आने १ पाई छमाही मिलेगा, जिसका ८० रु० प्रतिकर होगा उसे १ रु० ९ आने। ऐसे ही जिसका १०० रु० प्रतिकर होगा उसे १ रु० १५ आने ९ पाई छमाही मिलेगा। तो यह कहना कि हम बांड इसलिये दे रहे हैं कि जमींदारों की आदतें बुरी हैं, उनके लड़के-बच्चे भूखे मरने लगेंगे, इसलिये कि जमींदार तो अपने बांड्स को बेंच देंगे कदापि न्यायसंगत नहीं ।

श्रीमान्, आपके द्वारा मैं माननीय सदस्यों का ध्यान फिर इस ओर दिलाऊंगा कि कुछ लोग जिनकी आदतें बिगड़ी हुई हैं वे कितने लोग हैं जो ऐसी बातें किया करते हैं और शायद आगे भी करें और अपने लड़कों व बच्चों का ख्याल न करें? ऐसे जमींदार वे ही ३९० हैं जिनको अपने परिवार की और अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं रही है और आगे नहीं रहेगी। तो इन ३९० जमींदारों के बच्चों को बचाने के लिये १८,१५ या १० लाख जमींदारों को हानि पहुंचाना न्यायसंगत होगा? आप देखेंगे कि आपका प्रिन्सिपल भी यही है कि जमींदारों को इस तरह से प्रतिकर दिया जाय कि वे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें और अपने बच्चों के लिये कुछ इंतजाम कर सकें । तो फिर माननीय मंत्री जी का या मौर्य जी का खड़े होकर यह कहना कि सभी की आदतें बिगड़ी हुई हैं इसलिये हम उनको नेगोशियेबिल बांड्स नहीं दे सकते यह कहां तक न्यायसंगत हो सकता है? आपका कहना है कि नान नेगोशियेबिल के माने नान ट्रांसफरेबिल नहीं है। नाननेगोशियेबिल भी ट्रांसफर हो सकता है। आपका कहना है कि यह फर्क हमने इसलिये रखा है बयनामा वगैरह करने में कुछ झंझट होता है इसलिये इसमें थोड़ा सा चेक (रोक) रहेगा।

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

तो मैं नहीं समझता हूं कि जो आदमी मोटर खरीदना चाहे या बिलायत जाना चाहे या और किसी चीज के लिये बयाना करना चाहे तो उसमें आप कैसे रोड़ा अटका सकते हैं।

मुझे अगर अपना बांड बेचना है चाहे मुझे किसी इंडस्ट्री में लगाना हो, चाहे मुझे उसे बरबाद करना हो, मेरे सामने नानेगोशियबिल बांड होने से कौन सा पत्थर का रोड़ा अटक जायगा कि मैं उस बांड को न बेच सकूं। हां, वह लोग जो उस बांड को बेच कर कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़े, उनके रास्ते में जरूर एक रुकावट पड़ती है। श्रीमन् इस संशोधन में जिस पर हमारे मौर्य जी ने एक वैधानिक आपत्ति भी उठायी थी यह कहा गया है कि सक्सेशन सार्टिफ़िकेट्स (उत्तराधिकार प्रमाणपत्र) के लिए कुछ सहूलियत होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि कैसी सहूलियत दी जा सकती है। मैं नहीं कह सकता कि वह कैसे मुमकिन होगा। परन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि सेक्शल सार्टीफिकेट् में भी बड़ी दिक्कतें जमींदारों को पड़ेंगी। आप ही सोचें, श्रीमन्, कि जिसको पचास रुपये प्रतिकर के रुप में मिलने हैं और प्रतिकर मिलने के पहले उस के पिता का देहान्त हो जाय तो उस पचास रुपये के लेने के लिये उसको कितना दौड़ना पड़ेगा, कहां-कहां जाना पड़ेगा, कितनी परेशानी होगी। अगर दो तीन महीने भी लग गये उस सार्टिफिकेट्स के मिलने में तो सारा प्रतिकर का रुपया उसी में बरबाद हो जायगा। पचास रुपये के प्रतिकर के लिये तीन चार महीने तक अदालत में दौड़ने और डेढ दो सौ रुपये खर्च करेंगे। तो मैं समझता हूं कि वे सक्सेशन सार्टिफिकेट्स लेने से इनकार ही कर देंगे।

रहा यह प्रश्न कि प्रतिकर एक तिहाई भी कहां से दिया जाय। श्रीमान्, सरकार ने जमींदारी अबालिशन फंड की योजना बनाई है उसमें कुछ रुपया इकट्ठा हुआ, भूमिधरी के अधिकार प्राप्त करने में। वह योजना भी लागू है। दस गुना दे कर लोग भूमिधर बन रहे हैं और बनेंगे। अगर किसी तरीके से सरकार यह चाहे कि हम जमींदारों को रिलीफ (सहाय्य) दे दें अगर पूर्ण न सही तो थोड़ी ही मिल जाय। सरकार के सामने कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। टैक्स लगते हैं। सरकार हर योजना के लिये अगर रुपया कम पड़ता है तो कहीं न कहीं से रुपया वह पैदा करती है। कहा यह जायगा कि डेवलेपमेंट योजना से और जमींदारों के प्रतिकर से बहुत अन्तर है। श्रीमन्, अन्तर नहीं है। जब एक संकुचित दृष्टिकोण न रख कर जरा दूरन्देशी से काम लिया जाय तो आप देखेंगे कि इस स्टेट पर बहुत बड़ी लाइबिलिटी (देय) है। अगर इतनी बड़ी तादाद में जमींदार बेकार हो गये। अगर उनके पास कोई आमदनी न रहे तो ऐसी दशा में हमारे प्रांत में क्या हालत होगी? इसलिये केवल इसीलिये नहीं कि जमींदारों को कुछ फायदा हो जायगा, केवल इसीलिये नहीं कि मैं जमींदार हूं, इसलिये जमींदारों के लिये मैं खड़ा हो कर यह कह रहा हूं। परन्तु इसलिये भी कि देश की एकानीमी पर असर होगा। अगर इतनी बड़ी तादाद जो छोटे छोटे जमींदारों की है वह बेकार हो गयी, उनके पास कोई रोजगार न रहा, उनके पास कोई आमदनी न रही तो उनके बच्चे और आश्रित कहा जायेंगे? पचास, साठ या सौ रुपया प्रतिकर पाने वाले को उनका छमाही हिस्सा डेढ़ दो रूपया मिलेगा। जिसको सौ रुपया मिलना है, अगर उसको उस का कुछ अंश मिल जाय, जिस को एक हजार रुपया मिलना है उसको दो तीन सौ, जिस को एक लाख मिलना है, उस को पांच हजार, दस हजार, पंदरह हजार मिल जाय तो वह कोई रोजगार कर सकता है, जिससे उसकी आमदनी बढ़े। कम से कम उसके बच्चे पढ़ सकें और अच्छी तरह से रह सकें। इसलिये, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि यह प्रतिकर का इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसको हंसी में टाल देना या इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार न करना कोई सही बात न होगी।

अगर यह संशोधन न भी माना जाय तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है लेकिन रूल्स तो बनते ही रहते हैं और मुझे विश्वास है कि सरकार कोई न कोई ऐसी चीज जरूर करेगी जिस

कि वह देखे कि जाने दीजिये बड़ों को, जाने दीजिये ३९० को, जो छोटे जमींदार हैं उनके लिये कम से कम ऐसा कोई इन्तजाम अवश्य हो जाय कि वे स्टेट के ऊपर लाइबिलिटीज न हो जायं ।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा श्रीमान् मौर्य जी का ध्यान दो बातों की ओर आकर्षित करूंगा। उन्होंने कहा कि जमींदारों को नाननिगोशियेबिल बांड्स इसलिये दिये जाते हैं कि वे उस रुपये को जो उनको मिलना है खराब न कर डालें। मेरा यह खयाल है कि माननीय ठाकुर हुकुम सिंह जी और माननीय चरण सिंह जी नें जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने के समय उनसे परामर्श नहीं किया वरना वे भूमिधर को कदापि मुंतकिल करने का अख्तियार यानी ट्रांस्फरेबिल राइट्स नहीं देने देते क्योंकि वह कहते कि भूमिधर के लिये ऐसा किया जाय कि जो भूमि उसको हम दे रहे हैं वह उसके खानदान से न निकलने पावे और हालत यह होती कि वह अक्युपेंसी राइट्स (दखिलकारी के अधिकार) या एक्सप्रोप्राइटरी (साकितुल्ल मिलकियत) राइट्स, कब्जादारी या साकितुल मिलकियत का काश्तकार रह जाता। इस तरह यह दलील किसी तरह से मानने के काबिल नहीं है। निगोशिएबिल बांड्स का रुपया देने में उसी समय सरकार को देना होगा। जो समय निश्चित किया गया है उसमें कोई हर्ज नहीं था, केवल जमींदारों को कुछ सुविधायें मिल जातीं।

दूसरी बात कानून के मुताल्लिक उन्होंने यह कही कि पब्लिक डेट ऐक्ट में या उसके रूल्स में तब्दीली करनी होगी। मेरी समझ में उसकी तब्दीली का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। जैसा कि आप ने नियम ६१ में कोर्ट फीस के मुताल्लिक यह कह दिया है कि दो फीसदी कोर्ट फीस देनी होगी। दरअसल यहां कोर्ट फीस का सवाल है। सक्सेशन साटीर्फिकेट्स (उत्तराधिकार प्रमाण पत्र) की दरख्वास्त जो सिविल जज के यहां दी जाती है उस पर कोर्ट फीस के हिसाब से कुछ रुपया दिया जाता है तब वह सार्टिफिकेट मिलता है इसमें भी कोर्ट फीस का सवाल पैदा होता है न कि पब्लिक डेट ऐक्ट में कुछ संशोधन करने का या उसके रूल्स में कुछ संशोधन करने का कोई सवाल पैदा होता है। पब्लिक डेट ऐक्ट के मुताल्लिक जो बातें हैं उनमें केवल यही है कि कोर्ट फीस कितनी दी जाय और इस संशोधन में भी यह आगे नहीं लिखा है कि क्या कोर्ट फीस हो। उन्होंने लिख दिया है कि ऐसे परिष्कार (Modifications) कर दिये जायंगे जिस से उत्तराधिकार का प्रमाणपत्र (succession certificates) शीघ्रता से और नाममात्र शुल्क (nominalfee) दिये जाने पर प्राप्त किया जा सके। मैं यह कहूंगा कि यह ठीक नहीं है कि उसके बाद कोई दूसरा संशोधन फिर रूल में हो इसलिये कि ऐक्ट में यह कह देना चाहिये था कि कितना रखा जाय परन्तु अगर गवर्नमेंट या हमारे मंत्री महोदय चाहें तो इसमें कुछ सुविधायें दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसी कि उन्होंने वहां सुविधाएं दी हैं, दो परसेंट कोर्ट फीस रखी है वैसे ही इसमें कुछ सुविधायें दे दी जायं तो बहुत ही मुनासिब होगा ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिकर के प्रश्न में सैद्धांतिक प्रश्न उलझे हुये हैं और जब इस सम्बन्ध में आलोचना यहां इस सदन के समक्ष होती है तो स्पष्टरूप से हमें बहुत सी बातों का स्मरण आता है और हाल में जैसा कि समाचारपत्रों में छपा उसकी ओर बरबस ध्यान आकर्षित होता है। अपने मित्रों से भी मैं कहना चाहता हूं कि वे दीवार पर लिखे हुये शब्दों को पढ़ें और समय की गति के साथ चलने का प्रयास करें। श्रीमान् सारे देश में कल परसों ही सामाचार-पत्रों में छपा था कि काश्मीर की सारी भूमि जो कि जमींदारों के पास थी बिला प्रतिकर

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

के काश्तकारों को बांट दी गयी। सारे संसार के इतिसास में प्रतिकर कभी किसी जमींदार को या भूपति को या राजा महाराजाओं को या और जो कि पूंजीपतिवर्ग था उसको क्रांति के पश्चात् नहीं दिया गया है। यह एक विचित्र घटना है। किन्तु हम लोग तो क्रांति का एक विचित्र रूप लेकर आगे आये और उसी रूप को आगे रख कर बापू की आज्ञाओं के अनुसार थोड़ा सा उन कार्यों को भी करते हैं जो कि सारे संसार में नहीं हुये। मैं नहीं समझता कि मेरे मित्र इन बातों को क्यों भूलते हैं। एक मेरे मित्र ने अभी आवेश में आकर अन्याय और पाप के घड़े की बात कही। स्वयं वह समझें, श्रीमन्, कि अन्याय और पाप का घड़ा किधर को गया, उनकी तरफ जो कि प्रतिकर देना चाहते हैं या उन लोगों को तरफ जिन्होंने कि सदियों तक इस देश में बिला काम किये हुये इस देश के अन्न को खाया या उन लोगों की तरफ जिन्होंने सारा देश जब कि निरा कंकाल हुआ, भूख से पीड़ित हुआ और उस सारे देश की औसत आय ३७ रुपये वार्षिक और ४० रुपये वार्षिक थी उस समय उन्होंने मोटरकारें रखीं, कुत्ते पाले, बाहर विलायत की सैर की? आज वही मित्र जिक्र करते हैं पाप के घड़े और अन्याय का। मैं तो बहुत स्पष्ट शब्दों में उनसे कहना चाहता हूं कि आखिर जिस पाप के घड़े और अन्याय की बात वह कहते हैं वह तो सारा देश एक सिरे से यही कहेगा कि वह उन्हीं की तरफ था और आज जब कि हम उस पाप के घड़े और न्याय को खत्म करना चाहते हैं तो भी न्याय के द्वारा हम उनको कुछ देना चाहते हैं उनके अन्याय के एवज में क्योंकि हम यह समझते हैं कि अन्याय को उन्होंने दूसरे रूप से स्वीकार किया। इस देश ने एक परिपाटी के रूप में उसका नाम जमींदारी रख दिया और इसीलिये हम जब उनसे कुछ लेना चाहते हैं तो उसको एक शान्तिमय क्रांति के रूप के अनुसार उनको उनके अन्याय के लिये भी कुछ देना चाहते हैं। ऐसा विचित्र न्याय और अन्याय का यह दृश्य केवल इसी देश में है। तो जहां तक प्रतिकर का सम्बन्ध है, मैं स्पष्टरूप से यह कह सकता हूं कि इस सदन में बहुत से लोग हैं, और यदि सारे देश की मतगणना की जाय यदि केवल इस प्रदेश की मतगणना की जाय तो मैं कह सकता हूं कि शायद दो प्रतिशत संख्या भी इस सारे प्रदेश में ऐसी नहीं होगी जो कि उनको प्रतिकर देने के पक्ष में हो। मेरा निश्चय विश्वास है कि इस सदन के बहुत से सदस्यों ने भी चूंकि एक क्रांति के विचित्र रूप को स्वीकार किया है और निश्चय रूप से उसे स्वीकार करते हैं उसको प्राणपण से स्वीकार करने की चेष्टा करते हैं और उस पर चलने का प्रयास करते हैं इसलिये उसको स्वीकार करते हैं, अन्यथा यदि दूसरे रूप में देखा जाय तो कोई न्याय नहीं है कि अन्याय का दाम भी न्याय से चुकायें। ऐसे रूप में जो कुछ हम उनको देते हैं वह मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर उनकी यह भावना किस प्रकार से है। जहां तक दस गुने का प्रश्न है, क्या मेरे मित्र अपने हृदय पर हाथ रख कर कह सकेंगे कि किसने उसका विरोध किया? वह तो केवल देने के लिये था।

राजा वीरेन्द्र शाह—मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष—पूछिये।

राजा वीरेन्द्र शाह—मैं यह पूछना चाहता हूं कि अब जो भूमिधरी के लिये गवर्नमेंट ने वसूल किया इसके प्रति आपका क्या विचार है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—मेरे मित्र ने एक बात का जिक्र किया। मैं कह तो दूसरी बात रहा था। इसके सम्बन्ध में बहुत काफी चर्चा की है। इलेक्शन्स में जब चुनाव हुये तो उस समय

भी यही प्रश्न बराबर पूछे गये। मैं नहीं जानता कि मेरे मित्र ने अब इसको पूछ कर कौन सी नई बात पूछी है। यह जो दस गुना लिया गया उनके लिये ही लिया गया। यह उसी योजना के अनुसार लिया गया जिस योजना के अनुसार हम उनको देना चाहते हैं। जिस योजना के अनुसार हम उनको बेघरबार का गलियों में घूमने वाला नहीं करना चाहते। हम अपने प्रांत की योजना के अनुसार उनको मनुष्य समझ कर और अपने जैसा व्यक्ति समझ कर चाहते हैं कि वह भी हमारी तरह ही जीवित रह सकें और इस क्रान्ति में भाग ले सकें और इस देश के स्वतंत्र नागरिक बन कर इसमें अपना योग दे सकें। इसलिये हमने दस गुना इकट्ठा किया था। अगर वह इसे अन्याययुक्त बतलाते हैं तो वह समझें।

मैं तो श्रीमन्, जिक्र कर रहा था उन ऐतराजों का जो उन्होंने किये हैं। वह दो-तीन एतराज हैं। एक तो साधारण सी बात है दस गुने की। यह बहुत मोटी सी बात है। दूसरी बात यह है कि निगोशियेबिल बांड्स हों या नान निगोशियेबिल बांड्स हों। इसका अर्थ यह है कि आज वह दिये जायं और कल वह रिजर्व बैंक में पहुंचे और वहां मेज पर रखें और कहे कि लाइये रुपया दीजिये। यह तो एक प्रकार का करेंसी नोट है। रिजर्व बैंक सरकारी बैंक है। इसलिये उसको रुपया देना पड़ेगा। इस प्रकार से कौन इस चीज को अपने कंधे पर रख कर अपने देश की इकानौमी को और देश के आर्थिक ढांचे को बरबाद करने के लिये तैयार होगा। इसका उत्तर तो वही दे सकेंगे।

दुनिया के बहुत से देशों में इसके परीक्षण हुये। बल्गेरिया और रूमानिया में ऐसा हुआ कि वहां पर बिल तो फेल नहीं हुआ बल्कि वहां की सरकार फेल हो गई। हमारे मित्र चाहते हैं कि निगोशियेबिल बांड्स हों जिससे वह अपने आपको जीवित रख सकें। सही बात तो यह है कि बहुत कम सदन के सदस्यों को इस सम्बन्ध में मालूम है। यह निगोशियेबिल बांड्स, ट्रांसफरेबिल और नान ट्रांसफरेबिल हों इसमें अन्तर है। यह जो बांड्स हैं यह भी ट्रांसफरेबिल हैं और इनको बेचा जा सकता है और बंधक के रूप में इनको बैंक रख सकती है। मैं यह ख्याल करता था और सही बात यह है कि जिस दिन यह ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी बैठी तो हमारे माननीय सदस्यों के मन में शंका थी कि यह नान निगोशियेबिल बांड्स वह नहीं है जिसे ट्रांसफरेबिल कहते हैं यानी जो सरकार देगी वह नहीं है। इसकी घोषणा मंत्रिमंडल द्वारा हुई और मंत्री जी ने कहा कि यह नान निगोशियेबिल बांड्स हैं लेकिन नान ट्रांसफरेबिल बांड्स नहीं हैं। उन पर कर्जा लिया जा सकता है और उनको बेचा भी जा सकता है। इस प्रकार से जो चीज उनको दी जा रही है उससे वह धन ले सकेंगे और अपने कारोबार को कर सकेंगे।

जो ४० वर्ष वाली बात है उसके सम्बन्ध में तो सीधी सी बात है। क्या जमींदार मित्र यह चाहते हैं कि इस चीज को समाप्त कर दिया जाय? जो कुछ उनको मिल रहा है? उसको वह अपने स्टैंडर्ड की धुन में समाप्त कर दें, पसन्द करेंगे? मेरे मित्र ने स्टैंडर्ड का जिक्र किया तो क्या उसका अर्थ यह है कि मेरे मित्र समझते हैं कि सारे देश की जो भी स्थिति है वह हो, लेकिन उनके स्टैंडर्ड का नाम जरूर कायम रहे। मैं तो स्पष्ट रुप से कहना चाहता हूं कि उयका स्टैंडर्ड वही होगा जो कि भविष्य में इस देश के किसी भी नागरिक का होगा, देश में कमी है या कठिनाइयां हैं उनको भी उनको स्वीकार करना पड़ेगा। यह नहीं होगा कि एक आदमी भूखों मरे और दूसरे आदमी के पास पांच कारें हों यह विषमता हमें समाप्त करना पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से कोई खिलाड़ी किसी खेल को लेता है उसी प्रकार से वह भी इसको लें। यदि उन्होंने इस चीज को स्वीकार नहीं किया और अपने स्टैंडर्ड की धुन में रहेंगे, जिसका कि जिफ्र किया गया तो मैं नहीं समझता कि कौन सा स्टैंडर्ड वह अपने लिये रख सकेंगे।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--आन ए प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन, सर (श्रीमान् जी मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।) श्रीमान् मुझे दुःख है कि मुझे अपने माननीय मित्र को इंटरप्ट (बाधित) करना पड़ा। मैंने जो कुछ लक्जरी ऐंड स्टैंडर्ड पर कहा था वह साफ कहा था। उनको मेरे भाषण को तोड़ मरोड़ कर इस प्रकार कुछ नहीं कहना चाहिये।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--श्रीमान् का अर्थ मैं समझता हूं और लक्जरी का अर्थ भी मैं समझता हूं। यदि मेरे मित्र यह ख्याल करते हैं कि स्टैंडर्ड और लक्जरी का अर्थ समझना केवल उनके हिस्से की चीज है तो वह गल्ती पर हैं। मैं जानता हूं कि स्टैंडर्ड का अर्थ उन्होंने यह लगा रखा है कि इस देश की औसत आय अगर ३०० रुपये है तो उनकी औसत आय १० हजार रुपये होना चाहिये। मैं समझता हूं कि जब वह यह कहते हैं कि हमको मोटरकार नहीं चाहिये, वास्तव में वह मोटरकार रख नहीं सकेंगे लेकिन स्टैंडर्ड का अर्थ यह नहीं हो सकता जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि इस देश के नागरिकों का थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहे और यदि उस स्टैंडर्ड को वह मेनटेन (बनायें) रख सकें तो वह इस देश के लिये गौरव की चीज होगी। मैं तो समझता हूं कि यदि उनके स्टैंडर्ड का अर्थ यह है कि चूंकि उनको ४० हजार रुपया मिलना है उस ४० हजार में से आधा या एक तिहाई अभी मिल जाय और उससे वह स्टैंडर्ड कायम रख सकें तो यह स्टैंडर्ड नहीं होगा। जो यहां औसत आय एक व्यक्ति की है उस औसत आय के ऊपर एक व्यक्ति को मिलना, मैं केवल यहां याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे माननीय नेता या हमारे इस देश के पिता महात्मा गांधी के शब्दों में वह चोरी से कमाई हुई आय या चोरी से कमाया हुआ धन है। लेकिन उसके सम्बन्ध में अधिक चर्चा करना और स्टैंडर्ड के झगड़े में पड़ना यह व्यर्थ का विवाद है। मुझे तो सीधे साधे शब्दों में अपने मित्रों के सामने दो तीन निवेदन करने थे और इन शब्दों के साथ मैं यह चाहूंगा कि यह स्टैंडर्ड का विवाद व्यर्थ का विवाद है, उसका अन्त कहीं नहीं है। जो बांड्स उनको दिये जा रहे हैं मेरी तो यही हार्दिक इच्छा है कि जिस प्रकार वे दिये जा रहे हैं उसी प्रकार उनकी मान रक्षा हो और आने वाली पीढ़ियों यदि किसी तरह से सुखी रह सकें और उनका उपयोग कर सकें तो वह इस देश के लिये गौरव की वस्तु होगी।

राजा वीरेन्द्र शाह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने इस संशोधन पर मैंने कई भाषण सुने। मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्र कुंवर सुरेश प्रकाश सिंह जी ने और माननीय ज्वाला प्रसाद जी ने इस पर अपने विचार रक्खे। मैं मौर्य जी से यह कहना चाहता हूं जब वह यह कहते हैं कि जमींदारों को अधिक देने के लिये उनके पास इतने साधन नहीं हैं कि वह इतना बोझ उ। सकें या अधिक दे सकें तो मैं श्रीमान्, आपके द्वारा यह अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार कोई योजना चलाती है, कोई भार लेती है तो उसे समझ लेना चाहिये कि सरकार उस भार को उठा सकेगी या नहीं। इसके लिये वह जिम्मेदार है, हम नहीं। यदि हम कोई योजना लेते हैं तो हम जिम्मेदार हैं कि हम उसे पूर्ण तरीके से चलायें। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहां तक और प्रान्तों का सम्बन्ध ह उन्होंने जो कहा उसको निभाया। आप देखिये कि बिहार की सरकार ने सारे प्रान्त की जमींदारी को खत्म नहीं किया, उन्होंने चुन कर के ५० हजार के ऊपर के जो मालगुजार हैं उनको लिया। वह अपने साधनों को समझ कर काम करते हैं लेकिन हमारी सरकार है जो यह चाहती है कि नाम लेने में सब से प्रथम नाम उसका हो कि यहां जमींदारी ऊपर से लेकर नीचे तक, छोटे से लेकर बड़े जमींदार तक

खत्म कर दी। लेकिन जब साधन का सवाल आता है तो मौर्य जी कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है। ऐसा बोझ लेने से क्या फायदा। इससे आप लोगों को कठिनाई में डालते हैं। एक तरीक़े से मुझे यह कहना है कि सरकार जो योजना चलाये उस पर जनता का विश्वास बढ़ना चाहिये यह नहीं कि जनता का विश्वास हटता जाय।

अभी हमारे एक मित्र ने भाषण दिया था मैं उसके बारे में भी आपको बतलाऊंगा। मैं आपके द्वारा सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे इस संशोधन को रखने का अभिप्राय यह है कि उन छोटे जमींदारों को, जिनको सरकार खुद देने के लिये बाध्य है, उनको एक बटा तीन आप नक़द दे दें और बाक़ी जो रुपया उनका रह जायगा वह बाद को नेगोशियेबिल बांड के जरिये से उनको मिलता रहेगा हमारे एक मित्र ने नेगोयशियेबिल बांड के जरिये से उनको मिलता रहेगा। हमारे एक मित्र ने नेगोशियेबिल बांड के माने दूसरे ही लगाये कि वह भी नकदी में दिया जायगा। नेगोशियेबिल बांड का मतलब तो यही है कि उनको बेचा जा सके, बातचीत हो सके, लेन देन हो सके। सरकार ने उसकी जिम्मेदारी ली है और उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—मेरे मित्र ने नेगोशियेबिल बांड के माने दूसरे ही लगाये। जहां तक मैं समझता हूं नेगोशियेबिल बांड का मतलब यही है कि जब उनको रिज़र्व बैंक के सम्मुख रखा जाय तो वह उनको आनर करना पड़ेगा। जब के लिये वह इशू होंगे उसी समय उनका रुपया उनको देना पड़ेगा। नेगोशियेबिल हुंडी भी चलती है लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से होती है उनमें भी यही बात रहती है। जो भी सरकार नेगोशियेबिल बांड जारी करती हैं उसमें वह रुपया सरकार को देना पड़ता है यही नेगोशियेबिल बाँड का मतलब मैं समझता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह—जैसा मेरे मित्र ने बतलाया उसको मैं जानता हूं। मैं तो यह समझता हूं कि जब आप एक बटा पांच मुआविजा दे रहे हैं तो उसको नक़दी में और साफ दिल से हमको दीजिये। यह कौन सी बात है कि जमींदारी तो खत्म कर दी गई और देने के लिये घुमा फिरा कर इस तरह की बाते कही जायं। मैं पसन्द करता कि अगर जैसा कश्मीर में किया गया बिना मुआविजे के वहां पर जमींदारी खत्म कर दी गई यहां पर भी उसी तरह से कर दिया जाता। वह एक ठीक बात होती और उस सरकार ने वैसा किया। मैं यह भी समझता हूं कि वह बात हमारे लिये खराब होती लेकिन उसमें हमको धोखा न होता। लेकिन जब सरकार ने जिम्मेदारी ली है तो छोटे जमींदारों का इन्तजाम करना लाजिमी बात है। वह अभी तक यह समझ रहे थे कि उनको नक़द मिल जायगा और सीर खुदकाश्त की बचत हो जायगी। लेकिन अब सरकार का यह इरादा देख कर वह बहुत परेशान होंगे। मैं आपके जरिये से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इसमें नहीं पड़ना चाहिये। हम लोग किस तरह से क्या करें, हमारी दिक्कतों पर आपको ख्याल करना चाहिये। छोटे जमींदारों को जो आप देवें वह आप नकदी में दें दें तो उनके लिये बहुत सहूलियत हो जायगी। वह किसी धन्धे में लग जायंगे। आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जायगी। यह कहां की बात है कि उनको ४० साल के अन्दर वह रुपया अदा किया जाय? जैसा कि रिपोर्ट में लिख कर हमने भेजा है कि इतने दिनों के बाद उनको क्या मिलेगा। लिहाजा इन सब बातों को देखते हुये मैं सरकार से आपके जरिये से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस संशोधन को मान ले और अगर वह किसी तरह से इसमें संशोधन करना चाहे तो हम इसके लिये तैयार हैं। जिस तरह से वह चाहे इसको शुद्ध कर लें तभी हमारा और छोटे जमींदारों का कल्याण हो सकता है वर्ना मैं समझता हूं कि कम्पेन्सेशन न देने के बराबर ही यह मुआविजा आप दे रहे हैं।

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने दोस्तों प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों की तकरीरें सुनीं। मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि जमींदारी अबालिशन बिल पर जब बहस हो रही थी जो मंजर उस वक्त देखने को मिला और जो दलील उस वक्त सुनने को मिली उनको ही दोहराया जा रहा है और उसी मंजर को पैदा करने की कोशिश की गई है लेकिन मैं किसी गर्मी से उसका जवाब नहीं देना चाहता और न जज्बात के आवेश में बहना चाहता हूं, केवल ठंडे दिल से दो चार बातें कहना चाहता हूं। कहा गया कि सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। मैं जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में कौन से वादे किये थे जो उसने पूरे नहीं किये?

राजा वीरेन्द्र शाह—मैं समझता हूं कि छोटे जमींदारों से यह कहा गया था कि तुमको नक़द मुआविजा दिया जायगा।

श्री चरण सिंह—कभी नहीं कहा गया। आज तक नहीं कहा गया। अगर वह इस वक्त इसका जवाब न दे सकते हों तो और किसी वक्त जवाब देने की कोशिश करें। गवर्नमेंट के किसी मेम्बर की तरफ से कभी ऐसा नहीं कहा गया, हर्गिज नहीं कहा गया कि फ़लां को नक़द दिया जायगा। यह जरूर था कि हमारी नक़द देने की नीयत थी इरादा था और कोशिश भी थी और ऐसा बराबर कहा गया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारी भूमिधरी की स्कीम इसी उसूल पर मबनी थी और हम ऐसा इरादा भी करते थे कि अगर रुपया जमा हो जायगा तो हम छोटे और बड़ों को सब को नक़द मुआविजा दे देंगे। कोशिश और इरादा होने के बावजूद भी हमने कोई वादा आज तक नहीं किया है। इस तरह से तो बहस में बातें कही जा सकती हैं। एक बात केटेगारिकली (स्पष्टतया) कही गई थी इसलिये हमने यह किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा भवन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस जमींदारी विनाश कानून के सिलसिले में सरकार का जो दृष्टिकोण रहा है वह ऐसा रहा है कि शायद किसी और देश की गवर्नमेंट होती तो वहां के जमींदार उसको बधाई देते, उसको मुबारकबादी देते उनके उस इरादे के लिये और उनके ऐसे दृष्टिकोण के लिये, लेकिन यहां चाहे जितना किया जाय पर हमें गालियां ही सुनने को मिलती हैं और हम पर पत्थर ही फेंके जाते हैं। कहा गया है कि सीर खुदकाश्त छोड़ने का वादा किया गया था। अरे भाई, वह तो छोड़ दी गई। आप की सीर खुदकाश्त छोड़ी, रहने के मकान छोड़े, बैठक के मकान छोड़े, जमींदारी के सिलसिले में जहां से इन्तजाम होता था वह मकान छोड़े, पानी पीने के लिये कुवें छोड़े, आबपाशी के लिये कुवें छोड़े, पेड़ छोड़े, बाग छोड़े, बगीचे छोड़े, दरख्त छोड़े आपके हाथी छोड़े मोटर छोड़ीं, सारी अरबन प्रापर्टी (नगरस्थ सम्पत्ति) छोड़ी, जितनी जायदाद आपके इस्तेमाल की थी वह सब छोड़ दी। सिर्फ वह जायदाद जो दूसरों के इस्तेमाल में आती थी उस पर से आपका हक़ ले लिया गया है जिस पर सिर्फ आपका क़ानूनी हक़ था और कब्जा नहीं था और दूसरों के भोग में और उपभोग में आ रही थी वही ली गई है और उस पर भी आपको मुआविजा दिया जा रहा है। हमारे मित्र बड़े जोर से कहते हैं कि यह अन्याय हुआ, यह जुल्म हुआ और हम भी इसी देश के नागरिक हैं और कहा गया कि हमारे उत्तर में एक प्रदेश है जहां कुछ भी नहीं दिया गया। जब हम यह कहते हैं कि हमने जमींदारी का मुआविजा दिया और उसके साथ काश्मीर की तुलना करते हैं और कोई मेम्बर साहब तो काश्मीर के उसूल को अच्छा समझते हैं कि वहां मुआविजा नहीं दिया गया। हमारे उत्तर पूर्व में एक देश है जिसमें हाल में अभी दो तीन साल हुये लाखों आदमी तलवार के घाट उतारे गये और ३५ वर्ष पहले रूस में भी ऐसा ही हुआ। हमने कहा कि हम हर्गिज रूस या चीन के रास्ते को अच्छा नहीं समझते और न हम काश्मीर के रास्ते को ही अच्छा समझते हैं केवल तुलना के लिए कहते हैं। हम अगर अच्छा समझते हैं तो अपने ही उसूल को अच्छा समझते हैं और अगर

अच्छा नहीं समझते तो उस पर अमल भी न करते। हम विधान में रख सकते थे कि जबरदस्ती लोगों की जायदाद छीन ली जाय। लेकिन हम ने यह मुआविजे का उसूल रख कर किसी पर कोई एहसान नहीं किया। हमने नेता से जो बातें सीखीं और जो उसूल उनके क़दमों पर बैठ कर सीखे हम उन्हीं पर अमल कर रहे है। केवल तुलनात्मक दृष्टि से हमने कहा कि दुनिया में ऐसी बातें भी होती हैं। आपका हमें कभी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। केवल गालियां ही प्राप्त होती हैं।

कहा जाता है कि लाखों जमींदारों के बच्चे तबाह और डिस्प्लेस्ड (विस्थापित) हो गये और शरणार्थियों जैसी बुरी हालत हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कई बार इस सिलसिले में आंकड़े बतला चुका हूं। मैं फिर कहता हूं कि २० लाख १६ हजार जमींदार हमारी जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक़ होते हैं। उनमें ३० हजार को छोड़ कर १९ लाख ८६ हजार जमींदार ऐसे हैं जो ढाई सौ रुपये तक की मालगुजारी देते हैं। इन सब लोगों के पास और आमतौर पर बड़े जमींदारों के पास सबके पास सीर और खुदकाश्त हैं। हम उनकी सीर और खुदकाश्त नहीं ले रहे हैं। जो आमदनी उनको उससे होती थी वह होती रहेगी। छोटे जमींदारों की जहां तक बात है, उनका हक़ जमींदारी ले रहे हैं लेकिन बहुत सों को. शायद मुआविजा एक पैसा भी नहीं मिलेगा क्योंकि जितनी उनकी जमीन है वह सब उनकी अपनी काश्त में है। तो उन सबके साथ क्या अन्याय हो रहा है? वे लोग खेती करते थे और अब भी करते रहेंगे। मैं फिर दोबारा दोहरा दूं कि जितनी जमीन उनकी थी वह सारी की सारी सीर और खुदकाश्त में है। इस सिलसिले में मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि १९३१ की मर्दमशुमारी की रिपोर्ट के मुताबिक़ जिसका कि उद्धरण जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में उसकी पहली जिल्द में सफे ८ में किया गया है। Landless non-cultivating 15 per one thousand. यानी १ हजार में १५ जमींदार ऐसे थे जो कि खेती नहीं करते थे। इन १ हजार आदमियों को निकाल दिया जाय जो कि भूमि पर आश्रित नहीं रहते थे। ७५ या ७६ फ़ीसदी आदमी भूमि पर आश्रित रहते हैं। तो अगर सबका तनासुब लगाया जाय तो एक हजार में २० ज़मीदार ऐसे हुये जो कि नान कल्टीवेटिंग हैं। यानी २ परसेंट हमारी पाप्यूलेशन (आबादी) उन जमींदारों की है जिनका नाम खेवट में दर्ज है और अपनी जमीन को काश्त नहीं कर रहे हैं। तो मतलब यह हुआ कि हमारी ६, १/२ करोड़ की आबादी है और १२, १/२ लाख मय बाल बच्चों के जनसंख्या कुल उन जमींदारों की हुई जिनका नाम खेवट में दर्ज है और अपनी जमीन को काश्त नहीं कर रहे है। ५ आदमी एक फेमिली (परिवार) के पीछे होते हैं। ढाई लाख फेमिलीज ऐसी हैं जिनके नाम खेवट में दर्ज हैं, लेकिन काश्त नहीं कर रहे हैं। तो ये ढाई लाख हुये २० लाख में से। इन ढाई लाख में सवा दो लाख आदमी ऐसे होंगे जिन्होंने जमीन नीलाम करा ली और शहर में या कस्बे में रह कर दूसरा रोजगार कर रहे हैं। वे उसके लगान पर आश्रित नहीं हैं। तो यह ढाई लाख तो कुल तादाद हुई और कम से कम ९० फ़ीसदी ऐसे होंगे जो इसलिये काश्त नहीं कर रहे है कि वे दूसरा रोजगार कर रहे हैं और उनके पास जमीन नाकाफी है या काश्तकारों के कब्जे में है। अगर उनका हक़ जमींदारी आज लिया जा रहा है तो वे रिफ्यूजी नहीं हो गये। वे और कोई रोजगार कर रहे हैं। उनके लिये रिहैबिलीटेशन (पुनर्वासन) का कोई प्रश्न नहीं उठता। बराबर यह कहते रहना कि बड़ा अन्याय हुआ, हम भी इसी देश के नागरिक हैं और हमको घर से निकाल दिया गया और हमारे बाल बच्चे कहां जावेंगे, तो इन बातों में कोई तथ्य नहीं है।

[श्री चरण सिंह]

अब रही बात नक़द देने की कि नक़द दिया जाय। मैंने जैसा निवेदन किया, गवर्नमेंट की कोशिश बराबर यह थी कि आपको नक़द दे दिया जाय। आप भी अब यह कहते हैं कि नक़द दे दिया जाय। तो आखिर आप हिसाब भी तो बताइये कि किस तरह से नक़द दे दिया जाय। वीरेन्द्र शाह जी ने अगर्चे यह कहा कि हम तो छोटों के भी उतने ही हमदर्द हैं और हमको ख्वाहमख्वाह उलाहना दिया जाता है कि हम बड़े जमींदारो की ही बात करते हैं लेकिन इस प्रस्ताव से तो मालूम होता है कि आप केवल बड़े जमींदारों को ही नक़द मुआविजा देना चाहते हैं। रिहैबिलीटेशन ग्रांट में मैंने आपको कोई ऐसी तरमीम नहीं देखी। यह मुआविजा तो केवल ४२६ आदमियों को ही मिलेगा जिनकी मालगुजारी १० हजार रुपये से ज्यादा है। उन्हें रिहैलिलीटेशन नहीं मिलेगा और सिर्फ कम्पेंसेशन (प्रतिकर) ही मिलना है।

लेकिन मैं आपके वर्डस पर ही जाता हूं तो उसका मतलब यह हो सकता है कि रिहैबिलीटेशन ग्रांट और कम्पेंसेशन दोनों एक तिहाई नकद दे दिये जायं। अब सवाल यह उठता है कि यह ५० करोड़ रुपया कहां से नकद आये। क्यों नहीं आपने १०० फी सदी नकद के लिये कहा। आपने यह क्यों नहीं कहा कि १५० करोड़ रुपया ही नकद दे दिया जाय? सारा सवाल तो यह है कि यह ५० करोड़ रुपया या १५० करोड़ रुपया कहां से आये। आप यह अपने दिल के अन्दर जानते हैं कि यह रुपया कहीं से नहीं आ सकता। यदि आपकी बात को मान भी लिया जाय तो दिया कैसे जाय? मतालबा करना आसान है, नुक्ता चीनी करना आसान है। बहुत से मेम्बरान ने यह कहा लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि आखिर यह रुपया कहां से आयेगा। इसलिये नकद रुपया देना नामुमकिन है।

अब रही यह बात कि २/३ यानी दो तिहाई बाड्स नैगोशियेबिल कर दिये जायं उसके बारे में मुझे यह कहना कि यह तो सबको मान्य है कि ये ट्रान्सफरेबिल होंगे। ट्रान्सफरेबिल बौंड्स नैगोशियेबिल भी होते हैं और नान नैगोशियेबिल भी। जो नैगोशियेबिल होते हैं उन पर ऐन्डोर्समेंट होकर भुनाया जा सकता है लेकिन जो नान नैगोशियेबिल बौंड्स हैं उनका बैनामा करना होगा जैसा कि दूसरी जायदाद का होता है नैगोशियेबिल करने में, जैसा कि सुरेश प्रकाश सिंह जी ने इशारा भी किया, एक दिक्कत थी वह यह कि नैगोशियेबिल करने में इन्फ्लेशन होने का अंदेशा था। वह तो ऐसा ही है कि आप हजरतगंज जायं या किसी और जगह जायं और उस पर एडोर्स करके उसको देवें किसी की मोरेलिटी के बारे में मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता और न यह कहना चाहता हूं कि किसी की मोरेलिटी हमसे घटी हुई है या बढ़ी हुई है लेकिन यह जरूर है कि अगर किसी चीज को आसानी से मुन्तकिल कर सकते हैं तो वह चीज जल्द ही खर्च हो जाती है लेकिन अगर उसे आसानी से खर्च नहीं कर सकते तो उसके खर्च करने में हमें सोचने का जरूर मौका मिलता है। वर्ना जब जी में आया उसको खर्च कर डाला। इसलिये नैगोशियेबिल किसी भी मोटर वाले या और किसी को दिया जा सकता है और उसकी वजह से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है क्योंकि वह ट्रान्सफरेबिल है। गो कि हमारे सामने एक सुझाव यह भी था कि उनको नान ट्रान्सफरेबिल कर दिया जाय, लेकिन हमने ऐसा नहीं रखा। हमने जमींदारों का, काश्तकारों का और देश का सबका ख्याल रखा है और इसी वजह से हम उन बौंड्स को नैगोशियेबिल नहीं कर सके और न कर ही सकेंगे।

हमसे यह भी कहा गया कि पब्लिक डैट ऐक्ट को तरमीम कर दिया जाय। लेकिन वह ऐक्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया का है इसलिये उसका सवाल तरमीम करने का यहां उठता ही नहीं। इंडियन सक्सेशन ऐक्ट के मातहत सर्टिफिकेट लेने के सिलसिले में ज्वाला प्रसाद सिन्हा जी ने कहा कि उसको भी कोर्ट फीस ऐक्ट की तरह से बदल

दिया जाय लेकिन कोर्ट फीस ऐक्ट में हमें तरमीम करने का अधिकार था उसमें हमने तरमीम कर दी लेकिन उसकी भांति इंडियन सक्सेशन ऐक्ट और इंडियन पब्लिक डैट ऐक्ट में हमें तरमीम करने का कोई अधिकार नहीं है। यह सही कानूनी स्थिति आपके सामने है। इसलिये मेरी कोशिश है और प्रार्थना है कि ये कायदे जल्द से जल्द मंजूर कर दिये जायं क्योंकि इनमें कोई उसूल का सवाल तो है ही नहीं क्योंकि उसूल अधिनियम में तय हो चुके हैं। मेरी गुजारिश है कि जहां तक जल्दी हो इन कायदों को पास कर दिया जाय। इन अल्फाज के साथ मुझे अफसोस है कि मैं संशोधनों को मानने में असमर्थ हूं।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि वर्तमान नियम ६२ के स्थान पर निम्नलिखित नया नियम ६२ रख दिया जाय—

"६२---नियम ७५ को वाधित न करते हुए प्रतिकर की धनराशि का १/३ रुपया नकद और बाकी ऐसे बेचा-बिक्री करने योग्य बन्धे (Cegotiable Conds) में दिया जायगा जिन्हें जमींदारी विनाश प्रतिकर बन्ध कहा जायगा और वे पब्लिक डेट ऐक्ट, १९४४ (ऐक्ट संख्या १८,१९४४) और उसके अधीन बनाये गये पब्लिक डेट रूल्स, १९४६ के निदेशों (Provisions) के अधीन होंगे किन्तु इन निदेशों (Provisions) में ऐसे परिष्कार (Modifications) कर दिये जाँयगे जिससे उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र (Succession Certificate) शीघ्रता से और नाम-मात्र शुल्क (Nominal fee) दिये जाने पर प्राप्त किया जा सके।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने संशोधन को पेश करना चाहता हूं।

श्री चरण सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, जब एक तिहाई देने की बात को हाउस ने रिजेक्ट (अस्वीकृत) कर दिया तो फिर आधा देने की बात कैसे मंजूर हो सकती है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---कम से कम मुझे अधिकार है कि मैं अपनी बातों को आपके सामने कह सकूं। बाद में आप ठुकरा देना चाहेंगे तो ठुकरा देंगे।

उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह नियम के विरुद्ध है। जब एक तिहाई का संशोधन नामंजूर हो गया तो फिर आधे की मांग ठीक नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम ६२ में "अविनिमय योग्य" के बाद "तथा अपरिवर्तनीय" शब्द जोड़ दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो माननीय राजस्व मंत्री के प्रातःकालीन भाषण में इस प्रकार के कथन पर मुझे आश्चर्य प्रकट करना है कि उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से उस गवर्नमेंट कमेटी के सामने कोई संशोधन उपस्थित नहीं किया गया। उनको तो सोशलिस्ट पार्टी को बधाई देना चाहिये था कि सोशलिस्ट पार्टी के जोर देने पर २८ तारीख को जो अनियमितता पूर्वक वे रूल्स सदन के सामने जल्दी से जल्दी पास करा लेना चाहते थे उसमें काफी मात्रा में, बड़ी संख्या में

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

संशोधन खुद उनको उपस्थित करने पड़े। सिद्धान्ततः हमने बहुत सुझाव पेश किये थे जिनको गवर्नमेंट कमेटी ने मंजूर किया था।

अब मैं अपने संशोधन पर आता हूं। अभी जो बहस हो रही है इसमें हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मौर्य साहब और श्री लक्ष्मी रमण आचार्य जी ने जो उस सरकारी कमेटी के सदस्य थे इस बात पर जोर दिया और यह आशंका प्रकट की कि गवर्नमेंट की तरफ से नान नेगोशिएबिल बांड इसलिये दिया गया है कि अगर नेगोशिएबिल बांड हो और वह रिजर्व बैंक के सामने पेश किया जाय तो फिर उसकी लाएबिलिटी हो जाती है कि रिजर्व बैंक उसको मान ले और उसके जरिये से मोटर भी खरीदी जा सकती है, कर्ज भी अदा किया जा सकता है और कपड़े भी खरीदे जा सकते हैं। लेकिन नान नेगोशिएबिल बांड्स में थोड़ी सी दिक्कत पड़ेगी। कचहरी में जाना पड़ेगा, बैनामा करना पड़ेगा, एंडोर्समेंट से ही काम नहीं चल सकता है। यह थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो नान ट्रांस्फरेबिल मैंने इसलिये कहा कि हमारे दल की तरफ से सफाई से यह कहा गया कि प्रतिकर देने का जो सवाल है वह ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद भी चूंकि कांग्रेस का बहुमत था, उन्होंने बहुमत के बल पर प्रतिकर का नियम बनाया। मैं ही नहीं कहता कांग्रेस दल के सदस्य श्री लक्ष्मी रमण आचार्य ने कहा कि इस मसले पर अगर हमारे प्रदेश में वोट ले लिये जायं तो दो प्रतिशत भी आदमी भी इसके पक्ष में नहीं होंगे कि जमींदारों को प्रतिकर दिया जाना चाहिये। स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार ने बहुमत के बल पर, जनता की आवाज दबा कर जमींदारों को प्रतिकर दिया और इसलिये दिया कि उस दल में बहुत से लोग जमींदार हैं और चाहते थे कि जमींदारों की हमदर्दी के साथ साथ उनको भी फायदा हो। उस दल ने इसी कारण ऐसा किया। यदि बन्ध नानट्रान्सफरेबिल कर दिये जायं तो हो सकता है कि कोई दूसरी रीति नीति वाली पार्टी उनके पापों का प्रायश्चित्त करने के लिये वह प्रतिकर के बांड्स ही खत्म कर दे। इसलिये जिस प्रकार प्रदेश पर बोझ लादा गया है जिसमें १८० करोड़ रुपये का सवाल है वह समाप्त हो सकता है, जब हमारे सामने बजट पेश हुआ तो सरकार की ओर से कहा गया कि हम अस्पताल कहां से बनाएं, हम सार्वजनिक हित के काम कहां से करें, रुपया नहीं है। तो १८० करोड़ रुपया चालीस वर्ष के लिये प्रान्त की सरकार के रेवेन्यु से जमींदारों को दिया जाय, और वह नान नेगोशिएबिल बांड्स के जरिये से, जिनको बयनामे करके, क्रय-विक्रय करके भी वे भुना सकते हैं, दूसरों को धोखा भी दे सकते हैं, भुलावे में भी डाल सकते हैं, यह अन्याय की चीज होगी।

दूसरी बात यह है कि अगर उनको नान नेगोशिएबिल ही रहने दिया जाता है तो उसका नतीजा यह होगा कि बयनामा करके, अदालत छोड़ कर, थोड़ी सी परेशानी उठा कर वह रुपया इकट्ठा कर सकते हैं और जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा इस प्रदेश से बाहर चले जा सकते हैं, इस प्रदेश से ही क्यों इस देश से बाहर इंगलैण्ड चले जा सकते हैं, किसी दूसरे देश में चले जा सकते हैं तो इतना रुपया हमारे देश से बाहर चला जाय, यह वही बातें फिर याद दिलायेगा। जिसके लिये हमारे सरकारी सदस्यों ने भी लड़ाई लड़ी थी कि हमारे देश का रुपया देश में ही रहना चाहिये। दूसरे यह कि सरकारी पक्ष के हित में भी है। तीसरे जमींदारों के हित में भी है। इसलिये कि अगर नान नेगोशिएबिल बांड्स नान-ट्रांस्फरेबिल भी कर दिये जायेंगे तो उसका यह होगा कि ४० साल तक उनको रुकना पड़ेगा और धीरे धीरे रुपया लेना पड़ेगा। उनकी आदतें खराब हैं, उनकी उपेक्षा की जा सकती है क्योंकि उन्होंने काफी मौज उड़ा ली है। लेकिन उनके नन्हें-नन्हें बच्चे जिनके नाम पर वे सदन में रोज भीख मांगते हैं, उनकी तरफ इशारा करूंगा कि अगर उनको रुपया धीरे धीरे मिलता रहे तो उनका भविष्य सुरक्षित

रहेगा। अगर सचमुच हमारे जमींदार पक्ष के लोग चाहते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित रहे तो उनको उठ कर स्पष्ट रूप से कहना चाहिये कि वे यह भी चाहते हैं कि बांड्स नानट्रांस्फरेबिल हों जावें। इस सदन में इस पर इसके पहले भी वाद विवाद हो चुका है। जैसा कि सरकार का भी खयाल है कि नाननेगोशिएबिल ट्रांस्फर हो सकते हैं तो राजस्व मंत्री भी मानेंगे और साथ ही जमींदार पक्ष के लोग भी इस बात को मानेंगे कि नानट्रांस्फरेबिल हो जाना चाहिये। अगर्चे फौरी हालत को देखते हुए उनके विपरीत पड़ सकता है लेकिन अगर उनके बच्चों का खयाल किया जाय तो बांडस का नान ट्रांस्फरेबिल होना ही उचित होगा।

इतना ही कह कर मैं अपना संशोधन उपस्थित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि राजस्व मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य जो कि मेरे पूर्व बोले रहे थे वह चाहते थे कि नाननेगेशिएबिल नानट्रांस्फरेबिल भी रहे। मेरी समझ में नहीं आता कि नाननेगोशिएबिल और नानट्रांस्फरेबिल में उनको क्या अन्तर मालूम हुआ है। नाननेगोशिएबिल नानट्रांस्फरेबिल तो है ही। जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है आप कहते हैं कि हम जब चाहेंगे डाउन कर देंगे, यह तो ठीक है। रेस्ट्रिक्शन (प्रतिबन्ध) तो है ही। लेकिन ऐसी हालत में जमींदारों को डर यह है कि पांच साल के बाद अगर हमारे यह सदस्य उधर की कुर्सियों पर आसीन हो जाते हैं..

श्री चरण सिंह---वह दिन आने वाला नहीं है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---जहां तक नानट्रांस्फरेबिल का सवाल है उसका कोई सवाल ही नहीं उठता। यह बेमानी संशोधन है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं एक ऐसे प्रदेश से आया हूं जहां जमींदारी उन्मूलन का अभी सवाल पेश भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जब इस सदन में अपने जमींदार पक्ष के लोगों को सुनता हूं कि जब वे अपने बच्चों की दुहाई देते हैं कि वे मर जायेंगे, हमने जो भी किया किया। तो इन चीजों को सुनकर बड़ा दुःख होता है। साथ ही साथ जब मैं यह देखता हूं कि जब हम ग़रीबों का सवाल यहां पर करते हैं, जब हम अपने प्रान्त में रहने वाले लोगों की भूख से मरने की बात करते है और जब हम उस पर अपना रोष प्रकट करते हैं तो वे चुपचाप इसी हुकूमत का साथ देते हुये इसी भवन में बैठे रहते है।

राजा वीरेन्द्र शाह---मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह संशोधन पर बहस हो रही है?

श्री मदन मोहन उपाध्याय---मैं संशोधन पर ही बोलना चाहता हूं। वह नान-नेगोशिएबुल बात है लेकिन कहीं ऐसा न हो कि ये सारी चीजें बेच डालें जो इनको थोड़े दिनों में मिलें। हमें इस देश के ग़रीबों का खयाल है। हम जानते हैं कि इनकी जमींदारी जाने के बाद जो इनके बच्चे हैं, जो इनके ऊपर निर्धारित रहते हैं वे हमारे भाई हैं।

उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य का भाषण संशोधन पर ही सीमित रहे तो अच्छा होगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---संशोधन पर ही हू। आपके जरिये मैं अपने जमींदार भाइयों से कहूंगा कि आप दिल पर हाथ रख कर सोचिये। अब तो गयी आपकी जमींदारी। अब आप उसे वापस नहीं पा सकते। इस हुकूमत ने तो कुछ आपको दे डाला। हम आपसे कहते हैं कि अगर हमारी हुकूमत आयी या किसी और की हुकूमत आयी तो वह आपको एक पैसा भी नहीं देगी लेकिन इस देश के आप रहने वाले हैं, इसलिये आपके खाने का इन्तजाम किया जायगा। हम आपके खाने का इन्तजाम अवश्य करेंगे लेकिन जो ऐश आराम आप करना चाहते हैं और जो खून आपने ग़रीबों का चूसा है हम उसे नहीं चूसने देंगे। यह हुकूमत आपसे मिली हुई है। इसने आपको खत्म जरूर किया लेकिन देश की ग़रीबी को दूर नहीं किया। इस प्रान्त के जो किसान थे उनको जमींने नहीं मिली हैं बावजूद इसके कि जमींदारी खत्म हो चुकी है। अगर आप कहते हैं ट्रांस्फरेबिल बांड्स हों तो इसमें इंफ्लेशन बढ़ जायगा। आप बहुत जल्दी हड़प कर जायेंगे। इसलिये हम चाहते हैं कि जो बांड्स हों वे नानट्रांसफरेबिल कर दिये जायं।

श्री चरण सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के सिलसिले में प्रस्तावक महोदय ने कुछ थोड़ा सा सोशलिस्ट सिद्धान्तों की तरफ संकेत किया और इधर भी कुछ चीजें उछालने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी की तरफ। मैं उसकी ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता। केवल एक दो बातें कहना चाहता हूं। यह बात कि सोशलिस्ट पार्टी कम्पेंसेशन देना नहीं चाहती है या देना नहीं चाहती थी बिल्कुल ग़लत है। उनके लीडर्स हमेशा चाहते थे और अप्रैल सन् ४८ तक चाहते थे और जिस हिसाब से वे मुआविजा देना चाहते थे वह १०८ करोड़ रुपया बैठता था और हमारे हिसाब से १३७ करोड़ रुपया बैठा। खैर, जैसा मैंने अर्ज किया मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता वर्ना मेरे पास उनके सारे बयान मौजूद हैं। बाद में कहा यह गया कि हम रिहैबिलिटेशन ग्रांट (पुनर्वासन अनुदान) देना चाहते हैं, कम्पेंसेशन (प्रतिकर) देना नहीं चाहते छोटों को। तो जो विधेयक कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से था वह बहुत फाररीचिंग (दूरंगत) था, बहुत दूर तक जाने वाला था और इतनी दूर तक जाने वाला था कि जितनी दूर तक जमींदारी खत्म करने वाला कोई कानून आज तक गया नहीं। जब उसकी मुखालिफत में कोई बात कहने को न रह गयी तो केवल दो ही बातें रह गयीं कि दसगुना न लिया जाय और जमीनें तक़सीम कर दी जायं। जमीनें तक़सीम करने का स्लोगन अगर यहीं की स्थिति देख कर उठाया जाता तो ठीक होता। मगर दूसरी जगह की नक़ल की और यहां की स्थिति का अध्ययन नहीं किया गया। केवल कुछ कहना था मुखालिफत में। दसगुना और मुआविजा एक दूसरे से सम्बन्ध रखते थे। तो धीरे-धीरे यह बात हुई कि कम्पेन्सेशन न दिया जाय इसलिये दसगुना वसूल न किया जाय। लेकिन चूंकि कम्पेन्सेशन दिया जायगा इसलिये दसगुना वसूल किया गया तो मैं नहीं कह सकता, हां, दसगुना देने की लिबर्टी किसानों को दी कि अगर वे चाहें तो दें। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि केवल मुखालिफत के लिये मुखालिफत की गयी और इसलिये रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड (भूमि का पुनर्वितरण) और मुआविजा न देने की बात कही गयी वर्ना शुरू में कोई इरादा हमारे सोशलिस्ट भाइयों का नहीं था और यही नहीं, रिहैबिलिटेशन तक को देने के लिये उनके लीडर्स कहते थे, वर्कर्स गांवों में कहते थे कि कुछ भी नहीं देना है, वैसे ही ले ली जाय। खैर, उस सारे इतिहास में मैं जाना नहीं चाहता।

रही बात यह कि जनता मुआविजा देना बिल्कुल नहीं चाहती। तो अगर जनता मुआविजा न देना चाहती तो कांग्रेस को इन इलेक्शन्स में कामियाबी न होती। जहां तक मेरे मित्र आचार्य लक्ष्मी रमण जी ने कहा, तो उनका आशय केवल यह था और यही हो सकता था कि कोई देना नहीं चाहा करता है। देना किसी को भी अच्छा नहीं

लगता। अगर दोनों पक्ष किसानों के सामने न रखे जायं और कहा जाय कि यह चीज़ मुफ्त ले ली जाय या क़ीमत देकर तो हर शख्स चाहता है कि मुफ्त मिल जाय। लेकिन जब उनको यह बात समझायी जाती है तो सारे किसान चाहते हैं कि मुआविजा देकर ली जाय क्योंकि वे जानते हैं कि आज अगर हम यह कहते हैं कि कोई चीज़ बिला मुआविज़ा ले लो तो कल को यह तुम्हारी चीज़ बिला मुआविज़ा छीन सकते हैं। किसान भली भांति जानता है। और इसका सबूत यह है कि हमारे एक मामूली से वर्कर ने एक बहुत बड़े दिग्दगज को जो मुआविजा न देने की बात कहते थे एक पार्टी के लीडर थे उनको हरा दिया। जब किसानों की राय ली गयी तो जो बहुत बड़े दिग्गज थे और जो कहते थे कि किसान इस बात को चाहता है कि मुआविजा न दिया जाय उनके खिलाफ कांग्रेस के एक मामूली से वर्कर को और जो यह कहता था कि ज़मींदारों को मुआविजा दिया जाय, वोट दिये तो किसानों ने जो जवाब देना था वह दिया और जाहिर है कि किसान क्या चाहता है। इसके सारे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर यह रेलवेंट (सम्बद्ध) नहीं है। सवाल इस वक्त तो केवल इतना है कि वे बांड्स ट्रान्सफरेबिल हों या नानट्रांन्सफरेबिल हों। तो हमने तो बहुत सोच विचार करने के बाद उनको ट्रान्सफरेबिल रखना मुनासिब समझा है। और जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं कि नान ट्रान्सफरेबिल का मतलब यह है कि ज़मींदार अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ उनको ट्रान्सफरेबिल न कर सके। तो एक तरह से हम उनको मजबूर करते हैं कि ४० साल तक उनका कम्पेन्सेशन फैला दिया जाय। तो इसमें सिद्धान्त की कोई बात है नहीं। हमारी तो पालिसी रही है कि ज़मींदारों को हम अपना भाई समझते हैं। हम उनके हितों को या उनके दिलों को कोई ऐसा आघात नहीं पहुंचाना चाहते जो कि अनिवार्य न हो। जो देश के हित में अनिवार्य था, यानी ज़मींदारी का ख़ात्मा करना, वह हमने कर दिया। बाक़ी जिस हद तक हम उनकी दिलजोई कर सकते हैं कांसिस्टेंट विथ पब्लिक इंटरेस्ट (जन हित के अप्रतिकूल) वह हम करने को तैयार हैं। तो इसमें पब्लिक इंटरेस्ट की कोई हानि नहीं होती अगर वे बांड्स ट्रांसफरएबल रहें। यह कहना कि सब ट्रांसफर कर देंगे तो ख़रीदने वाले सब जानते हैं कि गवर्नमेंट तो ४० साल में ही देगी, पहले देने की नहीं। जितना ज्यादा ट्रांसफ़र करेंगे उतनी उनकी क़ीमत गिरेगी। जहां तक गवर्नमेंट का वास्ता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि हम ४० साल में देंगे, पहले नहीं देंगे। जो ख़रीदार हैं वह जानते हैं कि इसकी कोई सम्भावना नहीं है कि रुपया जल्दी मिल जायगा। वैसे हमने अपने रूल में रखा ; कि अगर हमारे पास रुपया हो जाय, हमारे किसानों की हालत अच्छी हो जाय, तीन साल से हमारे किसान परेशान हैं, अगर उनकी फसल अच्छी हो जाय तो किसान जरूर भूमिधर बन जायेंगे और हमारे पास रुपया आ जायगा तो उस हालत में हम जल्दी रुपया दे देंगे क्योंकि हमने अपने रूल में लिखा है कि--

Provided that any bond may be redeemed at an earlier date at the option of Government.

[परन्तु शर्त यह है कि सरकार चाहे तो उससे पहले किसी तारीख़ को किसी भी बाण्ड का निष्क्रय कर सकती है।]

गवर्नमेंट के पास रुपया होगा वह अदा कर देगी लेकिन खरीदने वाला जानता है कि उससे वह रुपया नहीं ले सकता है। इसलिये चाहे वह ज़मींदार के हाथ में रहे या किसी और के हाथ में रहे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आघात नहीं पहुंचता है, इंफ्लेशन का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। इसलिये इनको

[श्री चरण सिंह]

ट्रांसफरेबिल करना मुनासिब समझा गया। इन अलफाज के साथ मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं अपने साथी श्री राम नारायण त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन का समर्थन करते हुये माननीय माल मंत्री की 'नान-ट्रांसफरेबिल' की परिभाषा क्या है और पहले के एक संशोधन के बारे में उन्होंने जो वक्तव्य दिया था उसके बारे में उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब उन्होंने 'निगोशियेबिल बांड्स' की परिभाषा दी तो उन्होंने बतलाया कि अगर हम जमींदारों को निगोशियेबिल बांड्स देते तो देश में एक बहुत बड़ी मुद्रा स्फीति का डर है। यही एक बहुत बड़ा कारण उन्होंने बतलाया था और कहा था कि इसीलिये हम जमींदारों को नान-नगोशियेबिल बांड्स दे रहे हैं।

अब मैं ज़रा अपने माल मंत्री जी की सेवा में जो 'पिटमैंस गाइड' में 'नान-निगोशियेबिल बांड्स' की परिभाषा दी गयी है, उसको प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुझे बहुत बड़ा खतरा लगता है कि अगर हमारा संशोधन पास नहीं किया गया और नान-निगोशियेबिल के साथ साथ नान-ट्रांसफरेबिल नहीं जोड़ा गया तो जैसा कि खतरा उन्होंने निगोशियेबिल बांड्स के बारे में बतलाया है वही खतरा बिल्कुल नान-निगोशियेबिल बांड्स के रखने में भी रहता है।

श्री चरण सिंह—मैंने केवल यह कहा था कि इसमें कम और ज्यादा का फर्क है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—'नान-निगोशियेबिल' शब्दों से क्या अर्थ होता है ?

"They destroy the negotiable character of the instrument. They in no way prohibit the transfer of the document. It may pass from hand to hand just as easily as though the words were not there. But if it happens that the transferer had any defect in title the transferee takes it subject to the same defect."

[उनसे उस कागज़ का विनिमेयत्व समाप्त हो जाता है। वे किसी प्रकार भी लेख्य के हस्तान्तरण को निषिद्ध नहीं करते। वह एक व्यक्ति से दूसरे के पास ऐसी आसानी से जा सकती है जैसे कि वे शब्द ही उस पर न हों। परन्तु हस्तान्तरणकर्ता के स्वामित्व में यदि कोई त्रुटि हो, तो जिस व्यक्ति के नाम हस्तान्तरण किया जाय वह उस त्रुटि को ध्यान में रख कर ही लेख्य को लेता है।]

इसमें सिर्फ एक ही फर्क पड़ता है जहां पर कि जमींदार के टाइटिल में कोई डिफेक्ट हो वहां पर असर पड़ता है लेकिन उसके टाइटिल में कोई डिफेक्ट न है और न आगे भी होगा और जब न होगा तो ट्रांसफर करने का उसे पूरा अधिकार होगा और जो संशोधन यहां लाया गया है और "नान" का वर्ड रखा गया है वह खत्म हो जाता है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि कहीं ऐसा न हो कि आगे कोई अड़चन हो और फिर हमारे सामने मसविदा रखा जाय। मैं अपील करना चाहता हूं कि यह संशोधन शाब्दिक जरूर लगता है लेकिन हर प्रकार से यह ठीक है। मेरे पास 'एनसाइक्लोपेडिया' भी है उसमें भी वही बात है। अगर आप इजाजत दें तो पढ़ दूं लेकिन मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। मैंने एक परिभाषा पढ़ दी है और मैं समझता हूं कि माननीय माल मंत्री जी भी इसे जानते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि वह इस पर पुनः विचार करें और जो उनके वक्तव्य का मंशा है उसे पूरा करने के लिये इसमें नानट्रांसफरेबिल भी अवश्य जोड़ दें।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात सदन के सामने कही थी लेकिन मेरे मित्रों द्वारा उसको दूसरे रूप में ग्रहण किया गया। मैंने तो केवल यह कहा था कि यदि आज के दिन जहां तक कि देने का प्रश्न है शायद बहुत कम मित्र ऐसे पैदा हों जो यह चाहें कि जमींदारों को कुछ दिया जाय। जहां तक कि सिद्धांतों का प्रश्न है मैंने यह कहा था कि सैद्धान्तिक रूप से हमने बापू के नेतृत्व को स्वीकार करके

उनके सिद्धांतों को सारे देश में चलाने का प्रयास किया और सारे देश ने जो हमें चुना वह उन्हीं सिद्धांतों के बलबूते पर चुना । अगर मेरे मित्रों को कोई ग़लतफहमी हुई हो तो उसको वह साफ कर लें । अब यहां प्रतिकर के प्रश्न को इस प्रकार से गम्भीर बना कर यह कहा जाय कि प्रतिकर के सवाल को ले कर चुनाव लड़ लिया जाय तो शायद मेरे मित्र, जैसा उन्होंने देखा इसमें भी वह वही परिणाम देखेंगे जो उनको १५ की संख्या से सारे देश में घोषित हो चुका है । जहां तक कि विवाद का संबंध है जो सदन के समय आज है वह किसी भी रूप में स्वीकार नहीं हो सकता कि बांड्स को नान-ट्रांसफरेबिल बनाया जाय । ट्रान्सफरेबिल और निगोशियेबिल की बात जो पिटमैन से पढ़ कर सुनाई गई उसका भी अर्थ वही है जो अभी अभी हमारे माल मंत्री महोदय ने बताया कि निगोशियेबिल और ट्रांसफरेबिल में क्या फर्क पड़ता है । जो बांड्स ट्रांसफरेबिल होंगे मैं यह खयाल करता हूं कि उनका बहुत ही कम मूल्य बाजार में होगा । जो बांड्स ४० वर्ष के लिये हों और जिन बांड्स के संबंध में यह न मालूम हो कि अन्त में भविष्य में उनका क्या रूप हो, जिन बांड्स में वार्षिक रूप से केवल कुछ मुआविजा मिले उनका यह मूल्य हो जायगा कि वह मुद्रा स्फीति बढ़ा सकें और वह यहां के आर्थिक ढांचे पर किसी प्रकार का प्रभाव डाल सकें यह संभव होगा । आगे चल कर मेरे मित्र यह कहने लगे कि हम जो कुछ कहते हैं वह जमींदारों के पक्ष की बात कहते हैं मैं यह ख़याल करता हूं कि उनका यह कहना भी ग़लत होगा क्योंकि यह जमींदार के पक्ष की या विरोधी पक्ष की कोई बात नहीं। सीधी सी बात है कि सरकार बांड्स देना चाहती है और उन बांड्स के संबंध में थोड़ी सी रिआयत करना चाहती है कि आवश्यकता के समय जमींदारों को अगर रुपये की आवश्यकता हो तो जिसके पास वे बांड्स हों और उसकी आवश्यकतायें अधिक हों तो उनको कुछ मिल सके । मेरे मित्र ने, जो छोटे जमींदारों के बड़े हिमायती बनते हैं, उन्होंने सदन के समक्ष जो संशोधन रखा है उसमें छोटे जमींदारों का कहीं जिक्र भी नहीं है । ट्रांसफरेबिल वाली बात छोटे जमींदारों के लाभ की बात है, बड़े जमींदारों को शायद ट्रांसफर की आवश्यकता न पड़े लेकिन जहां तक छोटे व्यक्तियों का संबंध है उनको देखा गया है चाहे वह सर्विस में हों या जिन्होंने इन्श्योरेंस करा रखा है, वे भी समय समय पर थोड़ा बहुत कर्जा लिया करते हैं और इस प्रकार की मानवीय आवश्यकतायें जीवन में कभी न कभी आया ही करती हैं और यदि बांड्स को पूरे तौर पर नान-ट्रांसफरेबिल कर दिया जाय तो मैं यह खयाल करता हूं कि जमींदारों के लिये जो कुछ किया जा रहा है , एक प्रकार से हम उनको जो मानवीय अधिकार देने जा रहे हैं उनको इस तरह से हम उनसे छीन लेंगे । ऐसी दशा में मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और यही कहता हूं कि यह बांड्स निश्चित रूप से ट्रांसफरेबिल होने चाहिये ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी––उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस विवाद में सरकारी दल के लोगों की भी कलई खुल गई और जमींदारों की भी कलई खुली। इस बात पर क्यों जोर दिया जा रहा है कि अगर नान-ट्रांसफरेबिल कर दिया गया तो कोई नयी बात नहीं होगी नान-निगोशियेबिल और नान-ट्रांसफरेबिल में कोई फर्क नहीं है । राजस्व मंत्री जी ने भी यही प्रतिध्वनि की कि ४० बरस के बांड्स हैं, और हमारी सरकार ४० बरस तक रहने वाली नहीं है, यह खुशी हुई सुन कर कि उनका ४० वर्ष तक रहने का इरादा नहीं है.....

श्री चरण सिंह––उन्हों ने जो आशंका प्रकट की है वह कभी भी मैटीरियलाइज होने (अस्तित्व में आने) वाली नहीं है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी––खैर, आप का इरादा तो ४० वर्ष तक रहने का था और यह स्वाभाविक है कि कोई कुर्सी अपने आप छोड़ता नहीं है लेकिन मैं उनको वार्न कर (चेतावनी) देना चाहता हूं कि उनका यह स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा । अब सवाल यह है कि क्यों सरकारी

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

दल नान-नेगोशियेबिल पर जोर देता है और नान-ट्रांसफरेबिल करने के लिये कोई जोर नहीं दिया जाता है । हमारे यहां पूंजीपति हैं जो तरह तरह की रियायतों के लिये या पूंजीवाद की रक्षा के लिये सरकार को ओबलाइज करना चाहते हैं नान ट्रान्सफरेबिल रहने से किसी माननीय मंत्री को , किसी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को, किसी डिप्टी मिनिस्टर को उनके बांड्स खरीद कर ओबलाइज कर सकता है या सरकार के किसी प्रभावशाली सदस्य को ओबलाइज कर सकता है । क्योंकि पूंजीपति भी सरकार से अपने काम निकालता रहता है और तरह तरह की रियायतें प्राप्त करता है । इसलिये सरकारी दल नान-नेगोशियेबिल पर जोर देता है लेकिन इससे ऐसे जमींदारों का जिनका सरकार में प्रभाव नहीं है सर्वनाश हो जायगा । इसके पीछे यही राज है और अगर यह राज नहीं है तो मैं उनको चैलेन्ज करता हूं कि नान-ट्रांसफरेबिल को स्वीकार करें । आप को भी मौका मिलेगा इन बातों पर कुछ कहने का.....

श्री चरण सिंह---इस तरह की बात कह कर आप नीयत पर हमला करते हैं यह आपको मुबारक हो मैं इसके मुताल्लिक बोलने वाला भी नहीं हूं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---माननीय मुख्य मंत्री को पिछले बजट के मौके पर मैंने बतलाया था कि हमने यहां पर बस मिस करने की कहावत कहा था । उस समय मैंने कहा था कि यह गलत बात है कि सरकारी दल को अपनी सुकृतियों के कारण इलेक्शन में कामयाबी हुई है तो यह उसकी भूल है । मद्रास सरकार को अपनी बस सर्विस (व्यंगात्मक रूप में शासन) चलाने के लिये विधान का उल्लघंन करके, वहां के गवर्नर को बदल कर एक नामजद व्यक्ति के ज़रिये से वहां की सरकार को चलाना पड़ा....

श्री चरण सिंह---मेरी राय यह है कि जो कुछ बातें कहीं जा रही हैं वह बिलकुल गैरमुताल्लिक हैं और बिला वजह कटुता पैदा की जा रही है । इससे क्या फायदा है कि किस जगह की कांग्रेस पार्टी ने क्या किया यह मेरी समझ में नहीं आता ।

उपाध्यक्ष---आप अपने संशोधन पर ही बोलिये ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मैं बहुत खुश होता अगर माननीय राजस्व मंत्री राइट सेंस (ठीक अर्थ) में जवाब दे देते, लेकिन हमारे सब से बड़े नेता पर लाञ्छन लगाया गया चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो । आज हमारे राजस्व मंत्री ने इस बात पर इशारा किया था कि हमारे एक मामूली से सेवक ने सोशलिस्ट पार्टी के एक दिग्गज को हरा दिया । मैं राजस्व मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि आपके कालावेंकटाराव को ५० हजार वोट से हराया गया था और इसी तरह के और बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं ।

उपाध्यक्ष---आप अपने संशोधन पर ही भाषण सीमित रखिये ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मैं आज भी दावा करता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जहां के वह रहने वाले हैं, नैनीताल के, अगर वहां से आज खड़े किये जायं वह जीत कर नहीं आ सकते हैं । इसी वजह से वह बरेली से खड़े हुए और उनको भागकर बरेली में शरण लेनी पड़ी । एक मित्र ने यह कहा कि चूंकि हम छोटे जमींदारों की बात ज्यादा करते हैं ।

हम जरूर उनकी बात करते हैं और नान-ट्रांसफरेबिल इसीलिये रखा भी है कि उनमें ७५ फीसदी छोटे जमींदार हैं। हमने इसके अन्दर और कोई संशोधन पेश नहीं किया । छोटे जमींदारों की हमदर्दी का सवाल जरूर रहता है आप ने आचार्य नरेन्द्र जी का जिक्र किया कि जिन्होंने उस कमेटी में मुआविजा देने की बात कही थी पिछले ६ साल की जब हम विधान भवन की कार्यवाही देखते हैं तो यही बात दोहराई जाती है और हिटलर की जो स्वयंसिद्धि है कि झूठ को अगर सौ मर्तबा दोहराया जाय तो वह सच हो जाता है । इसी स्वयंसिद्धि को सम्भवतः सरकारी दल व्यवहार में लाना चाहता है । जब हमारे नेता आचार्य नरेन्द्र देव जी ने कमेटी के सामने बयान दिया था तो उसमें उन्होंने यह भी कहा था कि प्रतिकर छोटे जमींदारों को पुनर्वासन भत्ते के रूप में देना चाहिये और साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि जमीन का पुनः बटवारा होना चाहिये । हमारे राजस्व मंत्री जी ने कहा कि वही पुराना ढोल है जो पीटा जा रहा है । मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या उन्होंने जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट में इस बात का उपबन्ध लगा दिया है या नहीं कि ३० एकड़ से ज्यादा कोई जमीन आगे जोत में नहीं ले सकता है । तो जो बात आज से आगे के लिये आपने सत्य माना है वह पिछली ३० एकड़ से ज्यादा जमीन के खातों के लिये सत्य क्यों नहीं माना जाता । बात सिर्फ इतनी है कि उन बड़े-बड़े फार्मों पर मंत्रियों और उनके बड़े बड़े आदमियों का कब्जा है जिनको वह नहीं छोड़ना चाहते हैं इसलिये जनता को दिखाने के लिये पिछलों को छोड़ कर आगे के लिये ३० एकड़ की बन्दिश लगा दी गयी है । जहां तक इन्फ्लेशन (मुद्रास्फीति) का सवाल है और जैसा कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जिससे इफ्न्लेशन न बढ़े इसलिये नाननेगोशियेबिल बांड्स दे रहे हैं। इतनी बातों के बाद भी, थोड़ी सी गर्मी जो यहां आ गई है उसके जिम्मेदार वही हैं कि उन्होंने हमारे नेता के बारे में कहा। मैं माननीय राजस्व मंत्री से कहूंगा कि वह हम लोगों की नेक सलाह मानें और हमारी भी वही मंशा है जो वह चाहते हैं । अगर वह नानट्रांसफरेबिल जोड़ दें तो अच्छा हो। और इससे हमारी जो आशंका है वह भी दूर हो जायगी और मालूम हो जायगा कि उनकी नीयत साफ़ है और वह पूंजीपतियों का फ़ायदा नहीं चाहते हैं।

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मुद्रास्फीति की बात है मैंने केवल इतना कहा था कि अगर हम नेगोशियेबिल करार देते हैं तो उससे मुद्रास्फीति बहुत बढ़ जायगी और इस से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जायगा और जहां तक नाननेगोशियेबिल बांड्स का ताल्लुक है वह इतनी आसानी से ट्रांसफर नहीं होंगे और यह बात जमींदारों के हित में भी है । अगर सारे एक दम ट्रांसफर कर दिये जांय तो नेगोशियेबिल और नाननेगोशियेबिल में कोई फ़र्क़ नहीं रह जाता है । अगर रुकावट रहेगी तो मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी। मैंने पिटमैन की बात ध्यान से नहीं सुनी, उन्होंने चाहे जो कुछ कहा हो लेकिन आज जो मतलब समझा जाता है वह इतना ही है। ट्रांसफरेबिल के सिलसिले में मैं अर्ज कर चुका हूं । एक दो बात प्रस्तावक महोदय ने कही उसका जवाब देना चाहता हूं । एक तो यह कि हमारे बुजुर्ग पर हमला किया गया । अगर हमले के यही माने हैं कि मैंने कहा कि एलेक्शन में किसानों ने हमारे उस कांग्रेसी वर्कर को राय दी जो मुआविजे के हक़ में था और जो एक दिग्गज व्यक्ति मुआविजा न देने के हक़ में थे उनको राय नहीं दी। इससे साबित हुआ कि किसान की राय मुआविजा न देने के हक़ में नहीं था। तो इसमें कौन सा हमला हो गया । हमला क्या माने ? हम भी उनको अपना एक आदरणीय व्यक्ति मानते हैं और बुजुर्ग मानते हैं । अगर यह भी कहा और अब कहता हूं कि उनकी हार हुई तो भी क्या यह कहना उनकी जात पर या नीयत पर कोई हमला है और अगर हमला है तो आपका शब्द कोई दूसरा है और पता नहीं कौनसी आप की डिक्शनरी है । इसके माने हरगिज नहीं यह हो सकते । आक्सफ़ोर्ड ही में कहीं आप दिखला दें। कहा गया कि ट्रांसफरेबिल इसलिये किया जा रहा है

[श्री चरण सिंह]

ताकि मिनिस्टरों, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और इन्फ्लुएन्शियल (प्रभावशाली) मेम्बरों को ओबलाइज (अनुग्रहीत) करने में या खरीदने में आसानी होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई कड़ुवी बात नहीं कहना चाहता। लेकिन आमतौर से लोगबाग जो दूसरे आदमियों को आंकते हैं वे अपने पैमाने से आंकते हैं। मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता और न मुझे इसकी कोई शिकायत है। लेकिन अभी जो पिछली दफ़ा हमारा अधिवेशन हुआ और हमारे माननीय मुख्य मंत्री अपनी बात कह चुके तो उसके बाद बहुत तीखी भाषा में बात कही गयी। उसे मैं भूला नहीं हूं। मैं चहता हूं कि यहां कटुता न आवे वरना जवाब के लिये जबान और लोगों के भी होती है। अगर हम बहुमत में हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम पर बराबर आघात किये जावें और यदि हम उत्तर दें तो कहा जाय कि ब्रूट मैजारिटी (अत्यन्त बहुमत) है इसलिये ऐसा कहा जा रहा है। नहीं हम जवाब नहीं देना चाहते और बरदाश्त करेंगे। हमारे नेता तो अब भी जवाब नहीं देगें चाहे हमारे में से कुछ साथी या हम जवाब मजबूर होकर दे भी दें। लेकिन ईमानदारी और नेकनियती से मेरा मश्विरा यह है कि उससे फायदा किसी पक्ष को नहीं होगा।

मुआविजा के लिये कहा गया कि अधूरी बात कही जाती है। मैं जानता था कि शायद यह बात कही जायगी और इसीलिये मैंने उनका बयान मंगा लिया है। उनका बयान यह है—

"In their memorandum submitted to the Zamindari Abolition Committe in April 1947, they say :

We, therefore, lay the following jrincipal. Zamindars paying land revenue up to Rs.100 to be paid 25 times their demand ; Zamindars paying land revenue between Rs.100 and Rs.250—20 times ; Zamindars paying land revenue between Rs.250 and Rs.500—15 times ; Zamindars paying a land revenue between Rs.500 and Rs.1,000—12 times ; Zamindars paying land revenue Rs.1,000 and over 10 times, or Rs.5 lakhs whichever is less. This scale is meant only for arable land but so far as waste land grove land, forest, and pasture land and *parti* lands are concerned no compensation ought to be paid except a most nominal sum, say Rs.2 per acre.

Similar is the case of *sir* and *khudkasht* and land that is in the possession of the intermediary. According to this scale, the total amount that the State would be required to pay will come approximately to Rs.100 crores. It is not possible to pay it in a lump sum ; to a large extent it has to be pand to the rents realised from the peasantry."

[अप्रैल, १६४७ में जमींदारी उन्मूलन समिति को दिये गये अपने स्मृतिपत्र में उन्होंने कहा है—

'इसलिये हम निम्नलिखित सिद्धांत बनाते हैं। १००) तक मालगुजारी देने वाले जमींदारों को उनके लगान की मांग का २५ गुना दिया जाय; १००) से २५०) तक मालगुजारी देने वाले जमींदारों को २० गुना; २५०) से ऊपर ५००) तक मालगुजारी देने वाले जमींदारों को १५ गुना; ५००) से ऊपर १,०००) तक मालगुजारी देने वाले जमींदारों को १२ गुना; १,०००) या उससे अधिक मालगुजारी देने वाले जमींदारों को १० गुना या पांच लाख

रुपये दोनों में से जो भी कम हो। यह दर केवल कर्षणीय भूमि के लिये है। जहां तक बंजर भूमि, बाग की भूमि, जंगल और चरागाह व परती भूमि का संबंध है, कोई प्रतिकर न देना चाहिये सिवाय एक नाम मात्रा की धनराशि के जो दो रूपये प्रति एकड़ हो। यही हाल सीर और खुदकाश्त तथा उस भूमि का है जो मध्यवर्ती के अधिपत्य में हैं। इस दर के अनुसार कुल धन जो कि राज्य को देना पड़ेगा लगभग सौ करोड़ रुपये होता है। इसको एक बारगी अदा कर देना सम्भव नहीं है, अधिकांश तो यह किसानों से वसूल किये हुए लगान में से देना पड़ेगा।]

तो इससे यह साबित है कि जो नानएरेबिल लैण्ड्स (आकर्षणीय भूमि) हैं उनके लिये कोई मुआविजा नहीं देना चाहिये। और सिर्फ २ रुपये एकड़ सीर और खुदकाश्त की जमीन के लिये भी हो। १०० करोड़ खर्चा उनके हिसाब से बैठता है, हालांकि बैठता है १०८ करोड़ और यह किसानों की ही जेब से आयगा। ये अल्फाज उनके हैं। हमने नानएरेबिल लैण्ड का कुछ नहीं दिलाया। हमारी बात यह नहीं है कि जमीन के हिसाब से दिया जाय बल्कि आमदनी के हिसाब से दिया जाय। सीर और खुदकाश्त के लिये हमने मुआविजा नहीं दिलाया। फिर १८० करोड़ की बात कही जाती है कि १८० करोड़ वसूल करते हैं यह बिलकुल गलत बात है। अगर कुल किसान दे दें तो १५५ करोड़ होता है। हमारे एस्टीमेट (अनुमान से) १३७ करोड़ की बात थी। तो १३७ और १८० करोड़ में तो बहुत अन्तर है। १८० करोड़ कह कर हमको किसानों को लूटने वाला कहा जाता है। अगर उनकी तसल्ली इस बात से होती है तो मैं उन्हें इससे हाथ धुलाना नहीं चाहता लेकिन मैंने वाकयात उनको सुना दिये हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं। इंग्लैण्ड में जो सोशलिस्ट पार्टी है हमारे यहां ज्यादातर उसकी ही किताबें पड़ी जाती हैं और उसी के सिद्धांतों की बातें कही जाती हैं। उन्होंने भी जब अपने यहां कोयले की कानों का, बैंक्स का और शायद रेलवेज का नैशनलाइजेशन किया तो पूरी कीमत दी।

उन्होंने मुआबिजा पूरा दिया और अदालत के ऊपर छोड़ दिया कि वह मुआविजा तय करे लेकिन हमने एक स्केल कायम कर दिया और इक्वीटेबुल (समुचित) लफ्ज को रखा। दुनियां भर में जहां कहीं भी लेजिस्लेशन से जमींदारियां खतम की गई हैं या और भी कोई जायदाद ली गई है तो उसके लिये उसका मुआविजा दिया गया है और आज भी दिया जा रहा है जहां कि हमारे यहां नकल की जाती है।

एक सदस्य––काश्मीर में क्या दिया गया ?

श्री चरण सिंह––आप काश्मीर की और चीन तथा रूस की बातें क्यों करते हैं? हम उनके नक्शेकदम पर नहीं चल रहे हैं। इन अल्फाज के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि नियम ६२ में "अविनियम योग्य" के बाद शब्द "तथा अपरिवर्तनीय" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

राजा वीरेन्द्र शाह---उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं अपना संशोधन पेश करता हूं कि नियम ६२ की अन्तिम पंक्ति के अन्तिम शब्द "होंगे" के बाद निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं---

"और इन बंधों पर भारत सरकार की इस विषय की जिम्मेदारी (guarantee) की मुहर लगी होगी कि भविष्य में उत्तर प्रदेश की कोई राज्य सरकार इन्हें अस्वीकार(repudiate) न कर सकेगी Guaranteed by the Government of India against repudlation by any future State Government of Uttar Pradesh.

श्री नारायण दत्त तिवारी--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर (श्रीमान् जी, मैं एक विधान का प्रश्न उपस्थित करता हूं) आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसमें भारत सरकार की जिम्मेदारी की बात आई है मैं यह समझता हूं कि यह सदन भारत सरकार पर उसकी मुहर लगवाने के लिये उसको बाध्य नहीं कर सकता है। इसलिये यह संशोधन आउट आफ आडर (नियम-) प्रतिकूल) है।

राजा वीरेन्द्र शाह---यह संशोधन आउट आफ आर्डर इसलिये नहीं है कि वह बोंड्स उत्तर प्रदेश की सरकार के न होंगे वह तो गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से रिजर्व बैन्क के द्वारा बाटे जायेंगे। इसलिये गवर्नमेंट आफ इंडिया से यह सदन कह सकता है।

उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं यह संशोधन नियम के विरुद्ध नहीं है।

राजा वीरेन्द्र शाह---श्रीमान् जी आपको धन्यवाद है कि आपने हमारा अनियमित संशोधन घोषित नहीं किया। अभी इन बौंड्स के बारे में हमारे माननीय मंत्री जी और मौर्य जी ने कहा कि इन बौन्ड्स को हम ४० साल के लिये दे रहे हैं। हम इस संशोधन के द्वारा यह चाहते हैं कि यदि आपकी नीयत बिलकुल साफ है तो आप उसकी गारन्टी गवर्नमेंट आफ इंडिया से करा दें क्योंकि अगर ४ साल बाद यहां पर दूसरी गवर्नमेंट आ गई या आपके ही जो आज विचार हैं वे न रहें तो आप जो आज कर रहे हैं वह खत्म भी हो सकता है। इसलिये जब आप हमारी जायदाद ले रहे हैं और उसके ऐवज में जो भी कुछ आप हमें देंगे उसके बारे में आपका कहना है कि एक लंबी म्याद में देंगे तो इसके लिये आवश्यक है कि आप उसकी गारन्टी भारत सरकार से करा दें।

श्री चरण सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह जो बांड्स होंगे वह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के होंगे। गवर्नमेंट आफ इंडिया से इसका कोई संबंध नहीं होगा। रिजर्व बैंक तो केवल आपरेटर का काम करेगा।

वे आपरेट करेंगे हमारे एकाउण्ट को और हिसाब रखेंगे। बाकी यह हमारे स्टेट के कंसोलिडेशन फंड (संचित निधि) की सिक्योरिटीज पर एक प्रकार का कर्जा होगा। तो हम नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट आफ इंडिया इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेले और इस हद तक उसकी बारोइंग कैपिसिटी (ऋणदान क्षमता) पर इसका बोझ पड़े। न मैं इसकी जरूरत समझता हूं। जो आशंका किसी मित्र ने या उन सज्जन ने जिन्होंने प्रस्ताव पेश किया है, इस स्टेट के संबंध में प्रकट की है वह तो यूनियन गवर्नमेंट के सिलसिले में भी की जा सकती है। लेकिन उनकी ऐसी आशंका रखनी नहीं चाहिये क्योंकि इस प्रकार का जो बांड्स वगैरह या कर्ज होते हैं उनकी जिम्मेदारी आने वाली गवर्नमेंट लेती है। यह भी एक प्रकार का कर्जा ही है। उसको कोई गवर्नमेंट रिपूडिएट (निराकृत) नहीं कर सकती है। अगर कंटिन्यूटी (जारी रहना) गवर्नमेंट की रहे और कोई वायलेंट अपहीवल (भारी उथलपुथल) न हो। इस प्रकार के जो कर्ज होते हैं उनकी जिम्मेदारी हर गवर्नमेंट अपने सिर ओढ़ती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने के भी बहुत से कर्जे थे जिसको इस सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया इसलिये इस प्रकार की आशंका करना ठीक नहीं है। और न इस बात का जिक्र ही उन्हें करना चाहिये। दरअसल इस प्रकार की कोई आशंका है ही नहीं जब तक कि आपका कंस्टीट्यूशन मौजूद है। जब कंस्टीट्यूशन में इस बात की गारण्टी है तो फिर इसको कोई गवर्नमेंट रिपूडिएट नहीं कर सकती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—आदर्णीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो आपने बड़ी कृपा की कि इस संशोधन को उचित करार दिया लेकिन फिर भी इस संशोधन की शब्दावली इतनी ज्यादा आश्चर्यजनक है कि मैं नहीं समझता कि किस प्रकार यह संशोधन माननीय वीरेन्द्र शाह जी ने हमारे सामने उपस्थित किया है। इसमें जहां पर भविष्य में राज्य सरकार द्वारा अस्वीकार न कर सकने वाली बात कही गयी है वहां पर भारत सरकार को परमानेंट बाडी (स्थायी निकाय) मान लिया गया है जैसे वहां पर कोई चुनाव ही नहीं होता है, केवल राज्यों में चुनाव होता है और भारत सरकार परमानेंट वैसे ही बनी रहेगी। सिर्फ राज्य सरकारें ही समय-समय बदलती रहेंगी। मैं समझता हूं कि यह बिलकुल अकल्पित और असम्भावित चीज उन्होंने रख दी है। इसके साथ ही साथ हमें यह भी नजर आता है कि जो नियम बने हैं या बन रहे हैं वे कभी बदले नहीं जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर माननीय वीरेन्द्र शाह की सरकार बने तो सब से पहले वही होंगे जो इस नियम को बदलने की कोशिश करेंगे और ऐक्ट को बदलने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की अकल्पित और असम्भावित बातें रखना बेकार है। इसलिये मैं बड़ी नम्रता पूर्वक उनसे निवेदन करूंगा कि वे अगर अपने इस संशोधन को वापस ले लें तो बहुत उत्तम हो।

राजा वीरेन्द्र शाह—श्रीमान् जी, मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण सुना। उसके बाद मैं समझता हूं कि हमारे संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे मित्र सोशलिस्ट भाई ने जो कहा तो मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि और कोई पार्टी की गवर्नमेंट भले ही आ जाय लेकिन १० साल तक श्रीमान् की पार्टी नहीं आ सकती है जिससे उनकी मनोवृत्ति की सरकार बन सके। माननीय मंत्री जी से आश्वासन पाने के बाद मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अवधेश प्रताप सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम ६३ की प्रथम पंक्ति में अंक "२ १/२" के स्थान पर अंक "३ १/२" रख दिया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह तो संशोधन अवैधानिक है। जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट में ढाई प्रतिशत पहले से ही रखा गया है तो नियम में ढाई के स्थान पर साढ़े तीन कैसे हो सकता है?

श्री अवधेश प्रताप सिंह—मैं समझता था कि जब कान्स्टीट्यूशन बदला जा सकता है तो ऐक्ट भी बदला जा सकता है। मैं वापस ले लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्रीरणंजय सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम ६४ के उपनियम (१) में अंक "४०" के स्थान पर अंक "२०" रख दिया जाय।

श्री मान् जी मैं इसके संबंध में निवेदन करता हूं कि जैसा कि अधिनियम में आ गया है उस पर आपत्ति हो सकती है कि ४० को यहां पर बदलना ठीक नहीं है। किन्तु स्वभाविक बात है कि जब नकद रुपया आ जायगा और इसके लिये अधिनियम में आ चुका है कि नकद रुपया होने पर और भी शीघ्र प्रतिकर दिया जा सकता है तब फिर उसमें यदि ४० के स्थान पर २० भी कर दिया जाता है तो विशेष आपत्ति नहीं हो सकती है। इस बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि एक मनुष्य की आयु प्रायः २० वर्ष मानी जाती है। अगर कोई मनुष्य किसी सभा का मेम्बर हो जाय और अगर उसे पांच रुपया वार्षिक देना पड़े तो आजीवन सदस्यता के लिये एक सौ रुपया लिया जाता है। इसी प्रकार बीमा में होता है या आजन्म

[श्री रणंजय सिंह]

कारावास के लिये भी बीस वर्ष की आयु मानी जाती है। इस प्रकार से अगर बीस वर्ष कर दिया जाता है तो इस का मतलब यह है कि उसके जीवन में ही उसका प्रतिकर दिया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त जिन्होंने पहले भूमिधरी आन्दोलन में पहले विरोध भी किया है वह सोचेंगे कि अब भूमिधर बनाने से, उस योजना के अनुसार कार्य करने से देहात में प्रचार करने से वे लोगों को भूमिधर बना सकेंगे और भूमिधर बनना उन लोगों के लिये भी लाभदायक होगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस प्रकार से भूमिधरी के कार्य में वह अग्रसर होंगे। सम्भव है कि अगर लोगों के पास नकद रुपया होगा तो वह दे दें, उधर हमारे भूतपूर्व जमींदार भाई और वर्तमान भूमिधर और जो दसगुना देकर भूमिधर बने हैं सब के सहयोग से, सबके मिलने जुलने से और प्रयत्न करने से संभव है कि नकद रुपया आ सके।

हमारे बहुत से भाई हताश हो करके बैठ जायेंगे। वे यह समझेंगे कि ४० वर्ष तक पता नहीं किस तरह से हो। यदि इसमें २० वर्ष हो जाते हैं तो अधिक उचित होगा और मैं समझता हूं कि वह समय निकट भविष्य में अवश्य आयेगा जब लोगों की अवस्था सुधर जाय। यदि ४० वर्ष की अवधि मानी जायगी तो लोगों में असंतोष अवश्य रहेगा। इसी प्रकार निगोशिएबुल और नाननिगोशिएबुल की बहस मैं उचित नहीं समझता। यह मानी हुई बात है कि जब अधिनियम में आ चुका है कि नकद रुपया दिया जायगा तो उस पर बार बार कुछ कहना उचित नहीं है। इस लिये मेरा यह निवेदन है कि यह ४० वर्ष का समय बहुत अधिक मालूम पड़ता है। इसको देखते हुये मन में चिन्ता होती है कि ४० वर्ष की इतनी बड़ी अवधि है जो दो जन्म के बराबर है। इस बीसवीं शताब्दी में एक जन्म की अवधि बीस वर्ष की मानी गयी है। इस प्रकार २० वर्ष की अवधि रखना आवश्यक है और आपके द्वारा मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे मेरा संशोधन अवश्य स्वीकार करें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी मैं माननीय राजा साहब से सुन रहा था कि कम से कम दस साल तक तो हम लोग आते नहीं हैं और यह जो संशोधन इस वक्त हमारे माननीय रणंजय सिंह जी ने रखा है वे बीस साल समझ रहे हैं और इसीलिये उन्होंने अपना यह संशोधन रखा है कि बीस साल में उनको रुपया मिल जाना चाहिये। जहां तक इसके देने का सवाल है, हो सकता है कि जैसा हमारे माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि वर्षों तक यह आते नहीं हैं और इस तरह जब तक यह हुकूमत चलती है तब तक उन्हें पैसा अवश्य मिलेगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अब एक आध साल की बात सोचिये। आज जो हालत पूर्वी जिलों में है अगर वह जारी रही तो एक आध दो साल के अन्दर सब चौपट हो जायेगा, यह मिलना-जुलना सब बन्द हो जायगा, जिस तरह आपने सुना होगा कि कश्मीर में नहीं मिला। जब हमारे राजस्व मंत्री देने की बात कह रहे थे तो वे इंगलैंड और दूसरे मुल्कों की बात कह गये परन्तु कश्मीर को भूल गये जिस कश्मीर में जमींदारी का खात्मा और जमीन का बटवारा बिना मुआविजे के कर दिया गया और जो इस देश का एक हिस्सा है। एक आध साल में जो कुछ आप को मिलना है वह ले लीजिये और उसके बाद अगर आप यह उम्मीद करते हैं कि कुछ मिलेगा तो उसे भूल जाइये। वे ग़रीब जो मर रहे हैं जिन से इस हुकूमत ने दस गुना लगान वसूल किया है उनका भी थोड़ा खयाल कीजिये। आपने जन्म भर मौज की है, आप ने इतने दिन मौज उड़ाई है, अब उन ग़रीबों को देखिये जिन्होंने खून पसीना एक करके कमाया है, जिन्होंने मेहनत की है। उन्हें भी अच्छे दिन देखने दो। इसलिये मैं आप से कहूंगा कि यह विरोध करना बेकार है। जितने संशोधन आप ला रहे हैं वे बेकार हैं। अब रोने-पीटने से काम नहीं चलेगा। मैं यह चाहता हूं कि आप ईमानदारी से इस चीज को छोड़िये। इन नियमों पर इस सदन का फिजूल वक्त बरबाद करना मैं समझता हूं कि कोई समझदारी की बात नहीं है। हम जो संशोधन ला रहे हैं वह इसलिये ला रहे हैं कि कुछ न कुछ दिया जाय। आप के बच्चों का इंतजाम हम करेंगे, हमारी स्टेट

करेगी, हमारी हुकूमत करेगी । यह दस-दस बीस-बीस रुपये की बात आपको शोभा नहीं देती है । इसलिये ईमानदारी से, आप ऐसे संशोधन न लायें तो अच्छा है, यही मेरी आप से प्रार्थना है ।

श्री चरण सिंह––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसके सिलसिले में कुछ नहीं कहना है सिवाय इसके कि मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री रणंजय सिंह––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विचार में पड़ा हुआ हूं कि बहुत सोच समझ कर यह २० वर्ष की अवधि के लिये जो निवेदन किया गया है यह ४० वर्ष की अपेक्षा अधिक आवश्यक प्रतीत होता है और इसलिये मैंने इसे यहां पर रखा है । यों तो मुझे विश्वास है कि पूरा प्रयत्न होगा और यदि रुपया एकत्र हो गया तो शीघ्र दे दिया जायगा । निगोशियेबिल और नाननिशियेबिल की बातों में मैं नहीं पड़ना चाहता । जब कोई साहब लेने के लिये जाते हैं, मोटर खरीदने के लिये जाते हैं तो दूकानदार से यह नहीं कहते कि तुम अच्छे हो या बुरे हो, तुम इस रुपये का सदुपयोग करोगे या दुरुपयोग करोगे इसलिये हम तुम्हें बाद में रुपया देंगे । तो ये सब बातें ऐसी हैं कि मुझे बड़ा दुख होता है जब ऐसी बातों होने लगती हैं । परन्तु मैं यही सोच रहा हूं कि २० वर्ष हो जाता तो बहुत अच्छा होता । इसलिये मैं इतना निवेदन कर रहा था ।

उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि नियम ६४ के उपनियम (क) की पंक्ति १ में अंक "४०" के स्थान पर अंक "२०" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

राजा वीरेन्द्र शाह––श्रीमन्, मेरा भी संशोधन इसी से मिलता जुलता है । मैं आपकी आज्ञा से उसे पेश करता हूं––

"नियम ६४ के उपनियम (क) की पहली पंक्ति में अंक '४०' के स्थान पर अंक '३०' रख दिया जाय ।"

श्रीमन्, मैंने जो यह ३० वर्ष का समय रखा है वह बहुत सोच समझ कर रखा है । आप के द्वारा मैं सरकार को बता दूं कि दूसरे प्रान्तों में, जैसे कि मध्यप्रदेश और और सरकारों ने ज्यादातर ३० साल की ही अवधि बांड्स के लिये रखी है हम यह समझते हैं कि जब हर बात में आपने अपनी मनमानी कर ली तो कम से कम एक बात हमारी भी मान लीजिये । इसके मानने से सिर्फ इतना ही फ़र्क पड़ेगा कि सरकार को एक या डेढ़ करोड़ रुपया सालाना अधिक प्रतिकर के रूप में देना पड़ेगा । सिवाय इसके और कोई आपत्ति नहीं है । हम लोगों का फायदा यह हो जायगा कि १० साल की अवधि कम हो जाने से प्रतिकर बढ़ जायगा जिससे छोटे जमींदारों को और बड़े जमींदारों को, जिनको बहुत कम मुआविजा मिला है, कुछ फ़ायदा हो जायगा । इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि समारे संशोधन को स्वीकार करें ।

जहां तक श्री मदन मोहन उपाध्याय जी ने भाषण में कहा कि १० साल तक रखना चाहिये क्योंकि दस साल के बाद फिर खतरा बढ़ता है, तो मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि अगर वह सरकार हो गये तो फिर जिम्मेदारी को महसूस करेंगे और ऐसा नहीं करेंगे । वहां आप को ये सब बातें सोचनी पड़ेंगी । यह बात नहीं रहेगी कि जैसे अभी हवा को उड़ाते हैं, जो मर्जी आयी वह कहते हैं । सरकार की जिम्मेदारी लेने पर मदनमोहन जी बदल जायेंगे और मुझे उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी––यह जो वीरेन्द्र शाह जी का संशोधन है कि '४०' के स्थान पर '३०' कर दिया जाय, तो मेरा संशोधन यह है कि "३०" के आगे एक सिफ़र और बढ़ा दिया जाय ।

श्री चरण सिंह––मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि नियम ६४ के उपनियम (क) की पहली पंक्ति में अंक "४०" के स्थान पर अंक "३०" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राम नारायण त्रिपाठी––उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम ६४ के उपनियम (ग) के अन्त में प्रस्ताव करता हूं कि निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं।

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सरकार जमींदारी विनाश प्रतिकर की रकम के किसी हिस्से को कृषि विकास योजना में लगा सकेगी और ऐसी हालत में सरकार की इच्छा पर किसी वर्ग या वर्गों के बंधों के अर्द्ध वार्षिक किश्तों की अदायगी सरकार द्वारा निश्चित अवधि के लिये स्थगित की जा सकती है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य––उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी संशोधन मेरे मित्र ने उपस्थित किया है उसके संबंध में वैधानिक आपत्ति इस प्रकार से है कि यह विधान का प्रश्न है और वैधानिक रूप से यह जो प्रतिकर देने का नियम है वह हमारे भारतीय संविधान के अनुसार है और इसका कोई भी अंश किसी प्रकार से सरकार दूसरे कार्य में नहीं लगा सकती है और न सरकार को ऐसा अधिकार है और न आगे होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी––आदर्णीय अध्यक्ष महोदय, यह जो वैधानिक आपत्ति उठाई गई है मैं इसका विरोध करना चाहता हूं क्योंकि इसमें यह नहीं है कि किसी को इसके द्वारा प्रतिकर न दिया जाय, ऐसा नहीं कहा गया है। अगर ऐसा हुआ तो कृषि विकास योजना में उस रुपये को लगाया जायेगा और इस बीच में किस्तों को स्थगित किया जाय, खत्म करना नहीं है। कश्मीर में भी तो संविधान है, वहां क्यों नहीं दिया गया? यह सवाल नहीं उठता है, केवल प्रतिकर को स्थगित करने का सवाल है। उस को खत्म करने का नहीं है।

श्री चरण सिंह––यह कांस्टीट्यूशन के विपरीत भी है और जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफार्म की धारा ६८ के विरुद्ध भी है। धारा ६८ यह कहती है––

"The compensation payable under this Act shall be payable either in cash or in bonds or partly in cash and partly in bonds as may be determined."

(इस अधिनियम के अन्तर्गत देय प्रतिकर दस्तावेजों में या नक़दी में देय होगा या अंशतः दस्तावेजों में और अंशतः नक़दी में, जैसा भी निश्चित किया जाय, देय होगा।)

या तो नक़द दिया जा सकता है या दस्तावेजों में दिया जा सकता है। यह नहीं हो सकता कि मुआविजे को किसी और जगह लगा दिया जाय या उसको न दिया जाय। यह बात इस ऐक्ट के विरुद्ध भी पड़ती है और ऐक्ट के विरुद्ध रूल बनाये नहीं जा सकते हैं। रही कश्मीर की बात, वहां कांस्टीट्यूशन में इसके लिये अलग प्राविजन है। कश्मीर के लिये जो आर्टिकिल्स (अनुच्छेद) हैं वे यहां एप्लाई (लागू) नहीं करते। कांस्टीट्यूशन की बात छोड़ भी दी जाय तो ऐक्ट के यह विपरीत पड़ता है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी––पहले भी मैंने नानट्रांसफरेबिल और नाननोगेशियेबिल बांड्स के सिलसिले में सिर्फ यही कहा था कि जमींदारों के बच्चों की रक्षा का हमारा इरादा है। माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी ने भी बताया कि यह विधान के प्रतिकूल नहीं पड़ता, न हम प्रतिकर देने का विरोध कर रहे हैं। राजस्व मंत्री ने यह कहा कि ये बांड्स या तो कैश में दिये जा सकते हैं या दस्तावेज में, तो हम देने से कब इंकार कर रहे हैं? हम तो यह चाहते हैं कि कृषि विकास योजनाओं में लगा दिया जाय और प्रतिकर भी उनको दिया जाय और उससे जो मुनाफा होगा वह भी उनको दिया जाय। हम भी सोच रहे थे कि

हम आप को तरक्की का रास्ता बतलावें । इस तरह से यह बात जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के भी विपरीत नहीं पड़ती और न विधान के विपरीत ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—माननीय राजस्व मंत्री ने ६८वीं धारा पढ़ी.....

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह) मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरे मित्र अभी बोल चुके हैं, उनको जवाब देने का हक नहीं है ।

उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप को उत्तर वैधानिक प्रश्न पर देने का अधिकार नहीं है क्योंकि आप एक बार पहले इस प्रश्न पर बोल चुके हैं। मैं समझता हूं कि यह वैधानिक आपत्ति इसमें ठीक है और इसलिये यह संशोधन अवैधानिक है और यह नहीं पेश किया जा सकता ।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं:—

"नियम ६४ के उपनियम (ख) की पहली पंक्ति में अंक व शब्द '२० अगस्त और २० फरवरी' के स्थान पर अंक व शब्द '१ अक्तूबर और १ अप्रैल' रख दिये जायं ।"

श्रीमान्,यह संशोधन पेश करते हुये जब मैं संशोधन संख्या ५६ (क) देखता हूं और मुझे विश्वास है कि सरकार इसको स्वीकार करने जा रही है इसलिये मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता, कुछ कहना समय बरबाद करना होगा।

श्री चरण सिंह—मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम ६४ के उपनियम (ख) की पहली पंक्ति में अंक व शब्द '२० अगस्त और २० फरवरी' के स्थान पर अंक व शब्द '१ अक्तूबर और १ अप्रैल' रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

राजा वीरेन्द्र शाह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं वर्तमान नियम ६६ के स्थान पर निम्नलिखित नया नियम ६६ रख दिया जाय:—

"६६—किस्तों का भुगतान दिल्ली की जनरल ट्रेजरी, रिजर्व बैंक आफ इंडिया के समस्त राष्ट्र ऋण कार्यालयों (public debt offices) या उत्तर प्रदेश के किसी खजाने या मातहत खजाने (sub-treasury) में जिसका नाम किस्त के भुगतान के लिये बंध पर अंकित किया गया हो, किया जायगा, किन्तु प्रतिबंध यह है कि किस्तों की ऐसी धनराशि का भुगतान जो १०० रुपया या उस से कम हो मनीआर्डर या कोआपरेटिव बैंक द्वारा किया जायगा ।"

श्रीमन्, मुझे इस पर कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये कि जो पुनर्वास प्रतिकर छोटे जमींदारों को दिया जायगा वह उनको वहां तहसील के अन्दर ही मिलना चाहिये। उस रुपये की संख्या भी रख दी गई है और वह इतनी कम है कि उसके लेने के लिये जाने में उनको दिक्कत होगी । इसलिये मेरी यह तजवीज है कि सरकार इसको स्वीकार कर ले कि इतना रुपया उनको घर पर ही मिल जाय ।

श्री चरण सिंह—इस मसले पर कमेटी में काफी बहस हुई थी और मैं समझता हुं कि वह ऐसी बहस हुई थी कि जिसको हर सदस्य वजनी महसूस करता है। वहां पर

[श्री चरण सिंह]

यह विचार था कि ऐसा कर दिया जाय कि १०० या ५० रूपये का मनीआर्डर उनके पास कर दिया जाय लेकिन सवाल यह है कि बांड में इस बात का इन्दराज होना चाहिये कि वह भुगतान हो गया। इसलिये मनी आर्डर भेजा नहीं जा सकता है। बांड जो होगा वह तहसील के अन्दर भरना होगा और तभी वह कायदे की कार्यवाही मानी जायगी। इसलिये इसको मंजूर नहीं किया जा सकता।

एक बात मैं विरोधी पक्ष से यह भी कहना चाहता हूं कि जब कमेटी मुकर्रर हुई थी तो वह उसी ख्याल से हुई थी कि हाउस का समय ज्यादा नहीं लिया जायगा और वहां पर सब संशोधनों पर विचार कर लिया जायगा। लेकिन मैं देखता हूं कि हर संशोधन पेश किया जाता है और उस पर काफी बहस होती है जब कि यहां पर इनके ऊपर बहस हो चुकी है और सर्वसम्मति से तय हो चुके हैं। तो फिर उस कमेटी का मुकर्रर करना बिलकुल निरर्थक है। मैं अपने लायक मित्र से जिन्होंने इस प्रस्ताव को पेश किया है यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने खुद यह कहा था कि जो फंडामेंटल (आधार स्वरूप) हों उनको ही पेश किया जायगा अगर वह इस तरह से स्ट्रेच करेंगे (खींचेंगे) तब तो हर एक चीज ही फंडामेंटल में आ जायेगी। उनसे मेरी अपील है कि जिन चीजों पर वहां कमेटी में विचार हो चुका है उनको हाउस में पेश करना हाउस के समय को नष्ट करने के बराबर है।

राजा वीरेन्द्र शाह——श्रीमान् जी, मेरा मतलब तो यही था कि सरकार इसके लिये कोई न कोई सुविधा निकालेगी। मेरी मंशा हाउस के समय को बिलकुल भी नष्ट करने का न था। मैं तो यही समझता था। अगर हाउस इसको ठीक समझेगा तो कुछ सुविधा निकाल देगा। अगर आप इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं इसको वापस लेता हूं।

(भवन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान नियम ६७ का पुनसंख्यान उस नियम के उपनियम (१) के रूप में किया जाय और निम्नलिखित को उपनियम (२) के रूप में जोड़ दिया जाय।

"(२) बंधों का निष्क्रय करने में साधारणतया प्राथमिकता उन मध्यवर्तियों के बंधों को दी जायगी जो प्रतिकर के रूप में न्यून धनराशियां पाने के अधिकारी हैं।"

मैं समझता हूं कि इसको सभी स्वीकार करेंगे। जो छोटे जमींदार हैं उनके बारे में सभी हमदर्दी रखते हैं और हमारे जमींदार साहब भी उनके लिये जोर देते हैं। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इसको स्वीकार किया जायगा।

उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि वर्तमान नियम ६७ का पुनर्संख्यान उस नियम के उपनियम (१) के रूप में किया जाय और निम्नलिखित को उपनियम (२) के रूप में जोड़ दिया जाय:—

(२) बंधों का निष्क्रय करने में साधारणतया प्राथमिकता उन मध्यवर्तियों के बंधों को दी जायगी जो प्रतिकर के रूप में न्यून धनराशियाँ पाने के अधिकारी हैं।"

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रणंजय सिंह——मैं यह संशोधन रखता हूं कि नियम ६९ की पंक्ति २ में शब्द 'द्वारा' और शब्द 'अविनिमय' के बीच शब्द विनिमय योग्य (negeotiabl) अथवा' शब्द बढ़ा दिये जायं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——श्रीमान् जी, मैं यह निवेदन करता हूं कि यह पहले ही निश्चय हो चुका कि यह मुआविजा नान नेगोशियेबिल में दिया जायगा। तो फिर यह संशोधन ठीक नहीं बैठता है।

उपाध्यक्ष——यह आपत्ति सही मालूम होती है इस लियेइस संशोधन की इजाजत नहीं देता ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम ६९ में "प्रतिकर अधिकारी के मांग करने पर बंध राष्ट्र ऋण कार्यालय, दिल्ली द्वारा" के आगे और अधिनियम योग्य बंधों के रूप में जारी किये जायेंगे के पहले शब्द 'परिवर्तनीय' जोड़ना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष—इसके विरुध अभी भवन निर्णय दे चुका है इसलिये मैं इसको इजाजत नहीं देता ।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह——मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं:——

" नियम ७५ के उपनियम (२) की पंक्ति १ में अंक '५०' के स्थान पर '२५०' रख दिये जायं ।"

इस नियम ७५ द्वारा जिन जमींदारों को ५० रुपये तक मुआविजा मिलना है उन को नकद दिया जायगा। इस संशोधन का तात्पर्य यह है कि इस की जगह २५० तक कर दिया जाय जिस से छोटे जमींदारों का कष्ट कुछ कम हो जाय ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में काफी विचार हो चुका है और सोच विचार कर ही ५० रुपये तक नकद देने की बात यहां रखी गई है। मैं नहीं समझता कि यह संशोधन स्वीकार करने में सरकार समर्थ हो सकती है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह——मुझे अब कुछ नहीं कहना है परन्तु मैं इस को वापस नहीं ले रहा हूं ।

उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि नियम ७५ के उपनियम (२) की पंक्ति १ में अंक '५०' के स्थान पर अंक '२५०' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रणंजय सिंह——उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम ८३ की पंक्ति १ में शब्द 'तीन' के स्थान पर शब्द 'पांच' रख दिया जाय।

माननीय राजस्व मंत्री को यह स्वीकार होगा तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री चरण सिंह——मुझे अफसोस है कि मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री रणंजय सिंह——श्रीमान्, मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि नियम ९५ में जो सूत्र दिया हुआ है उसमें "२५०" से जो शुरू होने वाला सूत्र है उसमें जो अंक '९' है उसकी जगह '८' कर दिया जाय। '९' गलती से छप गया है '८' होना चाहिये था।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम ९५ में २५० रु० से शुरू होने वाले सूत्र में अंक '९' के बजाय '८' कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम ९६ के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय:---

'पुनर्वासन अनुदान के लिये जारी किये गये बंध "जमींदारी विनाश पुनर्वासन अनुदान बंध" कहे जायेंगे'।

यह एक स्लिप (भूल) था जो इससे साफ हो जाता है।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नियम ९६ के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय:---

'पुनर्वासन के अनुदान के लिये जारी किये गये बंध "जमींदारी विनाश पुनर्वासन अनुदान बंध" कहे जायेंगे।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि नियम ९७ निकाल दिया जाय।

इसे निकालने का कारण यह है कि वह बात ऐक्ट में होनी चाहिये न कि नियम में क्योंकि ऐक्ट में ११ जगह जाब्ता दीवानी का ऐप्लीकेशन बताया गया है और यह नियम की बात नहीं है। यह कायदे और नियम के विरुद्ध है कि, जो नियम बने उसमें यह प्रावीजन (अनुबंध) रखा जाय। वह जो ११ जगह उसमें आया है वह मैंने नोट कर लिया है। रूल में ११ जगह आया है। 'ऐक्ट' में गलती से कह गया। ४३ सी, ४५ डी, ९७, ९९, १५४, १६१, १६३, १८४, २५०, २५३, और २५६, हैं। मैं यह कहूंगा कि रूल्स में जहां-जहां यह चीज आई है वह नहीं होनी चाहिये बल्कि यह ऐक्ट में होना चाहिये। और दूसरे ऐक्टों का हवाला भी मैं देने के लिये तैयार हूं। जैसे लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट (मालगुजारी कानून) में दफा २३४ यह पावर गवर्नमेंट को और बोर्ड को दी गई है। यू० पी० टैनेन्सी ऐक्ट में २९२ में। पंचायत राज्य ऐक्ट में, ११० में यू० पी० डेट रिडेंशन ऐक्ट में दफा २६ में दी हुई है। रेग्यूलेशन आफ क्रेडिट में दफा ३५ में दी गई है, यू० पी० ऐग्रीकल्चरल रिलीफ में दफा ४१ में दी गई है। इनकम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट में दफा ५४ में दी गई है। तो मैं यह प्रार्थना करूंगा कि ये चीजें तो ऐक्ट में दी जाती हैं न कि नियम में। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो चीज ऐक्ट में दी जाय वह नियम में देने की कोशिश नहीं करनी चाहिये।

श्री चरण सिंह---जहां मेरे लायक मित्र ने बहुत से ऐक्ट गिनाये वहां उन्होंने जमींदारी अबालिशन एण्ड लैण्ड रिफार्म्स ऐक्ट की धारा ३४१ को छोड़ दिया। उसमें यह लिखा हुआ है कि—

"Unless otherwise expressly provided by this or under this Act, the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 and the Indian Limitation Act, 1908 shall apply to the proceedings under this Act."

[जब तक कि इस अधिनियम द्वारा या इसके अन्तर्गत स्पष्टतया अनुबंध न किया गया हो, वित्तोद्भव प्रक्रिया नियमावली १९०८ और भारतीय प्रतिबन्ध अधिनियम १९०८ के अनुबंध इस अधिनियम के अन्तर्गत (की जाने वाली) कार्यवाहियों पर लागू होंगे।]

इन रूल्स में हम यह कह रहे हैं कि फलां चीज अप्लाई (लागू) करे या न करे बाकी कोई चीज खिलाफ कानून नहीं है। जहां मेरे मित्र ने और कानून गिनाये वहां वे इसको भी शामिल कर लें।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा——मैं यही निवेदन कर रहा था कि जब कि ऐक्ट में प्राविज़न किया हुआ है तो फिर रूल्स में वह चीज रखना गैरज़रूरी है।

उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि नियम ९७ निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
१९ अगस्त, १९५२

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५१ पर)

श्री शिव पूजन राय द्वारा चौथे मंगलवार को पूछे गये प्रश्न संख्या २३ के उत्तर में कही गयी तालिका में जिसमें गाजीपुर जिले में पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कों का नाम दिया गया है ।

वर्तमान प्राविंशियल पक्की सड़कें:—

	लम्बाई
१—बनारस बलिया	५१ मील
२—सैयदराजा	१७ मील २ फर्लांग
३—गोमती रेलवे ब्रिज डाइवर्जन	५ मील ४ फर्लांग
४—गोरखपुर गाजीपुर	२० मील ३ फर्लांग ५९४ फ़ीट
५—पुस्कताघाट रोड	१ मील १ फर्लांग २२७ फ़ीट

नयी पक्की सड़कें

१—सैदपुर भितरी	इसकी लम्बाई ४ मील १ फर्लांग है और मिट्टी डालने का काम सोलिंग कलेक्शन, सोलिंग कान्सोलिडेशन, इन्टर कलेक्शन, इंटर कान्सोलिडेशन तथा पुल इत्यादि का कार्य पूरा हो चुका है तथा एक मील पर टाप कलेक्शन व टाप कान्सोलिडेशन भी कर दिया गया है ।

कच्ची सड़कें	लम्बाई	नीचे लिखे मीलों में काम पूरा कर दिया गया	
		मिट्टी डालना	पुल इत्यादि
	मील फ०	मील फ०	मील फ०
१—करीमुद्दीनपुर होती हुयी गाजीपुर बलिया सड़क	१४ — ०	१४ — ०	१० — ४
२—दिलदार नगर जमनियां	७ — ४	६ — ०	७ — ४
३—गहमर रेवतीपुर	१० — ०	१० — ०	१० — ०
४—रेवतीपुर गाजीपुर	७ — ०	७ — ०	७ — ०
५—फ़खनपुरा बीरपुर	४ — ०	४ — ०	४ — ०
६—मुहम्मदबाद कासिमाबाद जिले की सीमा तक	१९ — ४	१९ — ४	१६ — ४
७—दूल्हापुर सिकरी	६ — ०	६ — ०	६ — ०
८—शादियाबाद सादात	५ — ४	५ — ४	२ — ४

		मील	फ०	मील	फ०	मील	फ०
९	बहरियाबाद सादात	४	१	४	१	२	१
१०	सैदपुर सादात	१०	४	१०	४	७	४
११	नेन्दगंज चूहकपुर	३	७	३	७	२	७

नोट: मुहम्मदाबाद कासिमाबाद को छोड़ कर शेष सारी कच्ची सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ग़ाज़ीपुर को लौटा दी गयी हैं ।

इनके अतिरिक्त निम्नांकित सड़क पर भी काम किया गया है :

१—ज़मनियां होती हुयी ताड़ीघाट के जी० टी० रोड तक का काम पूरा हो चुका है ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५१ पर)

ज़िला बस्ती और बिजनौर में निर्माण विभाग द्वारा सड़कों पर किये गये कार्य का विवरण

	मिट्टी डालना		सोलिंग		इन्टर कोट	
	मील	फ०	मील	फ०	मील	फ०
नयी पक्की सड़कें						
बस्ती	२३	६	२०	६	१७	४
बिजनौर	८७	१	४८	२	३८	३

कच्ची सड़कें	मिट्टी डालना
बस्ती	६६ मील
बिजनौर	७६ मील ७ फर्लांग
सीमेन्ट कांक्रीट ट्रैक	मिट्टी डालना
बस्ती	४३ मील
बिजनौर	२१ मील
पुनर्निर्माण के लिये ली गई सड़कें	
बस्ती	८१ मील ३ फ०
बिजनौर	१७ मील ४ फ०

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५१ पर)

जिला बस्ती में अगले पांच वर्षों में सड़कों पर किये जाने वाले कार्यों का विवरण

	पक्की सड़कें	मील
१	नौगढ़ शोहरतगढ़	१४ मील
२	बांसी नौगढ़	९, १/२ मील
		२३ १/२ मील

	नई कच्ची सड़कें	
१	लालगंज डुडवा	४ मील
२	धानघाट विश्वनाथपुर	६ मील
३	धानघाट सिरसी	६ मील
४	दुधारा बस्ती	४ मील
५	बांसकोर कढ़ी	७ मील
६	मेहदावल बंकटा	१० मील
७	बनकटा बांस	७ मील
८	रुदौली बरनपुर	६ मील
९	तालपुरवा बांसी	८ मील
१०	उसका सोहास	६ मील
११	बिघेपुर टोगरा	६ मील
१२	चंदापुर अहरौला	७ मील
१३	विस्कोहार इंतवा	९ मील
१४	डोमरियागंज माल्हवार	७ मील
१५	हरैया सेमरा	६ मील
१६	नल्हियापुर रजवापुर	७ मील
१७	दुबौलिया कैप्टेनगंज	८ मील
		११४ मील

	सीमेंट कांक्रीट ट्रैक	मील
१	खलीलाबाद मेहदावल	६ मील
२	खलीलाबाद मुखलिशपुर (महौली ब्रांच)	४, १/२ मील
३	बस्ती बांसी	६ मील
४	बस्ती डुमरियागंज	६ मील

५	बस्ती मेहडावल	६ मील
६	वाल्टर गंज मिल से डोमरिया गंज सड़क की मिल्स होते हुये बांसी सड़क के ६ मील तक।	३,१/२ मील
७	बभनान हरैया	५ मील
८	मुडेरवा मेहदावल मुडेरवा लालगंज सड़क पर	६ मील
		४३ मील

फिर से बनाई जाने वाली सड़क — मील

१	बस्ती डोमरिया गंज इंतवा बढ़नी	५४ मील
२	बस्ती बांसी	४७ मील
३	खलीलाबाद महौली	१० मील
४	उस्का बाजार, नौगढ़, चिल्ला, शोहरतगंज, नैपाल सीमा	६ मील
		११७ मील

विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ७१ एल० ए–१६५२–८५०